VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material

(May 2020 to January 2021)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। ऑफलाइन कक्षाएं सरकारी नियमों और छात्रों की सुरक्षा के अधीन उपलब्ध होंगी।
DELHI: 3 June | 1:30 PM | 23 March | 1:30 PM
JAIPUR 17 March

अभ्यास
प्रीलिम्स 2021
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स
मॉक टेस्ट (ऑनलाइन)
25 अप्रैल | 9 मई | 23 मई
हिंदी / अंग्रेजी में उपलब्ध
ऑल इंडिया रैंकिंग एवं अन्य विद्यार्थियों के साथ विस्तृत तुलनात्मक विवरण
सुधारात्मक उपायों एवं प्रदर्शन में सतत सुधार हेतु Vision IAS द्वारा टेस्ट उपरांत विश्लेषण™
पंजीकरण करें
www.visionias.in/abhyaas

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र (India and its Neighbourhood) 5

1.1. भारत-चीन (India China) 5

1.1.1. भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute) 5

1.1.2. भारत-चीन जल संबंध (India China Water Relations).... 5

1.1.3. हांगकांग में नया सुरक्षा कानून (New Security Law in Hong Kong) 7

1.1.4. तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम (Tibetan Policy and Support Act) 7

1.2. भारत-ताइवान (India-Taiwan) 8

1.3. भारत-बांग्लादेश संबंध (India-Bangladesh Relations) 9

1.4. भारत-नेपाल (India-Nepal) 11

1.4.1. भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद (Indo-Nepal Territorial Dispute).... 11

1.5. भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan).... 13

1.5.1. गिलगित-बाल्टिस्तान मुद्दा (Gilgit Baltistan Issue).... 13

1.6. भारत-भूटान (India-Bhutan) 14

1.6.1. भारत-भूटान जल-विद्युत परियोजना (India Bhutan Hydropower Project).... 14

1.6.2. चीन ने अब भूटान की पूर्वी सीमा पर अपना दावा पेश किया (China Makes New Claim in Eastern Border with Bhutan).... 14

1.7. दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा (South Asia Energy Security).... 15

1.8. भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध (India-Maldives Bilateral Relations) 16

1.9. अफ़ग़ानिस्तान में भारत की विकास पहलें (India's Development Efforts in Afghanistan) 18

2. हिन्द-प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्र (Indo-Pacific and Indian Ocean Region)....21

2.1. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo Pacific region) 21

2.2. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI) 22

2.3. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India-Australia Relations).... 22

2.4. हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region: IOR) 24

3. भारत एवं मध्य एशिया / रूस (India and Central Asia / Russia) 27

3.1. भारत-मध्य एशिया संवाद (India-Central Asia Dialogue) 27

3.2. आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष (Armenia Azerbaijan conflict).... 28

4. भारत और पश्चिमी एशिया (India and West Asia)....30

4.1. चाबहार-जाहेदान रेलवे लाइन (Chabahar-Zahedan Railway Line) 30

4.2. अब्राहम समझौता (Abraham Accord) 31

VISION IAS

5. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)....35

5.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा समझौता (India-US Defence Agreement) 35

5.1.1. संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी {U.S.-India Strategic Energy Partnership (SEP)}... 36

6. यूरोप (Europe) 38

6.1. भारत-यूरोपीय संघ संबंध (India-E.U. Relations) 38

7. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएँ (International Organization/ Institutions)....41

7.1. भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित {India Elected Non-Permanent Member of UN Security Council (UNSC)} 41

7.2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM) 42

7.3. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)} 43

7.4. ब्रिक्स (BRICS) 44

7.5. 17वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (17th ASEAN-India Summit) 46

7.6. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और भारत {Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and India} 47

7.7. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) 48

7.8. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) 49

7.9. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (United Nations Convention on The Law of The Sea: UNCLOS) 51

7.10. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA) 53

7.11. ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty: OST) 54

7.12. ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) {Group of Seven (G-7)} 55

7.13. जी 20 (G20) 56

7.14. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization: SCO) 57

7.15. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) (Organization of The Petroleum Exporting Countries: OPEC) 58

7.16. सुर्ख़ियों में रहे संयुक्त राष्ट्र के संगठन/कार्यक्रम (United Nations Organizations/Programmes in News) 58

7.17. बहुपक्षीय संगठन (जिनका भारत एक सदस्य है) {Multilateral Organizations (of which India is a Part)} 60

7.18. बहुपक्षीय संगठन (जिनका भारत एक सदस्य नहीं है) {Multilateral Organizations (of which India is not a Part)} 63

8. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (International Events) 67

8.1. प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas: PBD) 67

VISION IAS

8.2. सुर्ख़ियों में रहे अन्य घटनाक्रम (Other Event in News) 68

9. सुरक्षा से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Security) 71

9.1. भारत और परमाणु निरस्त्रीकरण (India and Nuclear Disarmament) 71

9.2 परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW) 73

9.3. जैव-आतंकवाद (Bio-Terrorism) 75

9.4. अंतरिक्ष युद्ध (Space Warfare) 75

9.5. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force) 77

9.6. सीमा अवसंरचना एवं शेकटकर समिति की सिफारिशें (Border Infrastructure And Shekatkar Committee Recommendations) 78

9.7. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups) 80

9.8. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सैन्यीकरण (Militarization of Andaman and Nicobar Islands) 80

9.9. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020) 82

9.10. प्रारूप रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020 {Draft Defence Production and Export Promotion Policy (DPEPP) 2020} 83

9.11. आसूचना सुधार (Intelligence Reforms) 84

9.12. नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड {National Intelligence Grid (NATGRID)} 85

9.13. लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attacks) 86

9.14. भारतीय थल सेना द्वारा प्रस्तावित 'टूर ऑफ़ ड्यूटी' (Indian Army Proposes Tour of Duty) 86

10. विविध (Miscellaneous) 88

10.1. भारत की प्रारूप आर्कटिक नीति (India's Draft Arctic Policy) 88

10.2. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust) 89

10.3. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) 89

10.4. सुर्ख़ियों में रही कुछ प्रमुख शब्दावलियां (Some Key Terms in News) 90

11. सुर्ख़ियों में भारत के सैन्य अभ्यास (Military Exercises of India In News) 92

नोट:

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

© Vision IAS

3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

1. भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र (India and its Neighbourhood)

1.1. भारत-चीन (India China)

1.1.1. भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तरी सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control: LAC) पर भारत व चीन के मध्य जारी गतिरोध के कारण दोनों देशों के मध्य सीमा पर एक बार पुनः तनाव उत्पन्न हो गया था।

भारत-चीन सीमा विवाद

- भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा सर्वत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं की गई है तथा LAC भी **पारस्परिक रूप से सहमत सीमा रेखा नहीं** है।
- LAC वह सीमांकन है, जो भारत-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करती है। भारत द्वारा LAC की लंबाई 3,488 कि.मी. मानी गई है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 कि.मी. ही स्वीकार करता है।
- LAC को **तीन भागों में विभाजित** किया गया है, यथा- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी।
  - **पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख):** यहाँ पर सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित **जॉनसन रेखा** से संबंधित है, जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत थी तथा अक्साई चिन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती थी।
    - भारत द्वारा जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान करते हुए अक्साई चिन पर अपना राज्यक्षेत्र होने का दावा किया गया। हालाँकि, चीन इस रेखा को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तथा इसकी बजाय वह **मैकडॉनल्ड रेखा** को स्वीकार करता है, जो अक्साई चिन को उसके नियंत्रण में दर्शाती है।
  - **मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड):** इस क्षेत्र में अत्यल्प विवाद है। इस अंचल में बाड़ाहोती (जिला चमोली, उत्तराखंड) मैदान के कुछ इलाकों को छोड़कर LAC पर कोई विशेष विवाद नहीं है। उल्लेखनीय है कि **भारत और चीन परस्पर आदान-प्रदान किए गए मानचित्रों पर व्यापक रूप से सहमत हैं।**
  - **पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम):** इस क्षेत्र में विवाद वर्ष 1914 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की शिमला बैठक में निर्धारित **मैकमोहन रेखा** (अरुणाचल प्रदेश में) से संबंधित है।
    - हालांकि, इस बैठक में चीनी प्रतिनिधियों द्वारा समझौते हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए थे, परन्तु बाद में उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। त्वांग मार्ग को भारत द्वारा वर्ष 1951 में अपने राज्यक्षेत्राधीन कर लिया गया था, जिस पर चीन द्वारा दावा किया जा रहा था।

1.1.2. भारत-चीन जल संबंध (India China Water Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऐसी सूचना सामने आई है कि चीन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यारलुंग त्संगपो (जिसे चीन में सियांग कहा जाता है) पर रन-ऑफ-द-रिवर बांध निर्मित करने की योजना बना रहा है। इससे भारत-चीन जल संबंधों पर वाद-विवाद एक बार पुन: तीव्र हो गया है।

© Vision IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के उत्तर-पश्चिम में लूनपो गंगरी ग्लेशियर (Lunpo Gangri glacier) से होता है। यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांग्पो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना आदि के नाम से जाना जाता है।
    - **रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट (Run-of-the-river Project)** यह जल-विद्युत उत्पादन का एक प्रकार है। इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसी नदी के प्राकृतिक और अधोमुखी प्रवाह (निचली धारा) का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, इसमें **जलाशय निर्मित करने की आवश्यकता नहीं होती।**

वर्तमान में भारत-चीन जल संबंध की स्थिति क्या है?

- चीन से भारत की ओर सीमा-पार से बहने वाली नदियों को निम्नलिखित दो मुख्य समूहों में बांटा गया है:
    - **प्रथम,** पूर्वी भाग में **ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली,** जिसमें सियांग नदी (ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा) और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नामत: सुबनसिरी और लोहित सम्मिलित हैं।
    - **द्वितीय,** पश्चिमी भाग में **सिंधु नदी प्रणाली,** जिसमें सिंधु नदी और सतलुज नदी शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के मध्य **जल सहयोग से संबंधित कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान नहीं है।**

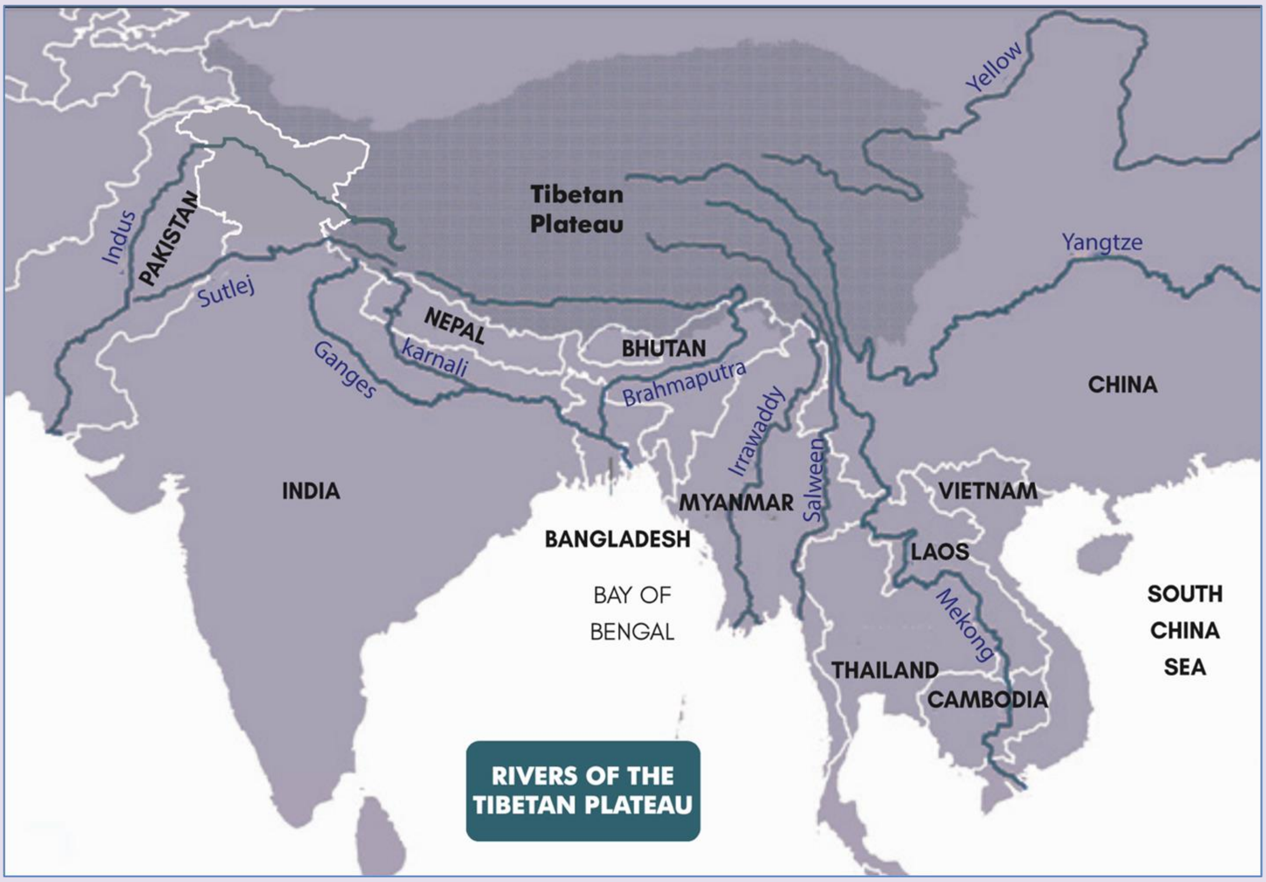

तिब्बत के पठार में नदी तंत्र

तिब्बत के पठार को इसके हिमनद विस्तार और ताजे जल के विशाल भंडार के कारण प्राय: **"तीसरा ध्रुव" (Third Pole)** भी कहा जाता है। निम्नलिखित को इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:

- यह **दक्षिण एशिया की अग्रलिखित 7 बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, यथा-** सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्वीन (Salween), यांग्ज़ी (Yangtze) और मेकांग नदी।
- ये नदियां **चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम** से प्रवाहित होती हैं तथा किसी एक स्थान से सबसे बड़े नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं।
- ऐसा अनुमान है कि **प्रत्येक वर्ष 718 बिलियन क्यूबिक मीटर** सतह जल तिब्बत के पठार, शिनजियांग तथा आंतरिक मंगोलिया (चीन के प्रशासित क्षेत्र) से पड़ोसी देशों में प्रवाहित होता है।

1.1.3. हांगकांग में नया सुरक्षा कानून (New Security Law in Hong Kong)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को स्वीकृति प्रदान की है।

एक देश दो प्रणाली (One Country Two Systems: OCTS)

- एक देश दो प्रणाली नीति को मूल रूप से **चीन और ताइवान को एकजुट करने हेतु प्रस्तावित किया गया था,** जिसे ताइवान ने अस्वीकार कर दिया था।
- यह विचार पुनः प्रकट हुआ जब चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता प्रारंभ की, जिनका क्रमशः हांगकांग और मकाऊ पर औपनिवेशिक शासन था।
- OCTS मॉडल के तहत, चीन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि, हांगकांग और मकाऊ में मुख्य भूमि चीन से **पृथक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालियां हो सकती है,** जबकि वे चीन का हिस्सा ही रहेंगे।
- इसी प्रकार, **वर्ष 1997 में हांगकांग चीन के पुन: नियंत्राधीन आ गया** और वर्ष 1999 में मकाऊ की संप्रभुता हस्तांतरित की गयी।
- दोनों क्षेत्र **अपनी-अपनी मुद्राओं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियों** के साथ चीन के **विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Regions: SAR)** घोषित किए गए, परन्तु रक्षा एवं विदेशी मामलों का निर्णय चीन द्वारा ही किया जाना था।
- साथ ही, हांगकांग के लोगों को **सभा करने और भाषण की स्वतंत्रता तथा कुछ लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं,** जो मुख्य भूमि चीन में प्रदत्त नहीं हैं।
    - ये स्वतंत्रताएं **मूल क़ानून (Basic Law)** द्वारा संरक्षित हैं (एक उप-संविधान जो हांगकांग और चीन के मध्य संबंधों को निर्देशित करता है)।
- **मूल कानून 50 वर्षों के लिए वैध है यथा** हांगकांग के लिए वर्ष 2047 तक और मकाऊ के लिए वर्ष 2049 तक। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि के पश्चात् क्या होगा।
- **मूल कानून में** हांगकांग की विधायिका (LegCo) में दो-तिहाई बहुमत के साथ **संशोधन** किया जा सकता है।

1.1.4. तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम (Tibetan Policy and Support Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी सीनेट ने “तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम (Tibetan Policy and Support Act: TPSA), 2020” को पारित किया है। इसमें तिब्बत को लेकर अमेरिका की नीति को रेखांकित किया गया है।

TPSA के बारे में

- वर्ष 2002 के ऐतिहासिक तिब्बती नीति अधिनियम के आधार पर निर्मित TPSA में **तिब्बती मानवाधिकारों, पर्यावरणीय अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता एवं निर्वासित लोकतांत्रिक तिब्बती सरकार जैसे विषयों को संबोधित किया गया है।**
- इसमें औपचारिक रूप से **केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (Central Tibetan Administration: CTA)** को तिब्बती लोगों के वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई है।

© Vision IAS

- इस अधिनियम ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी चीनी अधिकारी के विरुद्ध **अमेरिकी सरकार द्वारा आर्थिक एवं वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।**
- TPSA में **कुछ नए महत्वपूर्ण प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं। इनका लक्ष्य तिब्बत के पर्यावरण एवं जल संसाधन की सुरक्षा करना है।**
- इसके अतिरिक्त, इसमें **तिब्बत के पठार के पर्यावरण की निगरानी करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है।**

तिब्बत का भू-रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक महत्व

- तिब्बत **विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है**, जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4,000 मीटर से अधिक है।
- इसका संपूर्ण दक्षिणी भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसलिए, इस क्षेत्र को **तिब्बत के बाहर की शक्ति द्वारा नियंत्रित करने के मार्ग में हिमालय अवरोध/ प्रहरी का कार्य करता है।**
- तिब्बत के पर्यावरणीय महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि **एशियाई मानसून में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं दोनों ध्रुवों के उपरांत हिमनदों का सर्वाधिक घनत्व यहीं है।** यहाँ के ग्लेशियर लगभग 10 प्रमुख नदी प्रणालियों को जलापूर्ति करते हैं, जिनसे लाखों लघु जलधाराओं को निरंतरता प्राप्त होती है।
- तिब्बत **सदैव क्षेत्रीय शक्तियों के साथ-साथ विश्व की महाशक्तियों की दृष्टि में भू-रणनीतिक महत्व का स्थान रहा है।**
  - 20वीं सदी के आरंभ में, ब्रिटिश भारत ने तिब्बत के लिए अग्रवर्ती नीति (forward policy) अपनाई। उसका उद्देश्य अपने बाजार को विस्तार देना एवं तिब्बत को जार शासित रूस से भारत के प्रति खतरे के विरुद्ध एक बफर राज्य के रूप में स्थापित करना था।
  - वर्तमान में, प्रचलित अवधारणा के अनुसार, **चीन तिब्बत को हथेली मानता है एवं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश को पांच अंगुली।**
  - वर्ष 1950-51 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। **तब से, पदधारी एवं 14वें दलाई लामा भारत में निर्वासित रूप से रह रहे हैं।** वह तिब्बत एवं तिब्बती लोगों के लिए 'वास्तविक स्वायत्तता' हेतु आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

1.2. भारत-ताइवान (India-Taiwan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दो भारतीय सांसदों ने पहली बार ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आभासी रूप में भाग लिया।

भारत-ताइवान संबंध

- **पृष्ठभूमि:**
  - स्वतंत्रता के पश्चात्, वर्ष 1950 में भारत द्वारा **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (People's Republic of China: PRC)** को राजनीतिक मान्यता प्रदान करने के पश्चात् भारत और ताइवान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को समाप्त कर दिया गया था।
  - **इसके अतिरिक्त, शीत युद्ध के दौरान**, ताइवान के अमेरिकी गुट में और भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के कारण नई दिल्ली व ताइवान के मध्य अनौपचारिक संबंध भी निम्न बने रहे।

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy: AEP) और ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी (New Southbound Policy: NSP)

- ताइवान की निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था और निवेश के पारंपरिक लक्ष्यों में विविधता लाने में इसकी अभिरुचि इसे AEP के तहत भारत के लिए **एक स्वाभाविक सहयोगी** के रूप में स्थापित करती है।
- ताइवान ने वर्ष 1994 के **'गो साउथ पॉलिसी' (Go South Policy: GSP)** के तीसरे चरण को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2016 में **न्यू साउथबाउंड पॉलिसी' (New Southbound Policy: NSP)** की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ ताइवान के संबंधों को पुनर्जीवित करना व उनका विस्तार करना तथा चीन के साथ संबंधों में दूरी बनाए रखना है।
- भारत ताइवान की GSP के प्रथम दो चरणों के केंद्र में नहीं था, किंतु वर्तमान में **यह NSP का एक अभिन्न अंग** बन गया है।

- **1990 के दशक** में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ जब भारत सरकार द्वारा भारत के घरेलू आर्थिक संकट और विदेश नीति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के कारण ताइवान के प्रति भारतीय विदेश नीति को पुन: निर्धारित किया गया।
- **वर्ष 1995** में ताइपे (ताइवान की राजधानी) में **इंडिया ताइपे एसोसिएशन (India-Taipei Association: ITA)** की स्थापना के साथ भारत और ताइवान ने गैर-आधिकारिक संबंध स्थापित किए। इसके अतिरिक्त, **वर्ष 1995 में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर (Taipei Economic and Cultural Centre: TECC)** की स्थापना की गई, जो भारत में ताइवान सरकार का प्रतिनिधि कार्यालय भी है। यह अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, मीडिया, पर्यटन, संस्कृति आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धन करने हेतु उत्तरदायी है।
- हालांकि, भारत के ताइवान के साथ कोई **आधिकारिक राजनीतिक संबंध नहीं** हैं और न ही यह ताइवान को **स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता** प्रदान करता है।

ताइवान और "वन-चाइना नीति" से संबंधित तथ्य

- ताइवान को आधिकारिक तौर पर **रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC)** कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी।
- वर्ष 1949 में **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी** ने **राष्ट्रवादी शक्तियों (कुओमितांग पार्टी)** को पराजित किया और **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (वर्तमान चीन)** की स्थापना की।
- वर्ष 1949 में **ताइवान के मुख्य भूमि चीन से अलग होने** और **ROC की स्थापना** के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी शक्तियां **ताइवान** पलायन कर गईं। दोनों पक्षों द्वारा संपूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया गया।
- प्रारंभ में, USA सहित कई सरकारों ने **ताइवान को एक पृथक देश के रूप में मान्यता** प्रदान की थी। परंतु राजनयिक संबंधों में परिवर्तन के साथ ही USA ने वन चाइना नीति का समर्थन किया।
- **वन चाइना नीति के अनुसार,** चीन (PRC) के साथ **राजनयिक** संबंध स्थापित करने के इच्छुक किसी भी देश को केवल 'वन चाइना' अर्थात् PRC को स्वीकार करना होगा और ताइवान के साथ सभी औपचारिक संबंधों को समाप्त करना होगा।
- ताइवान **संयुक्त राष्ट्र** और **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** का सदस्य नहीं है। परंतु, यह **चीनी ताइपे (Chinese Taipei) (ताइवान) नाम** से विश्व व्यापार संगठन (World trade organisation: WTO) का सदस्य है।
- संयुक्त राष्ट्र के **193 सदस्य देशों में से 179 सदस्य देशों** के ताइवान के साथ **रणनीतिक** संबंध नहीं हैं।

1.3. भारत-बांग्लादेश संबंध (India-Bangladesh Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बांग्लादेश को **भारत-पाकिस्तान युद्ध (वर्ष 1971)** के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। **वर्ष 2021 में इस युद्ध के 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती) पूर्ण हो जाएंगे।**

भारत-बांग्लादेश संबंधों की पृष्ठभूमि

- भारत दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के तुरंत पश्चात् **इसे मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम देशों में से एक** था।
- **व्यापार संबंध:** बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - **व्यापार असंतुलन** को दूर करने हेतु भारत ने **बांग्लादेश के अनेक उत्पादों को शुल्क मुक्त घोषित किया** है। साथ ही, भारत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ **10 एकीकृत चेक पोस्ट** भी विकसित कर रहा है।

© Vision IAS

- **सैन्य सहयोग:** दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा नियमित रूप से **संप्रीति और मिलन जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते** हैं। भारत ने बांग्लादेश को भारत से रक्षा उत्पादों के आयात में वित्तीय सहायतार्थ 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है।
- **कनेक्टिविटी:**
    - दोनों देशों की सरकारों द्वारा वर्ष 1965 के पूर्व भारत और बांग्लादेश के मध्य विद्यमान रेल संपर्क और अन्य कनेक्टिविटी संबंधी संपर्कों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। **उदाहरणार्थ- हाल ही में, भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी के मध्य रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया तथा अखौरा-अगरतला रेल संपर्क पर कार्य प्रगति पर है।**
    - दोनों देश चार दक्षिण एशियाई पड़ोसियों, यथा- **बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया (BBIN)** के मध्य यात्री, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनियमन के लिए **मोटर यान समझौते (Motor Vehicles Agreement: MVA), 2015** के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
    - भारत और बांग्लादेश ने **वर्ष 2015 में चट्टोग्राम (चटगांव) और मोंगला पत्तनों** के उपयोग पर **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए थे। यह मोंगला पत्तन से **जलमार्ग, सड़कों और रेलवे** के माध्यम से **भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में माल-परिवहन की व्यवस्था** पर आधारित था।
- **सीमा प्रबंधन:** भारत, बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वर्ष 2015 में **भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement: LBA)** के अनुसमर्थन और वर्ष 2014 में बंगाल की खाड़ी में **समुद्री सीमा के परिसीमन** ने दोनों देशों के मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया है।
- **पर्यटन:** भारत में रोगों का उपचार कराने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के 35% से अधिक की हिस्सेदारी बांग्लादेश की है। साथ ही, बांग्लादेश, भारत के चिकित्सा पर्यटन के कुल राजस्व में 50% से अधिक का योगदान देता है।

संबंधित तथ्य

भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल {India-Bangladesh Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT)}

- PIWTT के द्वितीय परिशिष्ट में **नए मार्गों को शामिल करने और नए पोर्ट्स ऑफ कॉल** की घोषणा के साथ हस्ताक्षर किए गए।
    - **पोर्ट्स ऑफ कॉल** वे मध्यवर्ती पत्तन हैं, जहां पोत अपनी अनुसूचित यात्रा के दौरान आपूर्ति व ईंधन ग्रहण करने हेतु रुकते हैं।
- PIWWT पर **वर्ष 1972** में हस्ताक्षर किए गए थे और **वर्ष 2015** में इसे पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसके अंतर्गत एक देश के अंतर्देशीय पोत अन्य देशों के निर्दिष्ट मार्गों से पारगमन कर सकते हैं।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (India-Myanmar-Thailand trilateral highway: IMTTH)

- IMTTH वस्तुतः **सीमा-पार राजमार्ग गलियारा** है। इसके तहत **मणिपुर के मोरेह** और **थाईलैंड के माई सोत (Mae Sot) शहर** को जोड़ने का प्रस्ताव है।
- यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक भाग के रूप में प्रारंभ की गई एक अनुदान-सहायता पहल है। इसका उद्देश्य आसियान और भारतीय बाजारों में प्रवेश को सुलभ बनाना तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है।
- इसके वर्ष 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- भारत ने **कंबोडिया, लाओस और वियतनाम** के लिए भी राजमार्गों का विस्तार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अन्य तथ्य

भारत और बांग्लादेश के प्रधान मंत्रियों के मध्य हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- **सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग:** दोनों पक्ष **इच्छामती, कालिंदी, रायमंगोल, हरियाभंगा और कुहसियारा नदियों** के साथ संलग्न सीमाओं के परिसीमन को अंतिम रूप देने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए सहमत हुए।
- **कनेक्टिविटी: हल्दीबाड़ी (भारत) और चिल्हाटी (बांग्लादेश)** के मध्य पुनर्स्थापित किए गए रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया। यह वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के उपरांत से निष्क्रिय था।
    - साथ ही, बांग्लादेश ने **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना** में भी गहरी रुचि व्यक्त की है।
- **जल संसाधन, विद्युत् और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग:** छह संयुक्त नदियों, यथा- **मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दुधकुमार** के जल के बंटवारे पर अंतरिम समझौते की रूपरेखा के शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, **भारत-बांग्लादेश**

मैत्री पाइपलाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई।

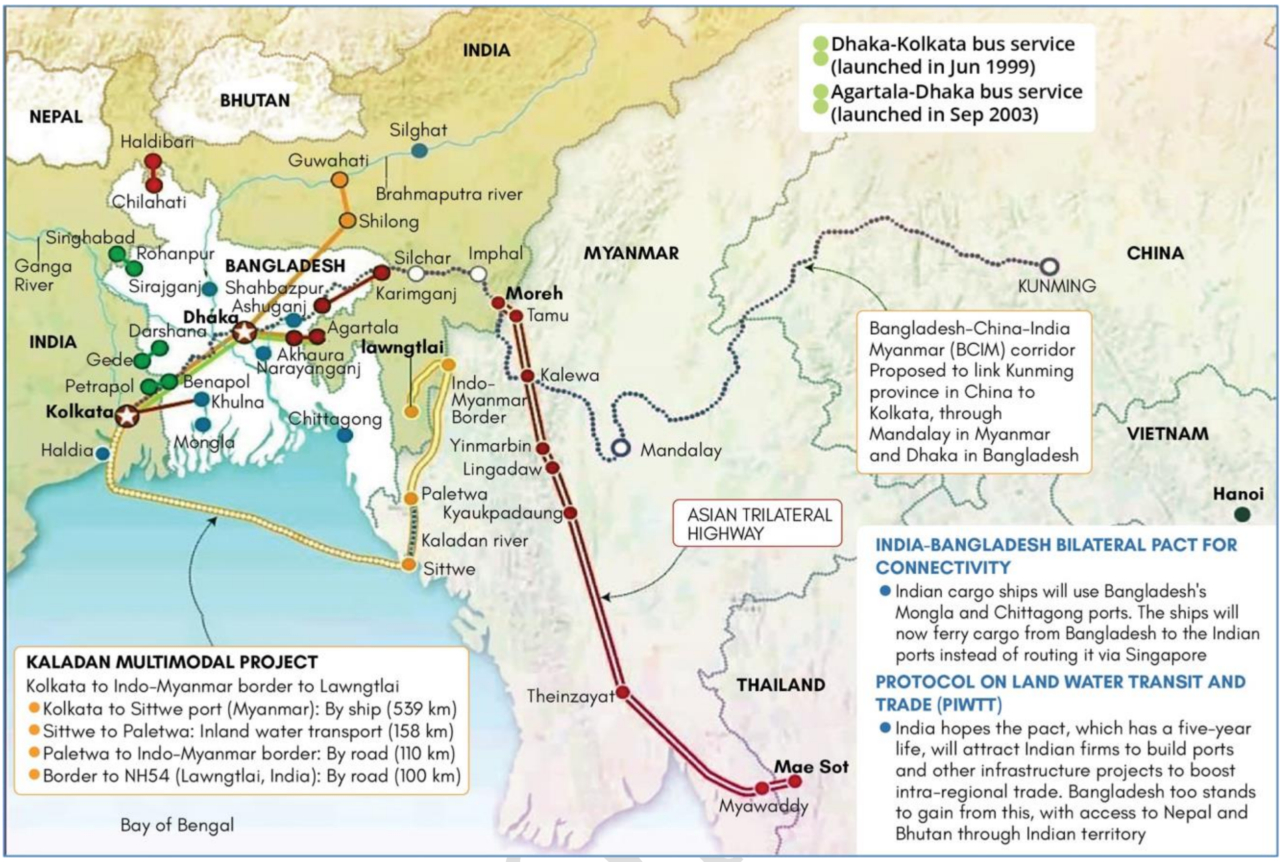

1.4. भारत-नेपाल (India-Nepal)

1.4.1. भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद (Indo-Nepal Territorial Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नेपाल द्वारा एक नव राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है,** जिसमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को उसके संप्रभु क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया गया है।

भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद से संबंधित तथ्य

- भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद **कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा (तीनों उत्तराखंड में)** और **सुस्ता (बिहार)** क्षेत्रों के संदर्भ में विद्यमान हैं।
- **कालापानी क्षेत्र नेपाल और भारत के मध्य विवाद का सर्वप्रमुख विषय है।** उच्च हिमालय अंचल में इस क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 37,000 हेक्टेयर भू-भाग शामिल है।
  - यह उत्तराखंड के **पिथौरागढ़ जिले** के सुदूरतम पूर्वी छोर पर स्थित है।
  - **यह भारत, चीन और नेपाल के एक त्रिसंगम (tri-junction) पर स्थित है,** जो दक्षिण एशियाई कूटनीति में सामरिक महत्व का क्षेत्र है।

© Vision IAS

- बिहार में **सुस्ता** गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। दोनों देशों के मध्य यह विवाद प्रायः गंडक नदी के परिवर्तित प्रवाह के कारण उत्पन्न हुआ है।
- **नेपाल वर्ष 1816 की सुगौली की संधि** (काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हस्ताक्षरित) को सीमा परिसीमन पर एकमात्र प्रामाणिक दस्तावेज़ मानता है।
    - सुगौली की संधि के प्रावधानों के तहत, नेपाल द्वारा सिक्किम, कुमाऊँ, गढ़वाल और पश्चिमी तराई (समतल भूमि) क्षेत्र पर अपना अधिकार त्याग दिया गया था। **मेची नदी** को भारत के साथ **पूर्वी सीमा** के रूप में माना गया, जबकि **काली नदी** (नेपाल में महाकाली के नाम से जानी जाती है) को **उत्तर-पश्चिमी सीमा** के रूप में सीमांकित किया गया।
        - सुगौली की संधि में **गंडक को भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा** के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - नेपाल सीमा का प्रारंभ लिम्पियाधुरा के निकट काली नदी के उद्गम स्रोत से मानता है, जो नदी के शेष प्रवाह की तुलना में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार, **लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी तीनों क्षेत्रों को काली नदी के पूर्व में माना गया है।**
- दूसरी ओर **भारत** का मत है कि सीमा कालापानी से आरम्भ होती है। भारत के अनुसार यही नदी का उद्गम स्थल भी है।
    - काली नदी वसंत ऋतु में लिपुलेख दर्रे के निम्नवर्ती स्थल से उद्गमित होती है और सुगौली संधि इन धाराओं के उत्तरी क्षेत्रों का सीमांकन नहीं करती है।

भारत नेपाल सीमा

- भारत और नेपाल लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं जो **भारतीय राज्यों यथा- पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम से** संलग्न है।
- दोनों देशों द्वारा **वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि** के पश्चात् एक बेहतर रूप से निर्धारित एवं औपचारिक रूप से स्वीकृत "खुली सीमा" को प्रोत्साहित किया गया।
    - एक "खुली सीमा" का तात्पर्य दोनों देशों के नागरिकों की स्वतंत्र और अप्रतिबंधित आवागमन से है।
    - खुली सीमा के कारण दोनों देशों के मध्य बेहतर सामाजिक और व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ, जिसे **'रोटी-बेटी का रिश्ता'** कहा जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

पंचेश्वर बांध परियोजना

- यह एक द्वि-राष्ट्रीय परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल में विद्युत उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था का संवर्धन करना है।
- **यह बांध महाकाली नदी (भारत में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है) पर प्रस्तावित है। यह नदी** भारत (उत्तराखंड) और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है।
- इसे **"महाकाली संधि"** के रूप में जाना जाता है। दोनों देशों द्वारा इस संधि पर वर्ष 1996 में **हस्ताक्षर** किए गए थे। इस संधि का उद्देश्य महाकाली नदी का एकीकृत विकास करना है, जिसमें **शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर बांध परियोजना शामिल** हैं।
- **भारत और नेपाल के मध्य अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं:**
    - **कमला और बागमती बहुउद्देशीय परियोजनाएं।**
    - **सप्त-कोसी उच्च बांध परियोजना और सन-कोसी भंडारण सह विपथन योजना।**
    - **करनाली बहुउद्देशीय परियोजना।**

भारत-नेपाल मैत्री संधि (India-Nepal Friendship Treaty)

- यह संधि:
    - नेपाली नागरिकों को भारत में वर्क परमिट के बिना कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार नेपाली नागरिक भारत में सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं (IFS, IAS, और IPS को छोड़कर) के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
    - नेपाली नागरिकों को भारत में बैंक खाते खोलने और संपत्ति खरीदने की अनुमति देती है।
    - नेपाल को भारत के राज्यक्षेत्र से होकर हथियार और गोला-बारूद आयात करने की अनुमति देती है।
- भारत ने सद्भावना के संकेत के रूप में पारस्परिकता के तहत अपने अधिकारों का परित्याग किया है।
- **नोट:** भारत ने भूटान (वर्ष 1949 में) और बांग्लादेश (वर्ष 1972 में) के साथ भी मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.5. भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan)

1.5.1. गिलगित-बाल्टिस्तान मुद्दा (Gilgit Baltistan Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र पर **पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरूद्ध भारत ने सख्त विरोध दर्ज किया है।**

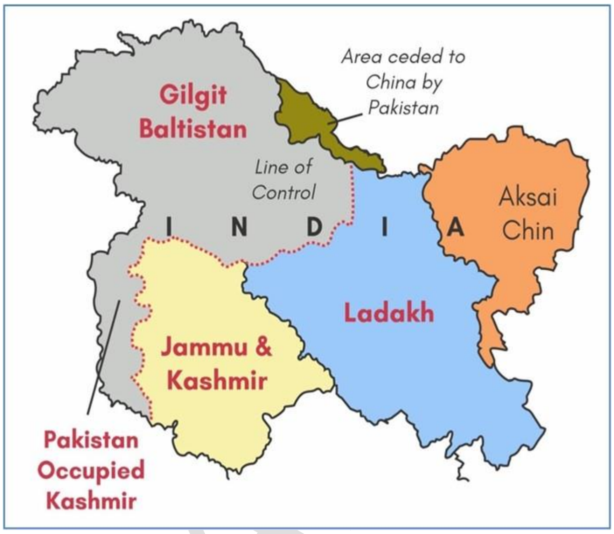

गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बारे में

- यह क्षेत्र **जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था।**
- यह कबायली लड़ाकों और पाकिस्तान सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के पश्चात् **4 नवंबर, 1947** से पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- इसका नाम परिवर्तित कर **'पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र'** कर दिया गया और वर्ष **1949 के कराची समझौते** के माध्यम से इस पर पाकिस्तान की संघीय सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया।
- वर्ष 2009 में **गिलगित बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश** के पश्चात्, 'उत्तरी क्षेत्रों' को **गिलगित-बाल्टिस्तान** के रूप में जाना जाने लगा। इसकी एक विधान सभा और एक परिषद भी है।
- वर्ष 2009 के आदेश को **गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश, 2018** से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- **वर्ष 2018 के आदेश** का उद्देश्य **गिलगित बाल्टिस्तान** को पाकिस्तान के **पांचवें प्रांत** के रूप में शामिल करना और **गिलगित बाल्टिस्तान** को विधायी, न्यायिक तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना है।
  - बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के अन्य चार प्रांत हैं।
- हालांकि, वर्ष 2018 का आदेश **गिलगित बाल्टिस्तान** के लोगों को केवल सीमित मूल अधिकार प्रदान करता है और इसके द्वारा इस क्षेत्र को कोई संवैधानिक दर्जा भी प्रदत्त नहीं है।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत, पाकिस्तान के साथ 3,323 कि.मी. की सीमा साझा करता है। इस सीमा को तीन भागों में बांटा गया है:

- प्रथम को **अंतर्राष्ट्रीय सीमा (International Border: IB)** के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह गुजरात से लेकर जम्मू के अखनूर में चिनाब के उत्तरी तट तक लगभग 2,400 किलोमीटर की लम्बाई में विस्तृत है।
- द्वितीय को **नियंत्रण रेखा (Line of Control: LOC)** के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह जम्मू के कुछ हिस्सों से लेकर लेह के कुछ हिस्सों तक 740 कि.मी. की लम्बाई में विस्तृत है। यह वर्ष 1948 और वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्धों के उपरांत अस्तित्व में आई संघर्ष विराम रेखा है। इसे शिमला समझौते (जुलाई 1972) में निरूपित किया गया था, जिसके तहत दोनों देश इसका उल्लंघन नहीं करने पर सहमत हुए थे।
- तृतीय को **वास्तविक भू-स्थिति रेखा (Actual Ground Position Line: AGPL)** के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह सियाचिन क्षेत्र में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की वर्तमान स्थिति को विभाजित करती है। यह 110 कि.मी. की लम्बाई में NJ 9842 से उत्तर में इंदिरा कॉल तक विस्तृत है।

गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र का महत्व

- **रणनीतिक अवस्थिति: गिलगित बाल्टिस्तान** भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन के प्रतिच्छेदन बिंदु (intersection) पर स्थित है।
- **बृहत् क्षेत्र:** गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से **पांच गुना से भी अधिक है।** इसमें नृजातीय-भौगोलिक रूप से दो भिन्न क्षेत्र शामिल हैं यथा: बाल्टिस्तान (जो लद्दाख का हिस्सा था) और गिलगित।
- **जल और ऊर्जा सुरक्षा:** गिलगित बाल्टिस्तान अपने जल और ऊर्जा संसाधनों के कारण भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व, **सिंधु नदी गिलगित बाल्टिस्तान से ही होकर प्रवाहित होती है।**
  - **सियाचिन ग्लेशियर** जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी GB में ही स्थित हैं। सिंधु नदी की **जलविद्युत क्षमता** भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण सिद्ध करती है।

© Vision IAS

- **चीनी हस्तक्षेप: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा** गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो चीन द्वारा प्रायोजित बहुराष्ट्रीय परिवहन और बुनियादी अवसंरचना संबंधी गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने के लिए भारत की अनिच्छा में वृद्धि करता है।

1.6. भारत-भूटान (India-Bhutan)

1.6.1. भारत-भूटान जल-विद्युत परियोजना (India Bhutan Hydropower Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत एवं भूटान ने जल-विद्युत परियोजना के संबंध में **प्रथम जॉइंट वेंचर के लिए संधि पर हस्ताक्षर** किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **600 मेगावाट की खोलोंगछू (Kholongchu) परियोजना** का निर्माण भूटान के अल्प विकसित पूर्वी क्षेत्र त्राशियांगत्से (Trashiyangtse) में किया जाएगा।
    - इसके **वर्ष 2025 के द्वितीय छमाही में पूर्ण होने की संभावना है।**
    - इस जॉइंट वेंचर के भागीदार **सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (भारत) और ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भूटान)** हैं।
- खोलोंगछू परियोजना वस्तुतः जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत 2,120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए **वर्ष 2014 में सहमत चार अतिरिक्त परियोजनाओं में से एक है। अन्य 3 जॉइंट वेंचर हैं:** बुनाखा (180 मेगावाट), वांगचू (570 मेगावाट) और चमखरछू (770 मेगावाट)।
- अब तक, **भारत ने भूटान में कुल 2,100 मेगावाट क्षमता की 4 जल विद्युत परियोजनाओं** {चुखा (336 मेगावाट), कुरिछु (60 मेगावाट), ताला (1,020 मेगावाट) और मंगदेछु (720 मेगावाट)} का निर्माण किया है।

संबंधित तथ्य

भूटान का 'यति राज्यक्षेत्र (Yeti territory)'

- **भारत ने भूटान के इस राज्यक्षेत्र में सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है।** हाल ही में चीन ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया था।
- यह **अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र,** जो चीन की सीमा से संलग्न है, तक त्वरित पहुंच को सक्षम करेगा।
- यह क्षेत्र सुदूर पूर्वी-भूटान में **सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य (Sakteng Wildlife Sanctuary)** में स्थित है।

1.6.2. चीन ने अब भूटान की पूर्वी सीमा पर अपना दावा पेश किया (China Makes New Claim in Eastern Border with Bhutan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने **पहली बार भूटान के पूर्वी क्षेत्रों को दोनों देशों के मध्य पारस्परिक सीमा विवाद में शामिल किया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- चीन ने पूर्वी भूटान में स्थित **सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य** के लिए **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF) के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान को रोकने का प्रयास** किया है। उसके अनुसार यह एक विवादित क्षेत्र है। हालांकि, चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है।

    - अभी तक, जकरलंग (Jakarlung), पसामलंग (Pasamlung) और डोकलाम (Doklam) पठार क्षेत्र ही दोनों के बीच विवादाग्रस्त इलाके थे। (इन्फोग्राफिक्स देखें)

- भूटान ने सदैव चीन के साथ अपनी सीमा वार्ता में शांति बनाए रखी है और चीन के साथ इसके किसी प्रकार के **औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं हैं।**
    - वर्ष 1984 और वर्ष 2016 के मध्य अब तक दोनों देशों के बीच 24 बार सीमा वार्ताओं (24 rounds of boundary talks) का आयोजन हो चुका है। ये वार्ताएं मुख्य रूप से भूटान के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों पर केंद्रित थीं।
- भारत द्वारा यह चिंता प्रकट की गई है कि **डोकलाम और भूटान के समीप अन्य क्षेत्रों में चीनी उपस्थिति,** चीन को भारत के संवेदनशील क्षेत्रों, यथा- **'चिकन नेक' (chicken's neck) या सिलिगुड़ी गलियारे** के अति निकट लाएगी। भूटान **भारत और चीन के मध्य एक बफर राष्ट्र** के रूप में भी कार्य करता है।
    - वर्ष 2017 में, चीनी सेना ने डोकलाम पठार में घुसपैठ की थी, जो कि भूटानी क्षेत्र है। यह क्षेत्र **भारत, भूटान और चीन के ट्राई-जंक्शन** पर स्थित है।
- वर्ष 2007 की **भारत-भूटान मैत्री संधि (India-Bhutan Friendship Treaty)** दोनों पक्षों को **"अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग करने"** के लिए प्रेरित करती है।

1.7. दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा (South Asia Energy Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय (MEA) के अधीन एक उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की गई है। यह समूह **दक्षिण एशिया ऊर्जा समूह (South Asia Group for Energy: SAGE)** नामक दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा अवसंरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

SAGE के बारे में

- यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में संधारणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए **दक्षिण एशियाई सरकारों तथा ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के मध्य सहभागिता पर आधारित एक संघ** है।
    - इस संघ के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ एनर्जी (DOE) और संयुक्त राज्य अमेरिका की तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, यथा- लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी (LBNL), नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी (NREL) तथा पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लेबोरेटरी (PNNL) शामिल हैं।
- **इसके उद्देश्य हैं:**
    - संपूर्ण दक्षिण एशिया में **ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ावा देना।**
    - रणनीतिक निवेश को सुनिश्चित करने के लिए **USAID के सहभागी सरकारों को महत्वपूर्ण सूचनाएं** उपलब्ध करवाना।
    - **ऊर्जा के माध्यम से एशियाई संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देने (एशिया EDGE) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना। एशिया EDGE** वस्तुतः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सर्वत्र संधारणीय और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों के विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा संचालित एक पहल है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र

- दक्षिण एशिया वस्तुतः एशिया का एक उप-क्षेत्र है। व्यापक तौर पर इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिंद महासागर (उत्तर से दक्षिण) तथा गंगा एवं सिंधु नदी घाटियों (पूर्व से पश्चिम) के मध्य स्थित देश, यथा- **नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव व पाकिस्तान** शामिल हैं।
- यह विश्व की एक चौथाई आबादी और **प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताओं की आश्रयस्थली** है। यू.एस. एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, इस क्षेत्र की **प्राथमिक ऊर्जा खपत** में वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2000 के मध्य 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा आने वाले आगामी तीन दशकों में इसमें 40 प्रतिशत की और वृद्धि होने की संभावना है।
- इस अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए तकनीक और अवसंरचना के विकास तथा ऊर्जा संसाधनों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

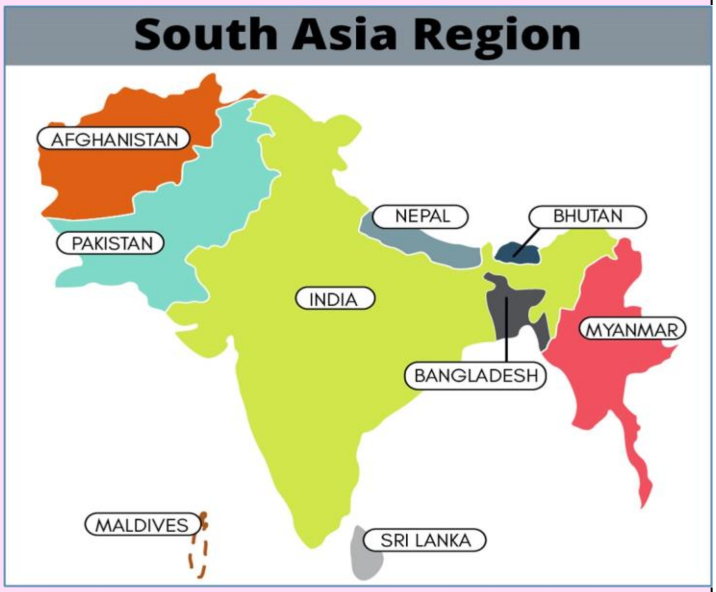

 © Vision IAS

ऊर्जा सहयोग हेतु दक्षिण एशिया में बहुपक्षीय पहलें (Multilateral initiatives in South Asia for energy cooperation)

- ऊर्जा और ईंधन के स्वच्छ स्रोतों तक पहुंच तथा व्यापार और निवेश में वृद्धि के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पहल (South Asia Regional Initiative for Energy Integration: SARI/EI)** आरंभ की गई थी।
  - **इसमें 8 देश शामिल हैं:** अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- सार्क (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन/SAARC) देशों में **क्षेत्रीय ग्रिड के एकीकृत परिचालन** को सुगम बनाने हेतु वर्ष 2014 में सभी सदस्य देशों ने **सार्क ऊर्जा सहयोग (विद्युत) फ्रेमवर्क समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Subregional Economic Cooperation: SASEC) परिचालन योजना 2016-2025:** यह योजना **सदस्य देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका)** के मध्य साझेदारी के लिए चार-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों में से एक के रूप में ऊर्जा (विद्युत) को निर्धारित करती है।

संबंधित तथ्य

हाल ही में भारत और भूटान ने प्रथम जॉइंट वेंचर जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- वर्ष 2008 में सहमत **चार परियोजनाओं** में से एक 600 मेगावाट की **खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना** भी है। बुनाखा (180 मेगावाट), वांगचू (570 मेगावाट) और चमखरछू (770 मेगावाट) अन्य तीन परियोजनाएं हैं।
- इसमें हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम और भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 50:50 की भागीदारी है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी **विद्युत के आयात/निर्यात (सीमा पार) के लिए दिशा-निर्देश-2018,** भारत और पड़ोसी देशों के मध्य विद्युत के आयात/निर्यात की सुविधा प्रदान करते हैं।

पड़ोसी देशों के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग (India's Energy cooperation with neighbouring countries)

- **भारत-भूटान:** दोनों देशों ने वर्ष 2006 में **भारत और भूटान जलविद्युत विकास एवं व्यापार फ्रेमवर्क समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता को विकसित करना था।
  - इसमें **ताला जल विद्युत परियोजना (1,020 मेगावाट)** और **दोर्जीलंग जल विद्युत परियोजना** {**(1,125 मेगावाट)** भूटान, भारत और बांग्लादेश के त्रिपक्षीय सहयोग द्वारा विकसित} जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल है।
- **भारत-नेपाल विद्युत व्यापार:** दोनों देशों ने **वर्ष 2014 में विद्युत व्यापार समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता दोनों देशों को विद्युत आपूर्ति की कमी के दौरान विद्युत क्रय व विक्रय करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
  - वर्तमान में, दोनों देशों के मध्य 22 सीमा पार (cross border) विद्युत विनिमय सुविधा केंद्र परिचालन में हैं।
  - **पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना** के विकास के लिए वर्ष 1996 में **महाकाली संधि** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **भारत-बांग्लादेश विद्युत व्यापार:**
  - दोनों देशों ने **विद्युत और ग्रिड कनेक्टिविटी** के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु वर्ष 2010 में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे।
  - भारत वर्तमान में बांग्लादेश को लगभग 1,200 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करता है, जिसे वर्ष 2021 तक बढ़ाकर 2,500 मेगावाट किया जाना है।
- **भारत-म्यांमार:** वर्तमान में, भारत द्वारा मोरेह (मणिपुर) से तामू (म्यांमार) तक इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से म्यांमार को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

1.8. भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध (India-Maldives Bilateral Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने मालदीव के लिए अनेक नए संपर्क साधनों की घोषणा की है, इसका उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में इस द्वीपीय देश की सहायता करना है।

एयर बबल समझौते (Air bubble agreements)

- "परिवहन बबल्स" (Transport Bubbles) या "वायु यात्रा समझौते" (Air Travel Arrangements) **दो देशों के मध्य अस्थायी व्यवस्था या समझौते हैं।** इनका लक्ष्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबित होने की स्थिति में व्यावसायिक यात्री सेवाओं को पुनः आरंभ करना है।
- इन समझौतों की प्रकृति अन्योन्याश्रित होती है, अर्थात् दोनों देशों की एयरलाइन्स को समान लाभ प्राप्त होते हैं।
- भारत ने **कई देशों के साथ** एयर बबल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। **इनमें** अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव, क़तर, यूनाइटेड अरब अमरीत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं।

उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं (High Impact Community Development Projects: HICDPs)

- HICDPs आजीविका और आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक और बाल सशक्तीकरण, खेल और संधारणीय विकास के क्षेत्र में **उच्च-स्तरीय सामुदायिक प्रभाव और भागीदारी वाली परियोजनाएं** हैं।
- भारत ने **अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान,** भूटान आदि के साथ भी **HICDP पर हस्ताक्षर किया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

घोषित की गई परियोजनाओं में सम्मिलित हैं:

- यात्रा के लिए एक **"एयर बबल समझौता",** एक सीधी वायु परिवहन सेवा और दूरसंचार संपर्क के लिए समुद्री केबल।
- माले को तीन पड़ोसी द्वीपों – विलिंगिली (Villingili), थिलाफूसी (Thilafushi) और गुल्हीफाहू (Gulhifalhu)- से जोड़ने वाले **ग्रेटर माले संपर्क परियोजना (GMCP) को सहयोग प्रदान करने हेतु** 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता। मालदीव में GMCP सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजना होगी।
- **400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता (LoC),** जो वर्ष 2018 में घोषित 800 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता (LoC) के अतिरिक्त है।

मालदीव का सामरिक महत्व

- मालदीव **भारत के पश्चिमी तट के सन्निकट** स्थित है और **इस क्षेत्र में तीसरे देश की नौसैनिक उपस्थिति को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में इसकी क्षमता** इसे भारत के लिए उल्लेखनीय सामरिक महत्व प्रदान करती है।
- **मालदीव** हिंद महासागर से गुजरने वाले **व्यापारिक समुद्री मार्गों के केंद्र पर स्थित हैं। भारत का मात्रा के अनुसार (by volume) 97% और मूल्य के अनुसार (by value) 75%** से अधिक **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** इस क्षेत्र के माध्यम से होता है।
- भारत की महात्वाकांक्षा हिंद महासागर क्षेत्र में **'एकमात्र-सुरक्षा प्रदाता'(Net-security provider)** बनने की है और इसके लिए **मालदीव के साथ सुदृढ़ सैन्य और नौसैनिक संबंध** अनिवार्य है, ताकि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने साथ-साथ अपने पड़ोसी देशों के हितों की रक्षा कर सके।
- चीन वर्ष 2011 में ही **मालदीव में** अपने दूतावास की स्थापना के पश्चात् इस द्वीपीय देश में **अपने प्रभाव में तीव्रता से वृद्धि कर रहा है।** इसलिए, भारत के लिए यह **भू-राजनैतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया** है कि वह मालदीव में अपनी उपस्थिति को बनाए रखे।

© Vision IAS

संबंधित तथ्य

- **ऑपरेशन कैक्टस (वर्ष 1988) के तहत** भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा **मालदीव** में इलम समर्थक समूह द्वारा **सैन्य सत्ता परिवर्तन करने के प्रयास को विफल किया गया था।**
- मालदीव के अनुरोध पर भारत ने वर्ष 2009 से मालदीव में अपनी नौसेना की उपस्थिति को बनाए रखा है। भारतीय सेना और MDNF वर्ष 2009 से **एकुवेरिन युद्धाभ्यास** (मालदीव की भाषा में अर्थ 'मित्र') का आयोजन कर रहे हैं।

1.9. अफ़ग़ानिस्तान में भारत की विकास पहलें (India's Development Efforts in Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा अफगानिस्तान में 8 करोड़ डॉलर की 100 परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **अफ़ग़ानिस्तान में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की है।** साथ ही, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अवसंरचना, सामाजिक कल्याण एवं राजनीतिज्ञों, राजनयिकों तथा पुलिस (इंफोग्राफिक देखें) के प्रशिक्षण आदि जैसे **विविध क्षेत्रों** में भारत द्वारा **व्यापक निवेश किया गया है।**
  - भारत **अफ़ग़ानिस्तान का पांचवां सबसे बड़ा तथा क्षेत्रीय स्तर पर सबसे बड़ा दानदाता देश रहा है।**
- भारत द्वारा अपने क्षेत्रीय प्रसार व भौगोलिक पहुंच को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित क्षेत्रों में **अत्यधिक स्पष्ट वृहद परियोजनाओं** तथा अपेक्षाकृत सुदूर व असुरक्षित क्षेत्रों में **निम्न रूप से स्पष्ट लघु विकास परियोजनाओं** को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- वर्ष-दर-वर्ष, भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में आर्थिक व्यवहार्यता, संधारणीयता व स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अफ़ग़ानिस्तान की संसाधन क्षमता का उपयोग करने के लक्ष्य के साथ, एक **संकीर्ण सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर क्षेत्रीय विश्वास निर्माण,** विकास, शासन तथा व्यापार व निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है।

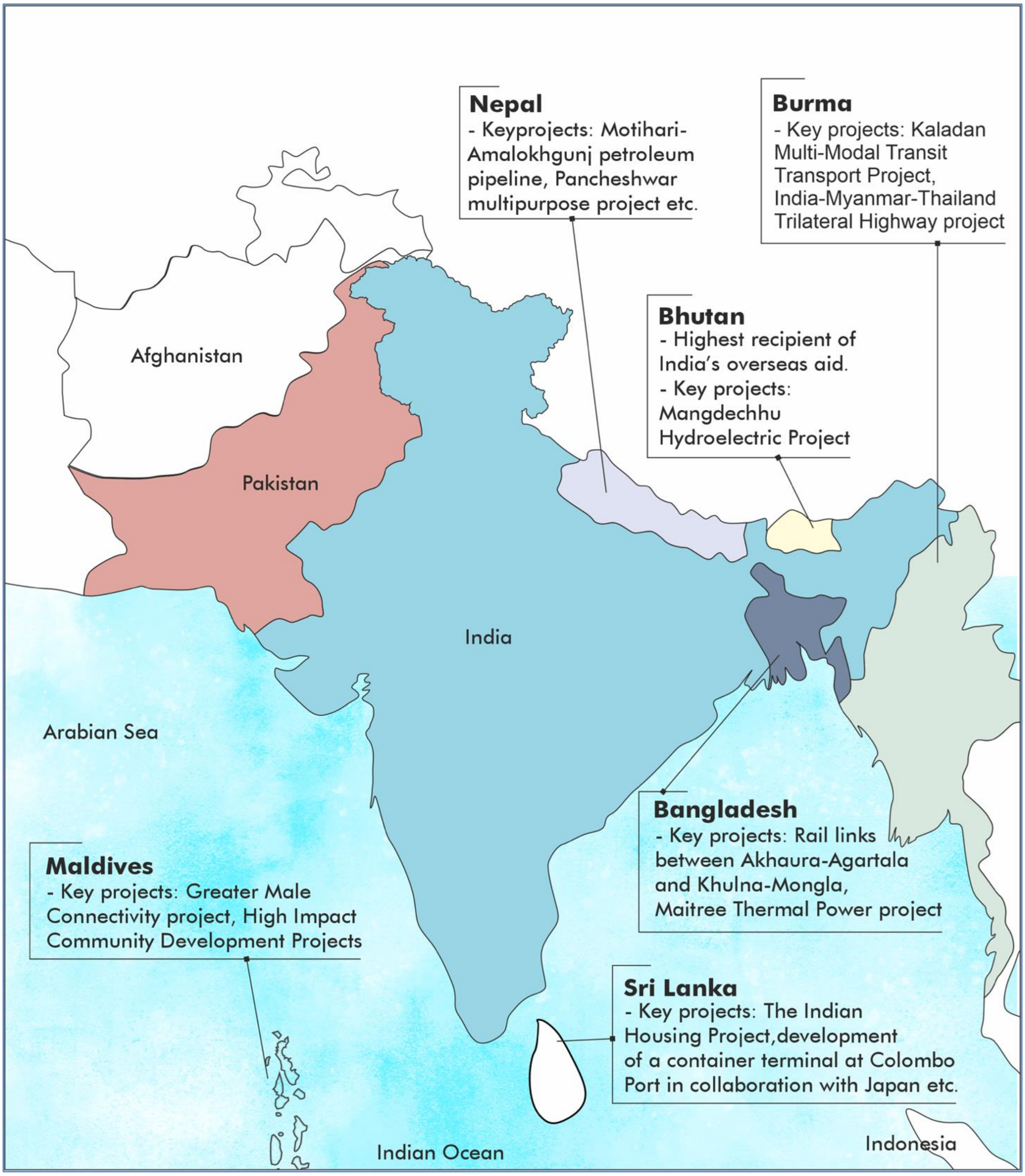
Nepal
- Keyprojects: Motihari-Amalokhgunj petroleum pipeline, Pancheshwar multipurpose project etc.
Burma
- Key projects: Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway project
Afghanistan
Bhutan
- Highest recipient of India's overseas aid.
- Key projects: Mangdechhu Hydroelectric Project
Pakistan
India
Arabian Sea
Bangladesh
- Key projects: Rail links between Akhaura-Agartala and Khulna-Mongla, Maitree Thermal Power project
Maldives
- Key projects: Greater Male Connectivity project, High Impact Community Development Projects
Sri Lanka
- Key projects: The Indian Housing Project,development of a container terminal at Colombo Port in collaboration with Japan etc.
Indian Ocean
Indonesia

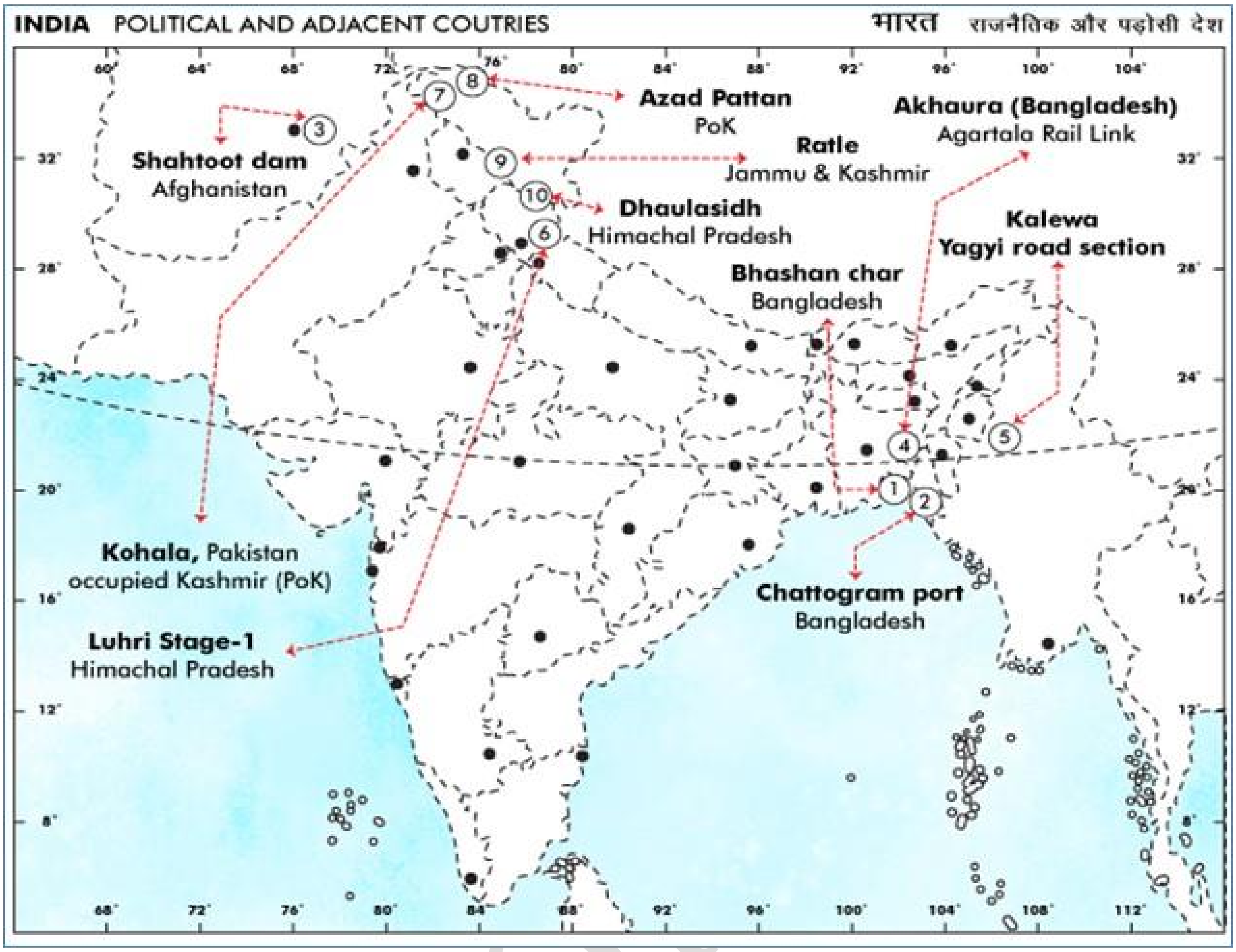

क्र. सं.	अवस्थिति	विवरण
1	भाषण चार द्वीप (Bhashan char), बांग्लादेश	बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप, जहां बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह निर्मित किए हैं।
2	चट्टोग्राम पत्तन (Chattogram port), बांग्लादेश	हाल ही में पहली बार चटोग्राम पत्तन से होकर कोलकाता से अगरतला तक कंटेनर कार्गो की आवाजाही सम्पन्न हुई।
3	शहतूत बांध (Shahtoot dam), अफगानिस्तान	भारत इस बांध का निर्माण काबुल नदी की सहायक नदी मैदान (Maidan river) पर करेगा।
4	अखौरा (बांग्लादेश) - अगरतला रेल संपर्क {Akhaura (Bangladesh) -Agartala Rail Link}	भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांग्लादेश तक चलने वाली प्रथम रेल।
5	कलेवा-यग्नी (Kalewa-Yagyi) सड़क खंड	यह भारत-म्यांमार-थाईलैंड के त्रिपक्षीय राजमार्ग का एक खंड है।
जल विद्युत परियोजनाएं (Hydro Power Projects)		
6	लुहरी चरण -1 (Luhri Stage-1), हिमाचल प्रदेश	यह शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित है।
7	कोहाला (Kohala), पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)	चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत चीन द्वारा इसका निर्माण झेलम नदी पर किया जाएगा।
8	आजाद पट्टन (Azad Pattan), (pok)	चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत चीन द्वारा इसका निर्माण झेलम नदी पर किया जाएगा।
9	रतले (Ratle) , जम्मू और कश्मीर	यह किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर नदी पर रन ऑफ़ रिवर परियोजना है।
10	धौलासिद्ध (Dhaulasidh), हिमाचल प्रदेश	यह व्यास नदी पर रन ऑफ़ रिवर परियोजना है।

2. हिन्द-प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्र (Indo-Pacific and Indian Ocean Region)

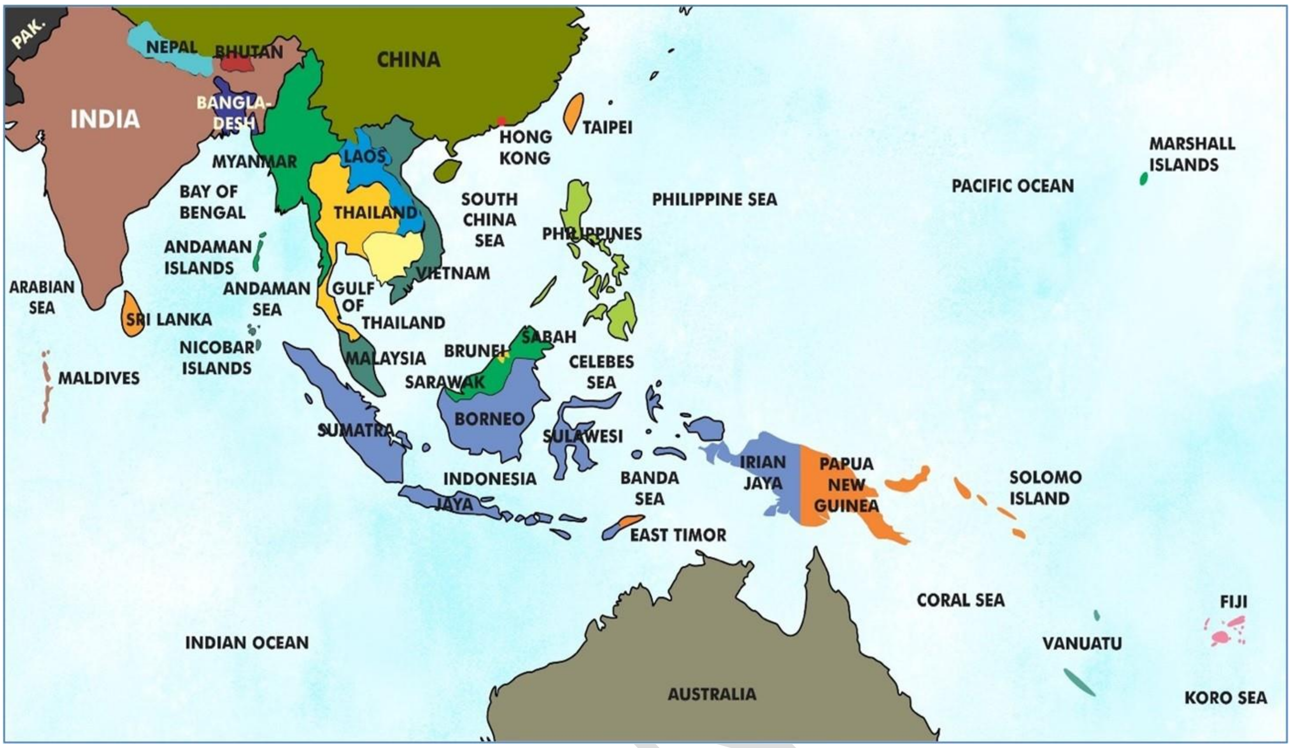

2.1. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo Pacific region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जर्मनी** हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region: IPR) से संबंधित रणनीति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने वाला **दूसरा (फ्रांस के पश्चात्) यूरोपीय राष्ट्र** बन गया है।

हिंद-प्रशांत के बारे में

- हिंद-प्रशांत या इंडो-पैसिफिक एक **भू-राजनीतिक अवधारणा** को संदर्भित करता है, जिसने हालिया वर्षों में अत्यधिक प्रासंगिकता प्राप्त की है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2018 में अपनी पैसिफिक कमान का नाम परिवर्तित कर **यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमान (U.S. Indo-Pacific Command)** कर दिया था।
- वर्ष 2018 में सिंगापुर में **शांगरी ला संवाद में दिए गए प्रधान मंत्री के भाषण में हिंद-प्रशांत पदावली का उल्लेख किया गया था।**
    - शांगरी ला संवाद का आयोजन **अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (International Institute for Strategic Studies: IISS)** द्वारा किया गया जाता है। यह एशिया का **प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन** है। इस शिखर सम्मेलन की बैठक में संबंधित देशों के मंत्रियों द्वारा इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर

इंडो-पैसिफिक ओशन इनीशिएटिव (IPOI)

- इस पहल को नवंबर 2019 में प्रधान मंत्री द्वारा **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit: EAS)** के दौरान **थाईलैंड** में आरम्भ किया गया।
- यह पहल **सात स्तंभों पर केंद्रित है,** जिसमें समुद्री सुरक्षा; समुद्री पारिस्थितिकी; समुद्री संसाधन; क्षमता निर्माण एवं संसाधनों की साझेदारी; आपदा खतरे का न्यूनीकरण और उसका प्रबंधन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षिक सहयोग; तथा व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन सम्मिलित हैं।
    - भारत ने वियतनाम से IPOI के सात स्तंभों में किसी एक में भागीदार बनने का आह्वान किया है।

हिंद-प्रशांत पर आसियान (ASEAN) का दृष्टिकोण

- **हिंद-प्रशांत** क्षेत्र पर आसियान का दृष्टिकोण वस्तुतः **हिंद-प्रशांत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आसियान (ASEAN) केंद्रित सिंद्धांतों की परिकल्पना करता है।** इसके लिए आसियान द्वारा संचालित तंत्रों, जैसे- ईस्ट एशिया समिट (EAS), का उनके स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए हिंद-प्रशांत सहयोग के लिए वार्ता और कार्यान्वयन के मंच के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

© Vision IAS

चर्चा की जाती है। साथ ही, वे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता में भी संलग्न होते हैं और संबंधित समस्याओं का नवीन समाधान खोजने का प्रयास भी करते हैं।

- **भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की व्याख्या अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में करता है।** इस प्रकार इसमें हिन्द और प्रशांत दोनों महासागर शामिल हैं।
  - हालांकि, अन्य देशों, जैसे- जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि की इस क्षेत्र के भौगोलिक आकार को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं हैं।

2.2. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के व्यापार मंत्रियों द्वारा **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर एक पहल आरंभ करने की घोषणा की गई।** हालांकि, इसे सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में स्थित समान विचारधारा वाले देशों को इस पहल में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विषय में

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ऐसे **नेटवर्क हैं**, जिनका वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति (sourcing) एवं आपूर्ति के उद्देश्य से **कई महाद्वीपों व देशों में प्रसार हो सकता है।**
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक स्तर पर **सूचना, प्रक्रियाओं व संसाधनों का प्रवाह सम्मिलित** होता है।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) के बारे में

- यह एक दृष्टिकोण है जो देश को आपूर्ति के संदर्भ में किसी एक अथवा केवल कुछ देशों पर निर्भर होने के बजाय अपने **आपूर्ति जोखिम को आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के एक समूह में विविधिकरण को** सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
- **अप्रत्याशित घटनाएं गंतव्य देश में आर्थिक गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। अप्रत्याशित घटनाओं में** प्राकृतिक घटनाएं, जैसे सुनामी, भूकंप या महामारी; अथवा मानव निर्मित घटनाएं, जैसे किसी क्षेत्र में एक सशस्त्र संघर्ष - जो किसी विशेष देश से आपूर्ति को बाधित करता है या जानबूझकर व्यापार को अवरुद्ध करता है, आदि शामिल होती हैं।
- **उद्देश्य -**
  - **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करने** के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना।
  - भागीदार देशों के मध्य **पारस्परिक रूप से पूरक संबंध स्थापित करना।**

2.3. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India-Australia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्रियों के मध्य प्रथम बार आभासी (virtual) द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- दोनों देश द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी से **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** (Comprehensive Strategic Partnership) की ओर बढ़ेंगे।
- **मौजूदा 2+2 संवाद को वर्तमान सचिव स्तर से उन्नत कर विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तर** तक ले जाया जाएगा, जिनके मध्य **प्रत्येक दो वर्षों में सामरिक वार्ता आयोजित** होगी। भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के साथ पहले से ही 2+2 वार्ता प्रणाली में संलग्न हैं।
- **महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण** के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- **म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट:** यह एक-दूसरे के सैन्य संचालन केंद्रों (bases) का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा तथा रक्षा अभ्यास के माध्यम से सैन्य अंतर-संचालन को बढ़ावा देगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए** एक साझा दृष्टिकोण पर **संयुक्त घोषणा-पत्र** जारी किया गया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का विवरण

पृष्ठभूमि	आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध	रक्षा और सुरक्षा सहयोग	वैश्विक सहयोग
• **शीत युद्ध की अवधि के दौरान, ऑस्ट्रेलिया** संयुक्त राज्य अमेरिका का निकटतम सहयोगी था, जबकि **भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता के विकल्प का चयन** किया गया था। • 21वीं सदी में **परिवर्तित होते वैश्विक परिदृश्य में** ऑस्ट्रेलिया ने भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया था। • दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को **'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) के रूप में** उन्नत किया, जिसमें **वर्ष 2009** में संपन्न **सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा-पत्र** भी शामिल है।	• वर्ष 2018 में, ऑस्ट्रेलिया ने **"एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035"** (An India Economic Strategy to 2035) के कार्यान्वयन की घोषणा की। यह भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को नया स्वरूप प्रदान करने हेतु एक विज़न दस्तावेज़ है। भारत भी इसी तर्ज पर **ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पेपर** (Australia Economic Strategy Paper: AES) नामक एक दस्तावेज़ निर्मित कर रहा है। • दोनों देशों द्वारा एक **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA)** पर वार्ता को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि CECA समझौते पर वार्ता वर्ष 2011 में आरंभ हुई थी व अंतिम वार्ता वर्ष 2015 में संपन्न हुई थी।	• **वर्ष 2014** में दोनों देशों ने **असैन्य परमाणु सहयोग समझौते (Civil Nuclear Cooperation Agreement)** पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। • दोनों देशों द्वारा **पारस्परिक विधिक सहायता संधि** (Mutual Legal Assistance Treaty: MLAT), प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। • समुद्री सुरक्षा सहयोग **ऑसिन्डेक्स 2019** (AUSINDEX 2019), **ऑस्ट्राहिन्द** (AUSTRAHIND), **एक्सरसाइज पिच ब्लैक** (Exercise Pitch Black) और **काकाडू** (Kakadu) द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास (ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित)	• ऑस्ट्रेलिया का **पैसिफिक स्टेप अप** (Pacific Step Up) और भारत का **हिंद-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच** (Forum for India-Pacific Islands Cooperation: FIPIC) दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दोनों के मध्य सहयोग की अभिपुष्टि करता है। • दोनों देश विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जिसमें **क्वाड (QUAD) सुरक्षा संवाद,** इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), आसियान (ASEAN) क्षेत्रीय मंच, G-20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summits) आदि सम्मिलित हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (Forum for India-Pacific Islands Cooperation: FIPIC)

- **FIPIC को वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था।**
- भारत का ध्यान मुख्य रूप से हिंद महासागर पर केंद्रित है, जहां वह एक प्रमुख भूमिका निभाने और अपने रणनीतिक एवं वाणिज्यिक हितों का संरक्षण करने के लिए प्रयासरत है। **FIPIC की पहल, प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।**

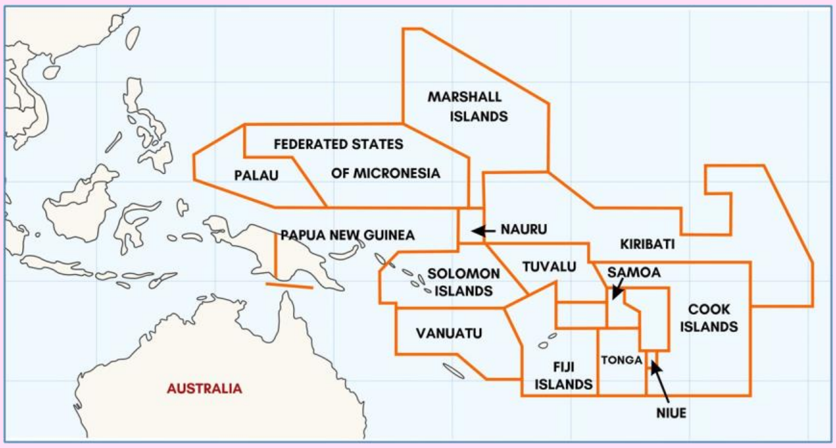

एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035

- यह तीन स्तंभों पर आधारित एक ऐसी रणनीति है जो संधारणीय-दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करती है।
- इसके अंतर्गत भारतीय बाजार में **10 क्षेत्रों और 10 राज्यों की पहचान** की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ उपलब्ध हैं और जहां ऑस्ट्रेलिया को अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

© Vision IAS

- इन्हें एक फ्लैगशिप क्षेत्रक (शिक्षा), तीन अग्रणी क्षेत्रकों (कृषि व्यवसाय, संसाधन और पर्यटन) तथा छह संभावनापूर्ण क्षेत्रकों (ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं, अवसंरचना, खेल, विज्ञान और नवाचार) में विभाजित किया गया है।
- **तीन स्तंभों में सम्मिलित हैं:** आर्थिक संबंध, भू-सामरिक संलग्नता और संस्कृति-सॉफ्ट पावर कूटनीति पर बल।

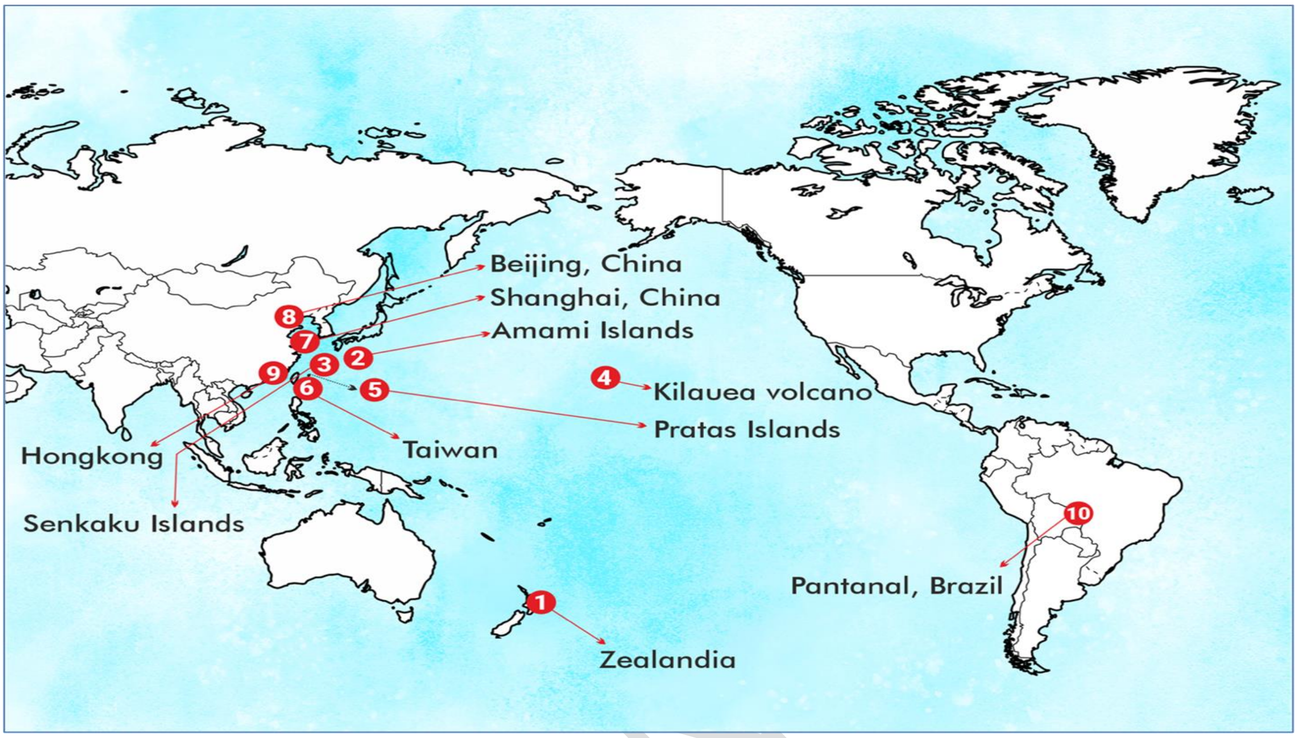

क्र. सं.	स्थान	विवरण
1	ज़ीलैंडिया (Zealandia)	यह आकार में लंबा व संकीर्ण लघु महाद्वीप (microcontinent) है, जिसका अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर में जलमग्न है।
2	अमामि द्वीप समूह (Amami Islands)	यह द्वीप समूह (Archipelago) जापान का भाग है।
3	सेनकाकू द्वीप समूह (Senkaku islands)	पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीपों का समूह जिन पर जापान, चीन और ताइवान द्वारा अधिकार संबंधी दावा किया जाता है।
4	किलाऊआ ज्वालामुखी (Kilauea volcano)	यह हवाई द्वीप के बिग आयलैंड समूह नाम से ज्ञात एक द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ था।
5	प्रतास द्वीप समूह (Pratas Islands)	इसे डोंगशा द्वीप समूह (Dongsha Islands) के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में यह दक्षिण चीन सागर में एक नए विवादित मुद्दे के रूप में उभरा है।
6	ताइवान (Taiwan)	दक्षिण-पूर्वी चीन के तट के निकट अवस्थित है।
7	शंघाई, चीन	यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक) का मुख्यालय स्थित है।
8	बीजिंग, चीन	यहाँ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का मुख्यालय स्थित है।
9	हांगकांग	चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को स्वीकृति प्रदान की है।
10	पैंटानल (Pantanal), ब्राज़ील	यह विश्व की सबसे विशाल आर्द्रभूमि है। यह बोलीविया और पराग्वे में भी विस्तृत है। हाल ही में, यहाँ व्यापक वनाग्नि की घटना घटित हुई थी।

2.4. हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region: IOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (CoDS) ने टिप्पणी की है कि "विश्व, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सामरिक केंद्र स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा का साक्षी रहा है तथा आने वाले समय में इस प्रतिस्पर्धा में और अधिक वृद्धि हो सकती है।"

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के बारे में

- **IOR प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है:**
    - विश्व के कुल अपतटीय **तेल उत्पादन का 40 प्रतिशत** इसी क्षेत्र में होता है।
    - विश्व के कुल **मत्स्य उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत हिंद महासागर बेसिन** से प्राप्त किया जाता है।
    - हिंद महासागर के समुद्र तल पर बड़ी मात्रा में **पॉलीमैटेलिक नोडयूलस (PMNs)** जिसमें निकल, कोबाल्ट, लौह, मैगनीज सल्फाइड, तांबा, जस्ता, चांदी, सीसा, कैडमियम, वैनेडियम आदि धातुएं पायी जाती है।
    - हिंद महासागर के तटीय तलछटों में बड़ी मात्रा में **टाइटेनियम, ज़िरकोनियम, टिन, जस्ता** और अन्य विभिन्न प्रकार के **पृथ्वी के दुर्लभ तत्व** भी पाए जाते हैं।

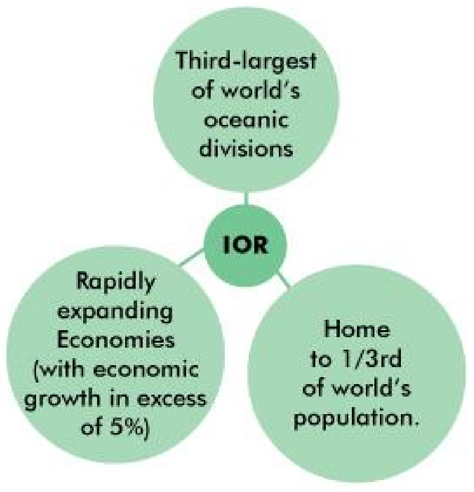

- **भारत ने पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र के लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सम्मिलित हैं-**
    - **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium: IONS):** यह पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी की भांति हिंद महासागर के तटीय देशों का एक क्षेत्रीय मंच है। इसका प्रतिनिधित्व उनके नौसेना प्रमुखों द्वारा किया जाता है। यह हिंद महासागर के तटीय देशों की "नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग बढ़ाने" का प्रयास करता है।
    - **इंडियन ओसन रिम एसोसिएशन (IORA):** यह समुद्री सुरक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक प्रोत्साहन, पर्यटन, संसाधन प्रबंधन एवं संचालन पर बल देता है।
    - **मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian And Disaster Relief Operations):** भारत ने दशकों से स्वयं को हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय त्रासदी की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। इसमें संघर्ष से ग्रस्त क्षेत्रों से भारत और पड़ोसी देशों के नागरिकों को बचा कर लाना भी सम्मिलित है।
    - **मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA):** भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता बनने का महत्वाकांक्षी है। इस दिशा में भारत ने निम्नलिखित पहलें आरंभ की हैं:
        - **सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Centre: IMAC):** भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित यह केंद्र राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार एवं आसूचना (National Command Control Communications and Intelligence: NC3) नेटवर्क का नोडल केंद्र है। यह भारत के बाह्य द्वीपों सहित उसके संपूर्ण समुद्र तटीय क्षेत्र के बारे में वास्तविक समय में सूचना एवं निगरानी प्रदान करता है।
        - **सूचना समेकन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Center for the India Ocean Region: IFC-IOR):** इसका लक्ष्य कई स्रोतों से उत्पन्न विशाल डेटा समूहों का संलयन (समेकन) कर क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र जागरूकता प्रदान करना है।
        - **व्हाइट शिपिंग (वाणिज्यिक असैन्य पोत परिवहन) समझौता** भारतीय नौसेना को वाणिज्यिक यातायात पर डेटा के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। यह समुद्र में परिचालन एवं समुद्र में स्थित पोतों की बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य अपने 23 सदस्य देशों और 9 वार्ता भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और संधारणीय विकास को सुदृढ़ करना है।
- इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं और केंद्रित मुद्दों में शामिल हैं: मत्स्य प्रबंधन, नीली अर्थव्यवस्था, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, समुद्री रक्षा और सुरक्षा आदि।
- इसके सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, यमन और फ़्रांस

शामिल हैं।

हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission: IOC)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह संगठन हिंद महासागर से संलग्न अफ्रीकी देशों को परस्पर संबद्ध करता है। इस संगठन में शामिल देश हैं: **कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन और सेशल्स।**
- IOC में **भारत** को एक **पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा** प्राप्त है।

Power balance in the Indian ocean

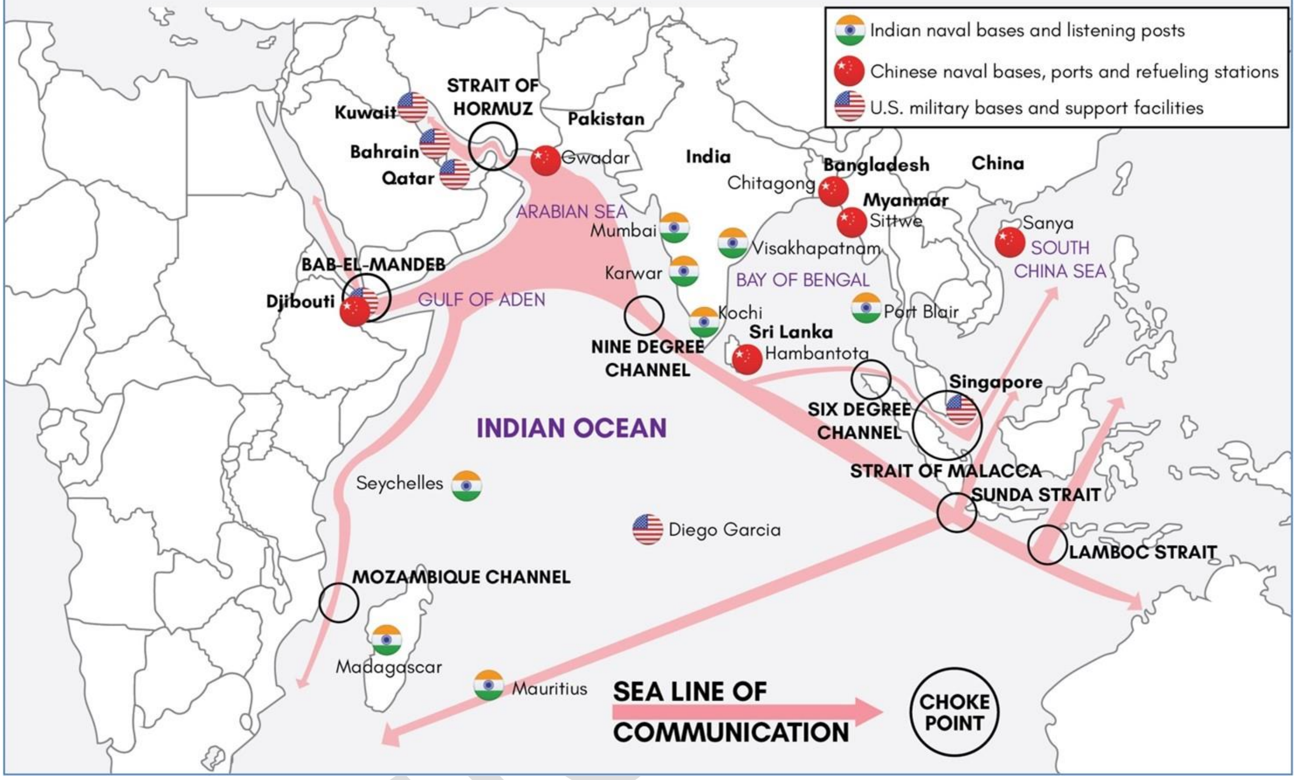

न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

3. भारत एवं मध्य एशिया / रूस (India and Central Asia / Russia)

3.1. भारत-मध्य एशिया संवाद (India-Central Asia Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक डिजिटल वीडियो-सम्मेलन प्रारूप में आयोजित की गई थी, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने भागीदारी की।

भारत-मध्य एशिया संवाद के बारे में

- **भारत पांच मध्य एशियाई देशों,** यथा- कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के साथ इस वार्ता को आयोजित करता है।
    - **तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर** इस वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश, **शंघाई सहयोग संगठन** के भी सदस्य हैं।
- भारत-मध्य एशिया संवाद की पहली बैठक जनवरी 2019 में समरकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित हुई थी।
    - इसके अतिरिक्त, **अफगानिस्तान ने प्रथम और द्वितीय बैठकों** में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया था।
- यह संवाद **राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक, विकास साझेदारी, मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में** भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने, साथ ही साथ आपसी हित के **क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर** विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य बहुपक्षीय मंचों की रूपरेखा के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

अतिरिक्त तथ्य

कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति (Connect central Asia policy)

- भारत ने 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति, को वर्ष 2012 में प्रतिपादित किया था। यह नीति व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष शामिल हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
    - भारत, मध्य एशिया को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए दीर्घकालिक भागीदार के रूप में देखता है। मध्य एशिया में कृषि योग्य व्यापक भू-क्षेत्र उपलब्ध हैं, इसलिए भारत के लिए लाभप्रद फसलों के उत्पादन के साथ-साथ मूल्य वर्धन में भी सहयोग करने की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।
    - शंघाई सहयोग संगठन (SCO), यूरेशियन आर्थिक समुदाय (EEC) और कस्टम यूनियन जैसे मौजूदा मंचों के माध्यम से संयुक्त प्रयासों की सहक्रिया का उपयोग करते हुए अपने **मध्य एशियाई भागीदारों के साथ बहुपक्षीय भागीगरी को बढ़ावा देना।** भारत ने पहले से ही अपने बाजारों को यूरेशियाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करने के लिए एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का प्रस्ताव किया है।
    - परस्पर रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना है।
    - मध्य एशिया के सभी 5 देशों को जोड़ते हुए टेली-शिक्षा एवं टेली-चिकित्सा संबंधी संपर्क व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक **मध्य एशियाई ई-नेटवर्क की स्थापना करना, जिसका केंद्र भारत में होगा।**
    - भू-संपर्क व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को पुनः सक्रिय किया गया है।
    - भारत और मध्य एशिया के युवाओं और भविष्य के नेताओं के मध्य विनिमय पर बल देना।

© Vision IAS

3.2. आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष (Armenia Azerbaijan conflict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नागोर्नो-काराबाख़ (Nagorno-Karabakh)** क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में दशकों पुराना संघर्ष पुनः प्रकट हुआ है।

आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष के बारे में

* नागोर्नो-काराबाख़ (Artsakh-**आर्ट्सख** के नाम से भी जाना जाता है) **अजरबैजान का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हिस्सा है,** परन्तु इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर आर्मेनिया के अलगाववादियों का नियंत्रण है।
    * **सोवियत युग से यह अजरबैजान का क्षेत्र** रहा है।
    * **नागोर्नो-काराबाख़ की बहुसंख्यक आबादी आर्मेनियाई ईसाई लोगों की है,** जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है।
    * नागोर्नो-काराबाख़ क्षेत्र **दक्षिणी काकेशस/ट्रांसकाकेशिया** (दक्षिण-पूर्व यूरोप में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र) **का एक क्षेत्र है, जिसने विभिन्न असहमति के कारणों से अपने आप को एक बड़े समूह या क्षेत्र के रूप में पृथक (breakaway region) कर रखा** है।
* **इतिहास और नृजातीयता** दो कारक हैं, जिन्होंने **नागोर्नो-काराबाख़ क्षेत्र** को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य वर्तमान संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है।
    * **अजरबैजान का दावा है कि** नागोर्नो-काराबाख़ अब-तक के ज्ञात इतिहास में उसके शासन के अंतर्गत रहा है।
    * **जबकि आर्मेनियाई लोग यह दावा** करते हैं कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में काराबाख़ **महान आर्मेनिया साम्राज्य** का हिस्सा था।
* यह मुद्दा इस तथ्य द्वारा और अधिक जटिल हो जाता है कि इन शताब्दियों के दौरान **इस क्षेत्र का शासन कई राजवंशों के अधीन रहा** था तथा साथ ही कई नृजातीय समुदायों का भी इस क्षेत्र पर अधिकार रहा था।
    * **वर्ष 1980** के उत्तरार्ध **में आर्मेनियाई संसद ने नागोर्नो-काराबाख़ को आर्मेनिया में हस्तांतरित करने के लिए मतदान किया था,** परन्तु पतनोन्मुख सोवियत संघ ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था।
    * इसके उपरांत से ही **अजरबैजान की सेनाओं और आर्मेनियाई अलगाववादियों के मध्य संघर्ष होता रहा है।**
* वर्ष 1994 से **यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE) मिन्स्क ग्रुप** की मध्यस्थता द्वारा शांति वार्ताएं आयोजित की जाती रही हैं।

संबंधित तथ्य

मिन्स्क ग्रुप (Minsk Group)

* यह **संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता की मध्यस्थता** करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त निकाय है।
* इसकी अध्यक्षता **फ्रांस, रूस और अमेरिका** द्वारा की जाती है।
* यह यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE) के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
* वर्ष 2007 में **मिन्स्क ग्रुप** द्वारा **मैड्रिड सिद्धांतों (Madrid Principles)** को प्रस्तुत किया गया था।
    * ये सिद्धांत नागोर्नो-काराबाख़ में **संघर्ष के** शांतिपूर्ण **समाधान के लिए व्यावहारिक सुझावों की एक श्रृंखला हैं।**
    * इसमें **आर्मेनिया से नागोर्नो-काराबाख़ से अपनी सेना को वापस हटाने** के लिए कहा गया है, जिसके प्रतिफल में अजरबैजान **नागोर्नो-काराबाख़ को वास्तविक स्वायत्तता** प्रदान करेगा।

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (Collective Security Treaty Organization) के बारे में

- यह **रूस के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है,** जो बाह्य आक्रमण की स्थिति में सदस्य देश की सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
  - **सामूहिक सुरक्षा** का अर्थ है कि किसी भी एक सहयोगी देश पर आक्रमण को सभी सहयोगी देशों पर आक्रमण माना जाएगा।
- यह संगठन **सामूहिक सुरक्षा संधि (Collective Security Treaty)** के परिणाम के रूप में सामने आया है, जिस पर ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- **सदस्य:** आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और ताजिकिस्तान।

क्र. सं.	स्थान	विवरण
1	बेलारूस (Belarus)	बेलारूस में नए लोकतांत्रिक नेतृत्व और आर्थिक सुधार की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है।
2	काला सागर (Black Sea)	तुर्की ने काला सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है।

© Vision IAS

4. भारत और पश्चिमी एशिया (India and West Asia)

4.1. चाबहार-जाहेदान रेलवे लाइन (Chabahar-Zahedan Railway Line)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, ईरान ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत के सहयोग के बिना **चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान तक रेलवे लाइन** के निर्माण कार्य को स्वयं आगे बढ़ाएगा। ज्ञातव है कि ज़ाहेदान ईरान-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में, भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे (International Transport and Transit Corridor) की स्थापना के लिए **त्रिपक्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
    - पारगमन और परिवहन गलियारा, भारतीय वस्तुओं को पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किए बिना, ईरान के माध्यम से अफ़ग़ानिस्तान तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यह गलियारा वर्ष 2009 में भारत द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में निर्मित **जरंज-डेलारम राजमार्ग** (Zaranj-Delaram highway) का एक पूरक है।

- इस समझौते के तहत भारत, **चाबहार बंदरगाह के विकास** के साथ-साथ अफ़ग़ानिस्तान को बंदरगाह से जोड़ने वाले एक स्थल मार्ग के निर्माण हेतु भी प्रतिबद्ध है।
- **चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे लाइन के निर्माण** के लिए अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत ने ईरान के साथ कुछ अन्य समझौते भी किए थे। ज्ञातव्य है कि यह रेलवे लाइन चाबहार बंदरगाह से ईरान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा तक यात्रा में लगने वाले समय को कम कर सकती है।
    - इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत के इरकॉन (IRCON) (रेल मंत्रालय से संबंधित विशेष निर्माण संगठन) और ईरान की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (CDTIC) द्वारा एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

चाबहार बंदरगाह के बारे में

- यह तेल संपन्न राष्ट्र **ईरान** के मकरान तट पर सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है।

* इसे **भारत, ईरान एवं अफ़ग़ानिस्तान** द्वारा विभिन्न माध्यमों से वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
* यह बंदरगाह भारत की भौगोलिक सीमा के काफी निकट स्थित है। गुजरात के कांडला पत्तन से चाबहार की दूरी लगभग 1,000 किलोमीटर है एवं चाबहार से मुंबई की दूरी लगभग 1,450 किलोमीटर है।
* चाबहार में **दो टर्मिनल** हैं - **शाहिद कलंतारी** एवं **शाहिद बहिश्ती** (इसे चाबहार बंदरगाह का प्रथम चरण भी कहा जाता है)।
* **शाहिद बहिश्ती** को भारत, अफ़ग़ानिस्तान एवं ईरान द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जा रहा है। यह कार्य **त्रिपक्षीय पारगमन समझौता** के अनुसार हो रहा है, जिस पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किया गया था। इसके अनुसार,
  * **भारत को चाबहार में शाहिद बहिश्ती पोर्ट** पर दो टर्मिनल एवं पांच बर्थ विकसित करने एवं उन्हें संचालित करने के लिए 10 वर्षीय पट्टा प्रदान किया जाएगा।
  * भारत और ईरान, **चाबहार एवं जाहेदान** (अफ़ग़ानिस्तान की सीमा के निकट स्थित) के बीच एक रेल नेटवर्क विकसित करेंगे।
  * इससे भारत को, **अफ़ग़ानिस्तान के लिए वस्तुओं की आपूर्ति (निर्यात) करने हेतु विधिक सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा।**

चाबहार बंदरगाह से भारत की कनेक्टिविटी (संयोजकता अर्थात् समुद्री एवं सड़क संपर्क) क्यों सामरिक महत्व रखती है?

* **भारत के लिए मध्य एशिया एवं यूरोप का प्रवेश द्वार:** चाबहार बंदरगाह इन क्षेत्रों से भारत को सीधे रूप से जोड़ता है। इसके माध्यम से भारत को पाकिस्तान से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चाबहार बंदरगाह को **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transportation Corridor: INSTC)** से जोड़ा जाएगा, जो यूरेशिया के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाकर 170 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाएगा। वर्तमान में INSTC ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से लेकर रूस तक विस्तारित है।
  * चाबहार बंदरगाह को **अश्गाबात समझौते** के तहत प्रस्तावित **पारगमन गलियारे** (transit corridor) से भी जोड़ा जा सकता है। अश्गाबात समझौते में **मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी के मध्य वस्तुओं के पारगमन एवं परिवहन** की सुविधा का प्रावधान है।
* **भारत-ईरान-अफ़ग़ानिस्तान के मध्य व्यापार के अवसर में वृद्धि।**
* **चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) का एक संभावित विकल्प:** उज़्बेकिस्तान के अतिरिक्त, मध्य एशिया के अन्य देशों ने भी इस बंदरगाह के प्रयोग में रुचि दिखाई है। क्योंकि चाबहार बंदरगाह उनके समुद्री व्यापार के लिए हिंद महासागर तक पहुँचने का सबसे छोटा मार्ग है। अब तक, वे तुर्की, रूस, बाल्टिक देशों, ईरान (बंदर अब्बास) एवं चीन स्थित बंदरगाह सुविधाओं पर आश्रित हैं।

4.2. अब्राहम समझौता (Abraham Accord)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तथा बहरीन ने अमेरिकी मध्यस्थता (US-brokered) वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे **'अब्राहम समझौते'** के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध स्थापित करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

* समझौते के अनुसार, यूएई एवं इजराइल औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे तथा बदले में, इजराइल अधिकृत वेस्ट बैंक की बस्तियों को इजराइल में जोड़ने की अपनी योजना को 'स्थगित' कर देगा।
  * इसके साथ ही, इजराइल के साथ राजनयिक एवं आर्थिक संबंध स्थापित करने वाला **यूएई पहला खाड़ी देश बन**

© Vision IAS

जाएगा।

- **खाड़ी देशों में,** सात अरब राज्य हैं जो **फारस की खाड़ी** की सीमा के साथ संलग्न हैं, अर्थात् **बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब एवं यूएई।**
- यूएई मिस्र (1979 में) एवं जॉर्डन (1994) के बाद इज़राइल को मान्यता देने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया है।

- कई दशकों से, अनेक अरब एवं मुस्लिम-बहुल राज्यों के बीच एक सहमति रही है कि वे तब तक इज़राइल के साथ शत्रुता की स्थिति को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक कि वह फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत नहीं होता।

अरब-इज़राइल संघर्ष के विषय में

- **हुसैन-मैकमोहन (1915) पत्राचार** में उस्मानिया साम्राज्य (Ottoman Empire) के विरोध में अरब सहायता के लिए एक स्वतंत्र अरब राज्य को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त था।
- 1917 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फ्रांस (1916) के साथ **साइक्स-पिकॉट समझौते** (Sykes-Picot Agreement) के पश्चात् अंग्रेजों ने उस्मानिया साम्राज्य से फिलिस्तीन का अधिग्रहण कर लिया।
- बाद में **बाल्फोर घोषणा (1917)** में ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए राष्ट्रीय भूमि के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना का संकल्प लिया।
- ब्रिटिश मैंडेट की अवधि में फिलीस्तीनी मैंडेट में यहूदियों के आव्रजन में वृद्धि देखी गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राज्य की मांग को गति दी। इसके कारण अरबों एवं यहूदियों के मध्य संघर्ष हुआ, अर्थात् इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष एवं अरब-इज़राइल युद्ध।
- **1947 में, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को अरब एवं यहूदियों के मध्य विभाजित करने के लिए मतदान हुआ।**
    - यहूदी नेतृत्व ने समझौते को स्वीकार किया, जबकि अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
    - परिणामतः, अरब देशों - **मिस्र, जॉर्डन, इराक, लेबनान एवं सीरिया** ने मिलकर इज़राइल पर हमला कर दिया।

वेस्ट बैंक के बारे में

- यह **जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है** तथा यह उत्तर, पश्चिम व दक्षिण में इज़राइल से घिरा हुआ है। पूरब में जॉर्डन है।
- 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के पश्चात् से **वेस्ट बैंक पर इज़राइल ने कब्जा** कर लिया है। इज़राइल एवं फिलिस्तीन, दोनों वेस्ट बैंक के क्षेत्र में अपने अधिकारों का दावा करते हैं।
- वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी **इज़राइल के सैन्य शासन में रहते हैं, साथ ही उनका सीमित स्व-शासन** भी है।
- वेस्ट बैंक में सैन्य चौकियों के साथ-साथ, कुछ **132 इजराइली बस्तियों तथा 124 अनधिकृत बस्तियां** भी हैं।

- **इज़राइल** की युद्ध में जीत हुई। इज़राइल ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया तथा फिलिस्तीन को केवल गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक तक सीमित कर दिया।
    - यह फिलिस्तीन शरणार्थी संकट का आरंभ था, जिसने अंततः 1964 में **फिलिस्तीन मुक्ति संगठन** (Palestine Liberation Organization - PLO) का निर्माण किया।
- **1956, 1967 (छः-दिवसीय युद्ध) एवं 1973 (योम किप्पर युद्ध) में इज़राइल एवं अरब देशों के मध्य हुए कई युद्धों** के पश्चात्, 1993 में PLO ने इज़राइल के साथ **ओस्लो (OSLO) समझौते** पर हस्ताक्षर किए, जो वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी अंतरिम सरकार का प्रावधान करता है। (यद्यपि, इज़राइल पीछे हट गया एवं फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मानने से इनकार कर दिया)

- इसके बाद, अधिकृत वेस्ट बैंक में इज़राइल द्वारा **बस्तियों** की स्थापना से यह मुद्दा और जटिल हो गया।
- 2011 में फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनयिक अभियान आरंभ किया। उसी वर्ष, इसे **एक पूर्ण सदस्य के रूप में यूनेस्को में सम्मिलित** किया गया था, यद्यपि स्वतंत्र राष्ट्र होने के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष अभी भी जारी है।

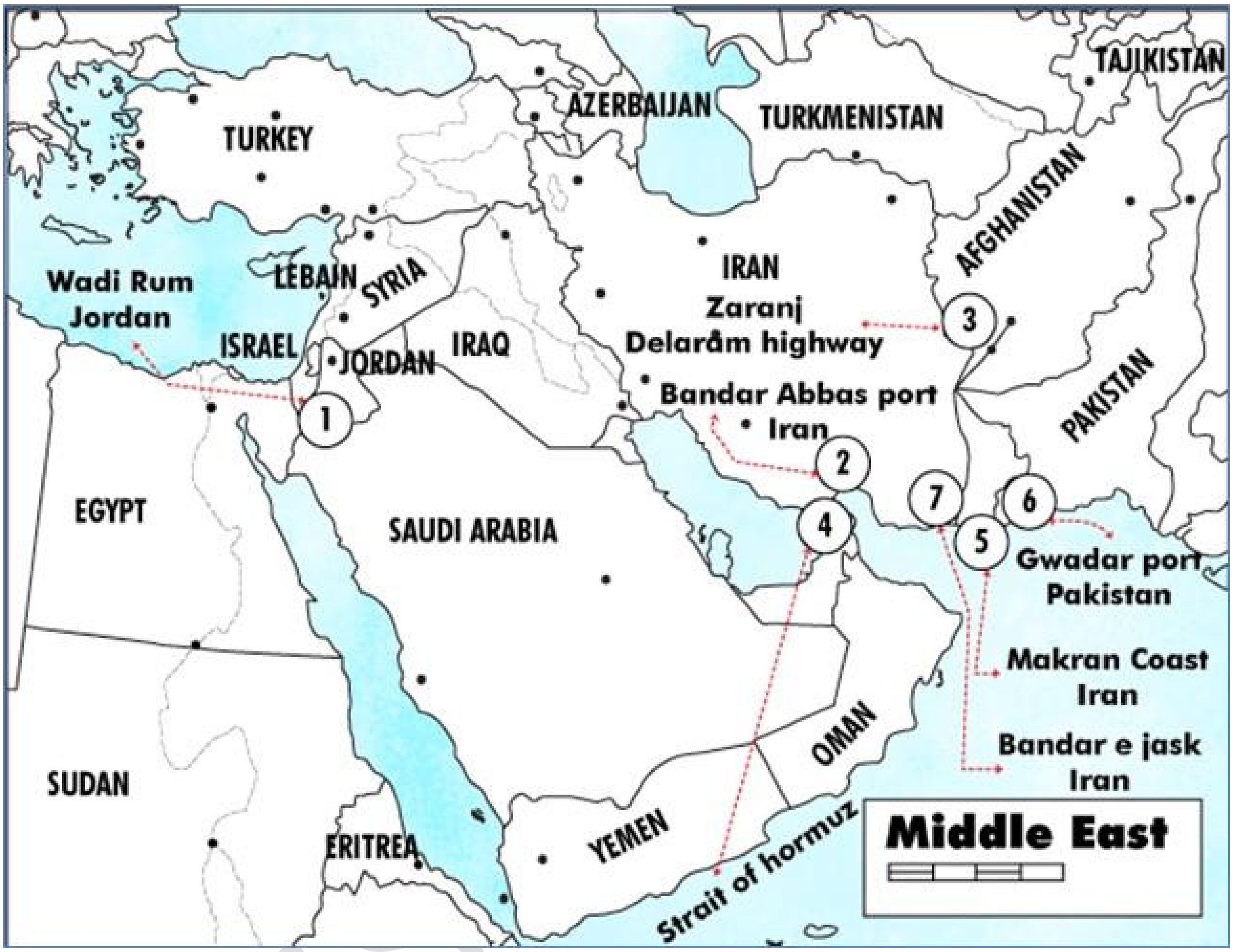

क्र.सं.	स्थान	विवरण
1	वादी रम (Wadi Rum), जॉर्डन	यह जॉर्डन के सुदूर दक्षिण में स्थित एक रेगिस्तान है, जिसे "वैली ऑफ़ मून" भी कहा जाता है।
2	बंदर अब्बास बंदरगाह (Bandar Abbas port), ईरान	INS जलश्वा ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ईरान के फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए इस बंदरगाह से प्रस्थान किया था।
3	जरांज-देलाराम (Zaranj-Delaram) राजमार्ग	यह भारत-अफगानिस्तान-ईरान परिवहन और व्यापार गलियारे का हिस्सा है।
4	होर्मुज़ जलसंधि (Strait of hormuz)	यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ जोड़ती है।
5	मकरान तट (Makran Coast), ईरान	चाबहार बंदरगाह, सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत (Sistan-Balochistan province) के मकरान तट पर स्थित है।

6	ग्वादर बंदरगाह (Gwadar port), पाकिस्तान	इसे चीन द्वारा विकसित किया गया है।
7	बंदर-ए-जस्क (Bandar e jask), ईरान	यह चाबहार के निकट स्थित सामरिक पत्तन (Strategic port) है।

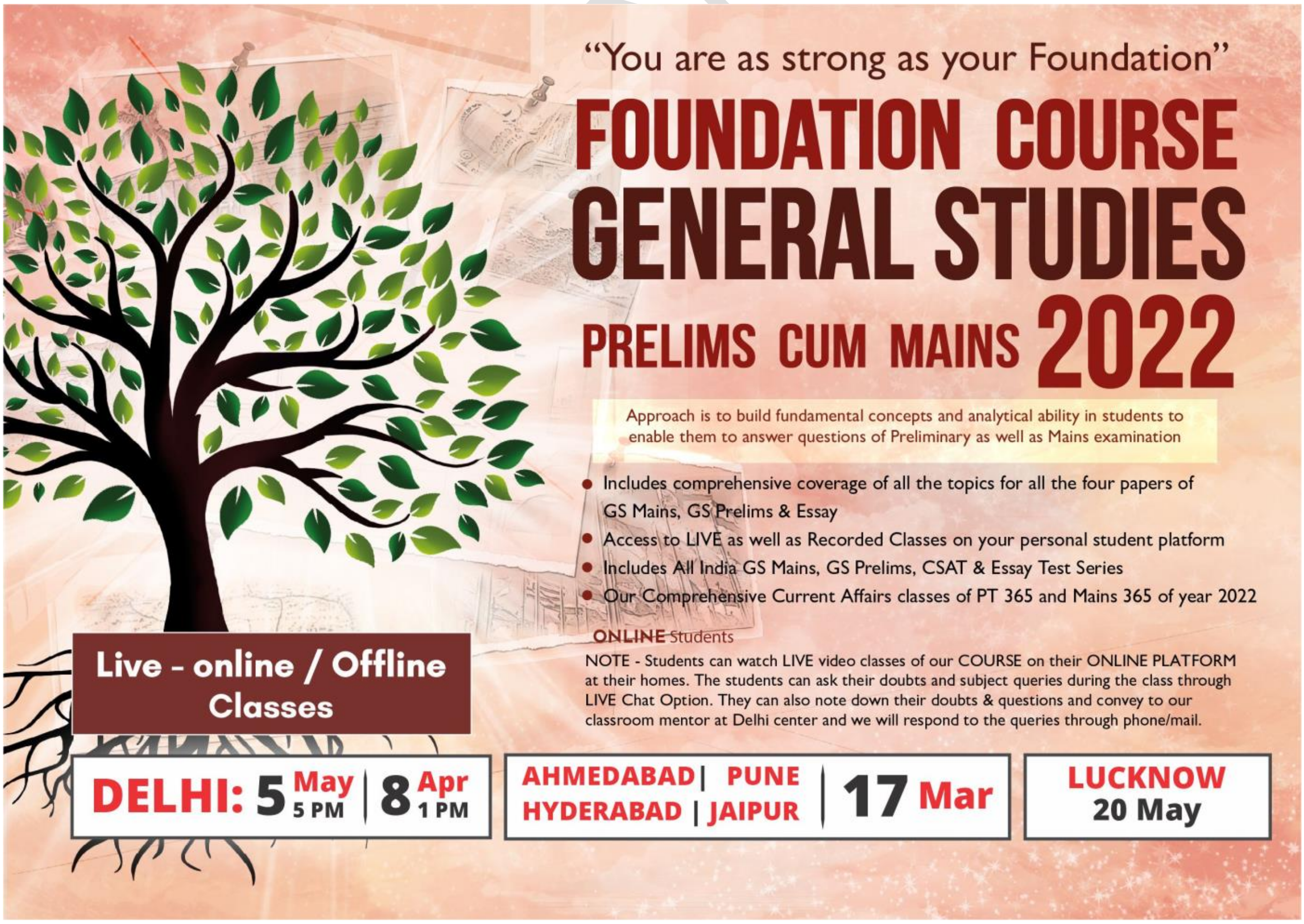

5. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

5.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा समझौता (India-US Defence Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता के तीसरे दौर के दौरान भारत व अमेरिका द्वारा एक युगांतरकारी रक्षा समझौते, यथा- **बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते (Basic Exchange and Cooperation Agreement: BECA)** पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- **"2+2 वार्ता"** एक पद है, जो **दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के मध्य एक संवाद तंत्र** की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य सामरिक और सुरक्षा हितों पर विचार-विमर्श करना है। भारत ने **अन्य क्वाड (Quad) देशों यथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ** भी 2+2 वार्ता तंत्र स्थापित किया है।
- **तीसरी बैठक की मुख्य विशेषताएं**
  - **रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाना: बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते (BECA) पर हस्ताक्षर किए गए।**
  - **अमेरिका-भारत द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना:** हस्ताक्षर के लिए कुछ प्रमुख समझौते-
    - पृथ्वी विज्ञान (Earth Sciences) पर तकनीकी सहयोग।
    - परमाणु सहयोग पर जारी व्यवस्था का विस्तार।
    - डाक सेवाओं पर समझौता।
    - आयुर्वेद और कैंसर शोध में सहयोग।
- **कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग:** मंत्रियों ने वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित, प्रभावी और वहनीय **कोविड-19 की वैक्सीन और उपचार** उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

चार मौलिक समझौते हैं:

भू-स्थानिक आसूचना के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA for Geospatial Intelligence)	• BECA भारत और अमेरिकी सेनाओं को **एक दूसरे के साथ भू-स्थानिक और उपग्रह द्वारा प्रेषित डेटा साझा करने** की अनुमति प्रदान करेगा। इसके तहत निम्नलिखित का आदान-प्रदान किया जाएगा: ○ मानचित्र, चार्ट, वाणिज्यिक और अन्य अवर्गीकृत चित्र। ○ भू-गणितीय (Geodetic), भू-भौतिकी (geophysical), भू-चुंबकीय (geomagnetic) और गुरुत्वाकर्षण संबंधी डेटा (gravity data)। ○ मुद्रित या डिजिटल रूप में संबंधित उत्पाद, प्रकाशन और सामग्री। ○ परस्पर तकनीकी सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान। • यह भारत को अमेरिका की उन्नत भू-स्थानिक आसूचना का उपयोग करने तथा **मिसाइलों एवं सशस्त्र ड्रोन जैसी स्वचालित प्रणालियों और हथियारों की सटीकता को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।** • इस पर वर्ष 2020 में हस्ताक्षर हो गए हैं।
लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement: LEMOA)	• LEMOA दोनों देशों को **ईंधन आपूर्ति और मरम्मत (replenishment) के लिए एक-दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधा केंद्रों तक पहुंच प्रदान करता है।** • इस समझौते के दायरे में प्राथमिक रूप से **चार क्षेत्र** होंगे यथा– पोर्ट कॉल्स (port calls), संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण एवं **मानवीय सहायता तथा आपदा राहत।** दोनों पक्ष विषय या मामले के आधार पर अन्य आवश्यकताओं पर भी सहमत हों सकेंगे। • **भारतीय भूमि पर अमेरिकी सेनाओं या संपत्तियों का कोई आधार-स्थल या अड्डा नहीं होगा।** यह विशुद्ध रूप से एक **रसद आधारित (logistical) समझौता** है। ○ भारत रसद सहयोग के लिए संपूर्ण विश्व में विस्तृत अमेरिकी प्राप्त कर सकता

© Vision IAS

	है और अमेरिका, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर परिचालनरत है, भारतीय सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। • **इस पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे।**
संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement: COMCASA)	• COMCASA, **संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन** (Communications and Information Security Memorandum of Agreement: CISMOA) का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है। • यह **दोनों पक्षों को एक ही संचार प्रणाली पर कार्य करने की अनुमति देता है और सेनाओं के "अंतर-प्रचालन (interoperable)" वाले परिवेश को सक्षम बनाता है।** • यह **अमेरिकी पक्ष को विधिक प्रारूप प्रदान करता है, ताकि वह अपने संवेदनशील संचार उपकरणों और कूटों (Code)** की **वास्तविक समय परिचालन सूचना (realtime operational information)** के स्थानांतरण में सक्षम हो सके। • COMCASA, भारत को C-17, C-130 और P-8Is जैसे अमेरिकी मूल के सैन्य प्लेटफॉर्म्स हेतु **कूटबद्ध (encrypted) संचार स्थापित करने के क्रम में विशेष उपकरण हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करता है।** • **इस पर वर्ष 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा यह 10 वर्ष तक वैध है।**
सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता (General Security Of Military Information Agreement: GSOMIA)	• यह **भारत और अमेरिका के मध्य** अधिक से अधिक **आसूचना साझाकरण प्रयासों को बढ़ावा देता है।** हाल ही में, GSOMIA के लिए दोनों देशों ने औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (Industrial Security Annex: ISA) पर हस्ताक्षर किए हैं। • ISA, **अमेरिकी और भारतीय रक्षा उद्योगों के मध्य गोपनीय सैन्य सूचनाओं** के आदान-प्रदान और संरक्षण हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। • GSOMIA के अंतर्गत, ऐसी सूचनाओं का विनिमय सरकारी अधिकारियों के मध्य किया जाता है। • **इस पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे।**

5.1.1. संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी {U.S.-India Strategic Energy Partnership (SEP)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी (Strategic Energy Partnership: SEP) की आभासी मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस SEP की स्थापना वर्ष 2018 में **सहयोग के चार प्राथमिक स्तंभों, यथा- विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता; तेल व गैस; नवीकरणीय उर्जा; और संधारणीय विकास** के आधार पर दोनों पक्षों में अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने हेतु की गई थी।

प्रमुख निष्कर्ष:

- **सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves: SPR)** के परिचालन और रखरखाव के संबंध में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत द्वारा सयुंक्त राज्य अमेरिका के SPR में तेल के भंडारण की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (US-ISPF) का तीसरा शिखर सम्मेलन संपन्न {US-India 2020 Summit of US-India Strategic Partnership Forum (US-ISPF)}

- हाल ही में, प्रधान मंत्री द्वारा इस **शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है।**
- इस सम्मेलन के अंतर्गत **भारतीय गैस बाज़ार में उपलब्ध अवसरों, व्यवसाय करने की सुगमता, तकनीकी क्षेत्र में साझा अवसर और चुनौतियों आदि पर** चर्चा की गई है।
- US-ISPF **एक गैर-लाभकारी संगठन है।** यह संगठन भारत और अमेरिका के मध्य साझेदारी को बनाए रखने हेतु कार्यरत है।

  - सयुंक्त राज्य अमेरिका की SPR क्षमता 714 मिलियन बैरल की है, जबकि भारत की SPR क्षमता केवल 38 मिलियन बैरल की है।
- हाइड्रोजन उत्पादन की लागत कम करने हेतु प्रौद्योगिकियों के संवर्धन में सहायता करने के लिए **सार्वजनिक-निजी हाइड्रोजन टास्क फ़ोर्स** की स्थापना की गयी है।

भारत-सयुंक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा सहयोग

- **पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी (PACE):** यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और परिनियोजन के माध्यम से समावेशी तथा निम्न कार्बन वृद्धि में तीव्रता लाने पर आधारित है।
- **ऊर्जा तंत्र (पॉवर सिस्टम) का आधुनिकीकरण:** उन्नत व उच्च दक्षता वाली कोयला प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग, भारत में स्मार्ट ग्रिड्स के लिए "ग्लोबल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस" की स्थापना आदि।
- **"सुरक्षा और दक्षता के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु एयर कंडीशनिंग का रेट्रोफिट" (Retrofit of Air Conditioning to Improve Air Quality for Safety and Efficiency: RAISE) कार्यक्रम:** यह स्वस्थ और ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए एक पहल है।
- दोनों देशों के मध्य वर्ष 2019-20 के दौरान द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें वर्ष 2017-18 के पश्चात् से 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6. यूरोप (Europe)

6.1. भारत-यूरोपीय संघ संबंध (India-E.U. Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 15वें **भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन** को वर्चुअल (आभासी) माध्यम से आयोजित किया गया।

भारत-EU संबंधों का सिंहावलोकन

संबंधित तथ्य

यूरोपीय संघ-वियतनाम मुक्त व्यापार समझौता {European Union Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)}

- हाल ही में, वियतनाम की नेशनल असेंबली ने **यूरोपीय संघ-वियतनाम मुक्त व्यापार समझौता (European Union Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA)** और **यूरोपीय संघ-वियतनाम निवेश संरक्षण समझौता (EU-Vietnam Investment Protection Agreement: EVIPA)** की अभिपुष्टि कर इन्हें प्रभावी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- EVFTA, **यूरोपीय संघ और किसी आसियान (ASEAN) राष्ट्र (सिंगापुर के पश्चात्) के मध्य दूसरा मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** है।
    - यह **99 प्रतिशत सीमा शुल्क को समाप्त** करेगा, **कारों और दवाओं जैसी मदों के लिए** विनियामक मानकों को संरेखित करके प्रशासनिक बाधाओं का उन्मूलन करेगा तथा यूरोपीय एवं वियतनामी कंपनियों के लिए बाजार तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- यह प्रथम FTA है, जिस पर **वैश्विक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के उपरांत हस्ताक्षर** किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
- EVIPA, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का ही एक भाग है, जो यूरोपीय संघ और वियतनाम के मध्य एक समझौता है। इसका उद्देश्य **मेजबान देश में निवेशकों और निवेशों को सुरक्षा** प्रदान करना है।
- कई क्षेत्रों में, **भारत वियतनाम के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा** कर रहा है।
    - चूंकि वियतनाम ने एक FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, इस कारण भारत को आने वाले समय में **उन क्षेत्रों में व्यापक प्रभावों का सामना** करना पड़ेगा।

मोबिलाइज़ योर सिटी प्रोग्राम (Mobilise Your City programme)

- मोबिलाइज़ योर सिटी (MYC) प्रोग्राम **फ्रांस और जर्मन** सरकारों द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रिय पहल का हिस्सा है। **इसे दिसंबर, 2015 में COP21 सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।**
    - भारत में मोबिलाइज़ योर सिटी प्रोग्राम को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया गया है।
    - इसके तहत शहरी स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अन्य प्रमुख हितधारक, जैसे- अहमदाबाद नगर निगम (AMC), कोच्चि नगर निगम (KMC) तथा नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSSCDCL) योगदान करते हैं।
- मोबिलाइज़ योर सिटी भागीदारी का उद्देश्य 100 शहरों और 20 देशों को अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध शहरी आवागमन के साधनों में सुधार करने के लिए सशक्त करना है। इसके साथ ही, वैश्विक जलवायु संकट का सामना करने के लिए परिवहन के माध्यम का विकार्बनीकरण भी करना है।

ब्रेक्जिट व्यापार समझौता (Brexit Trade Deal)

- यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) एवं यूरोपीय संघ (EU) के बीच ब्रेक्जिट उपरांत स्वतंत्र व्यापार समझौते को लेकर सहमति बनी है। तात्पर्य यह है कि यूरोपीय संघ-यूनाइटेड किंगडम व्यापार एवं सहयोग समझौते (Trade and Cooperation Agreement: TCA) ने इस समूह से UK की निकासी पर मुहर लगा दी है।
- **ब्रेक्जिट (ब्रिटिश एग्जिट)** वस्तुतः यूनाइटेड किंगडम (अर्थात् ब्रिटेन) द्वारा यूरोपीय संघ एवं यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (European Atomic Energy Community) की सदस्यता के परित्याग को संदर्भित करती है।
- **वर्ष 2016 में एक जनमत संग्रह** के उपरांत, **ब्रिटेन जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने वाला प्रथम देश बन गया।** इसके पश्चात्, समूह से निकासी के समझौते के अनुसार 11 माह की संक्रमण (परिवर्तनशील) अवधि प्रारंभ हुई।
- ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ अंततः एक समझौते पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता उनके भविष्य के संबंधों को परिभाषित करेगा।

© Vision IAS

यूरोपीय संघ के बारे में

- यह एक आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। **27 यूरोपीय देश** इसके सदस्य हैं।
- यह सदस्य देशों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान करता है। यह सदस्य देशों के निवासियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी सदस्य देश में निवास करने, व्यापार करने एवं नौकरी करने के लिए स्वतंत्र रूप से आवागमन करने की अनुमति देता है।
- **लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50** में सदस्य देशों द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने का प्रावधान किया गया है।
  - कोई भी सदस्य देश जो यूरोपीय संघ का परित्याग करना चाहता है, उसे इस हेतु यूरोपीय संघ के साथ एक **व्यवस्थापन समझौते (settlement deal)** पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है।
- इस संघ की स्वयं की मुद्रा है, जिसका नाम **यूरो** है। इस मुद्रा का प्रयोग 19 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। इसकी स्वयं की संसद एवं अन्य संस्थाएं हैं।
- ब्रिटेन वर्ष 1973 में इसमें सम्मिलित हुआ था।

पृष्ठभूमि	आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध	रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग	लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध
• भारत-यूरोपीय संघ के मध्य संबंधों की शुरुआत वर्ष 1960 के दशक के दौरान हुई थी, हालांकि भारत, **यूरोपीय आर्थिक समुदाय** (European Economic Community) के साथ **राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम देश** रहा है। • वर्ष 2000 में प्रथम **भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया था। वर्ष 2004 में, **'रणनीतिक साझेदारी' के रूप में** संबंधों को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया था।	• यूरोपीय संघ एक ब्लॉक के रूप में **भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है, जिसके साथ वर्ष 2019 में वस्तु व्यापार लगभग 80 बिलियन यूरो रहा है (कुल भारतीय व्यापार का 11.1 प्रतिशत)।	• नई दिल्ली स्थित **सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र** (Information Fusion Centre - Indian Ocean Region: IFC-IOR) को हाल ही में यूरोपीय नौसेना बल (NAVFOR) द्वारा स्थापित **समुद्री सुरक्षा केंद्र - हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका** (Maritime Security Centre - Horn of Africa: MSC-HOA) के साथ संयोजित किया गया है।	• यूरोपीय संघ ने **शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने** के लिए, वर्तमान में भारत के तीन शहरों में प्रायोगिक आधार पर **मोबलाइज योर सिटी (MYC) नामक एक कार्यक्रम** प्रारंभ किया है। • भारत और यूरोपीय संघ द्वारा ऊर्जा एवं ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग के लिए **वर्ष 2005 में एक ऊर्जा पैनल (Energy** Panel) की स्थापना की गई थी तथा दोनों पक्ष, **यूरोपीय संघ-भारत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग** (EU-India Clean Energy Cooperation) और **भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी** (India-EU Water Partnership) **जैसे मंचों पर भी सहयोग कर रहे हैं।**	• दोनों पक्षों द्वारा **द्विपक्षीय यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में नागर विमानन से संबद्ध क्षैतिज समझौते** (Horizontal Agreement on Civil Aviation) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। • **दोनों पक्षों ने** प्रवासन पर सहयोग की दिशा में एक संरचना के रूप में वर्ष 2016 में **कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (CAMM) को भी संपन्न किया है।** • वर्तमान में 50,000 से अधिक भारतीय छात्र विभिन्न यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से कई यूरोपीय संघ के उच्च शिक्षा के लिए **इरास्मस मंडस छात्रवृत्ति कार्यक्रम** (Erasmus Mundus scholarship programme) के तहत अध्ययनरत हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएँ (International Organization/ Institutions)

7.1. भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित {India Elected Non-Permanent Member of UN Security Council (UNSC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत दो वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है।

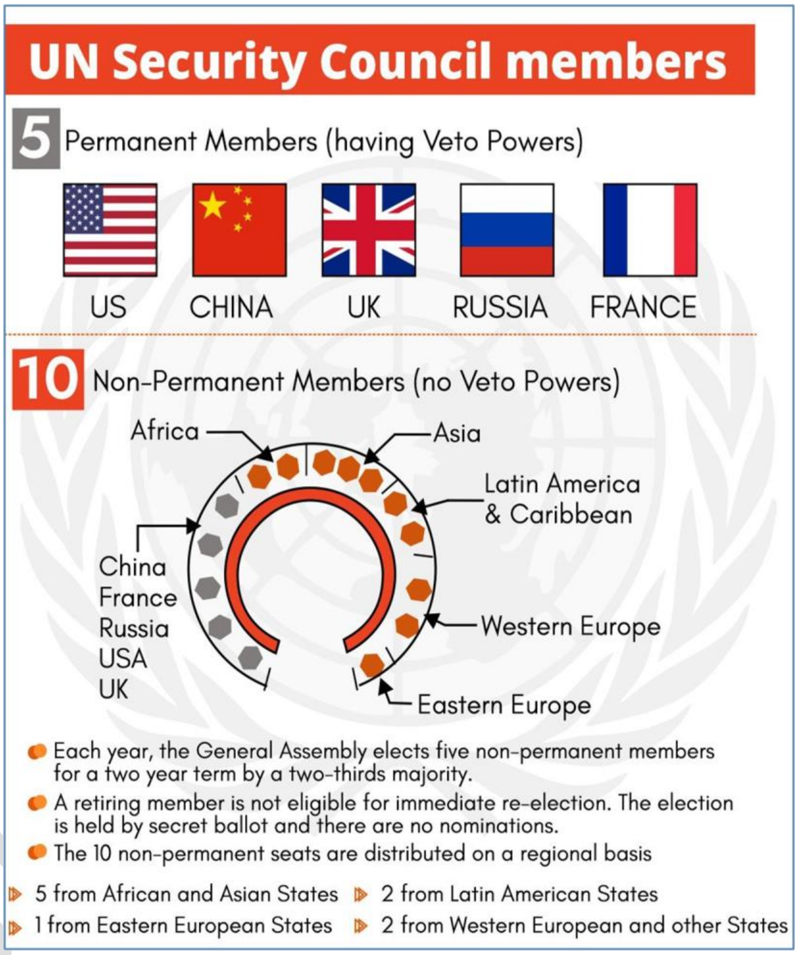

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत, **एशिया-प्रशांत देशों में से एकमात्र समर्थित उम्मीदवार देश था,** जिसे निर्वाचन के दौरान कुल 192 मतों में से 184 मत प्राप्त हुए। UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो वर्ष का कार्यकाल **1 जनवरी, 2021 से आरंभ होगा।**
- यह UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का **8वां कार्यकाल** होगा। इससे पूर्व, भारत वर्ष 1950-1951, वर्ष 1967-1968, वर्ष 1972-1973, वर्ष 1977-1978, वर्ष 1984-1985, वर्ष 1991-1992 और हाल ही में वर्ष 2011-2012 के लिए निर्वाचित हुआ था।
- भारत के साथ-साथ **आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे** भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुए हैं।
- UNSC में निर्वाचन अभियान के दौरान, विदेश मंत्रालय ने भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक विवरणिका (brochure) जारी की थी। इसके अनुसार, भारत का समग्र उद्देश्य **नॉर्म्स** अर्थात् "एक दुरुस्त बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए नवीन अभिविन्यास" (**N**ew **O**rientation for a **R**eformed **M**ultilateral **S**ystem: **NORMS**) की प्राप्ति करना है। भारत ने कहा है कि वह **नॉर्म्स** के तहत अति महत्वपूर्ण पांच प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। इन प्राथमिकताओं में शामिल हैं- **प्रगति के नए अवसर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी प्रतिक्रिया, बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण तथा समाधान के चालक के रूप में मानव स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।**
    - भारत इन प्राथमिकताओं को **पांच-S दृष्टिकोण (Five-S approach)** के माध्यम से आगे बढ़ाएगा, यथा- सम्मान (Respect), संवाद (Dialogue), सहयोग (Cooperation), सार्वभौमिक शांति (Peace) और समृद्धि (Prosperity)।

संबंधी सुर्खियां

- **भारत आतंकवाद पर गठित समितियों की अध्यक्षता कर रहा है**
    - भारत आतंकवाद के वैश्विक अभिशाप, विशेष रूप से पाकिस्तान से व्युत्पन्न सीमा-पार आतंकवाद द्वारा क्षेत्र में उत्पन्न किए गए खतरे के विरुद्ध संघर्षरत संयुक्त राष्ट्र का एक अग्रणी सदस्य है।
    - निम्नलिखित तीनों समितियां UNSC के अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। भारत द्वारा इनकी अध्यक्षता, इन समितियों को संचालन हेतु ओजस्वी नेतृत्वकारी समर्थन प्रदान करेगी।
    - **आतंकवाद-रोधी समिति (Counter-Terrorism Committee):** इस समिति की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए 9/11

© Vision IAS

आतंकी हमले के उपरांत की गई थी। यह समिति संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की उनकी सीमाओं के भीतर और संपूर्ण क्षेत्र में आतंकवादी कृत्यों की रोकथाम करने हेतु देशों की क्षमता सुदृढ़ करने का कार्य करती है।

- **तालिबान प्रतिबंध समिति (Taliban Sanctions Committee):** इसे **1988 प्रतिबंध समिति** के रूप में भी जाना जाता है। यह समिति आतंकी कृत्यों के वित्त-पोषण, नियोजन, सुविधा प्रदायगी, तैयारी या निष्पादन में भाग लेने; हथियारों की आपूर्ति, विक्रय अथवा हस्तांतरण करने तथा तालिबान से संबंधित समूहों, उपक्रमों व कंपनियों में भर्ती करने और उनके कृत्यों एवं गतिविधियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को नामित करती है। सूचीबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों की परिसंपत्ति फ्रीज कर दी जाती है, उनकी यात्राओं को निषिद्ध कर दिया जाता है तथा हथियारों के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
- **लीबिया प्रतिबंध समिति (Libya Sanctions Committee):** इस समिति के अंतर्गत, सभी सदस्य देशों को लीबिया को हथियारों और संबंधित सामग्री की बिक्री या आपूर्ति रोकनी होती है; सभी सूचीबद्ध व्यक्तियों का अपने क्षेत्रों में प्रवेश या अपने क्षेत्रों के माध्यम से पारगमन रोकना होता है तथा सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाले या नियंत्रित सभी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं आर्थिक संसाधनों को फ्रीज (अर्थात् ज़ब्त) करना होता है।

आतंकवाद से संबंधित अन्य समितियां (Other committee related to terrorism)

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति 1267 (United Nations Security Council Committee 1267): इस समिति की स्थापना वर्ष 1999 में UNSC के** एक प्रस्ताव-1267 के आधार पर की गई थी। इस समिति द्वारा तालिबान पर सीमित हवाई प्रतिबंध आरोपित किए गए थे और उसकी परिसंपत्तियों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।

7.2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM)

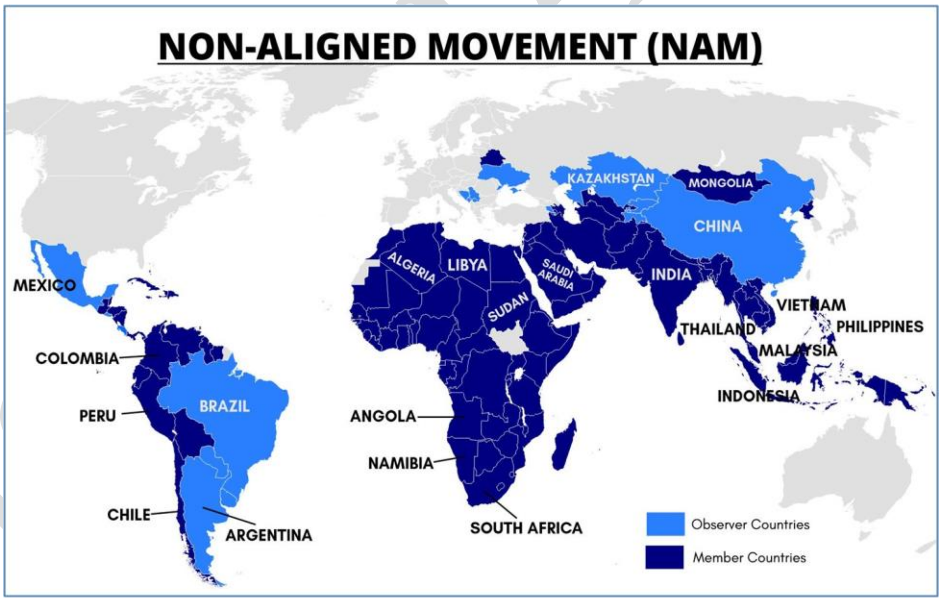

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधान मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान एकजुटता में वृद्धि करने हेतु हाल ही में, आयोजित **गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह 2020 (NAM Contact Group 2020) के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- सम्मेलन की थीम **"कोविड-19 के विरुद्ध एकजुट"** ('United against COVID-19) थी। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना था।
- **मेजबान- अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति** (गुटनिरपेक्ष आंदोलन समूह के वर्तमान अध्यक्ष)।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के नेताओं ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में अपनी मूलभूत चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने वाले एक 'कॉमन डेटाबेस' के माध्यम से सदस्य देशों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए

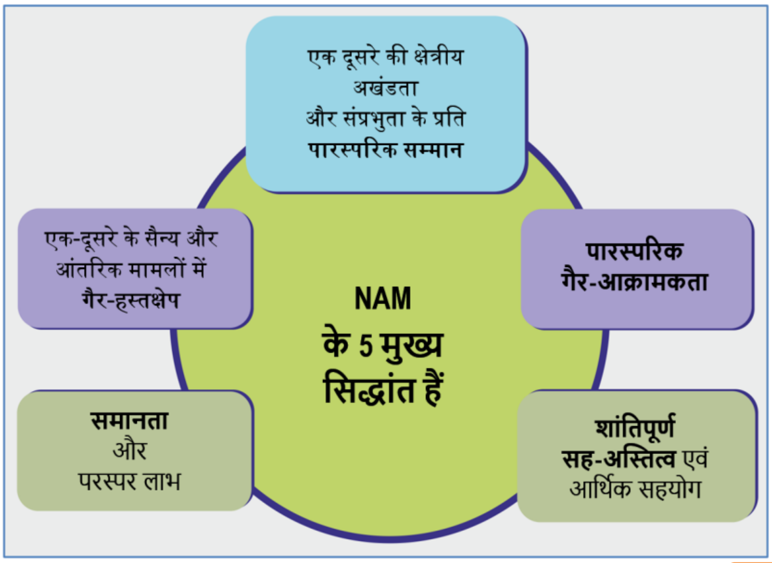

एक **'टास्क फोर्स'** के निर्माण की घोषणा की है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित तथ्य

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम/NAM) का गठन **शीत युद्ध के दौरान** औपचारिक रूप से स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका गुट या सोवियत संघ (Soviet Union) गुट में सम्मिलित न करके स्वतंत्र या तटस्थ नीति का अनुसरण करने वाले देशों के एक संगठन के रूप में किया गया था।
- **उत्पत्ति: वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया-अफ्रीका सम्मेलन से इसकी उत्पत्ति हुई।**
- **NAM का प्रथम सम्मेलन- भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया** के नेतृत्व में, वर्ष 1961 में आयोजित **बेलग्रेड सम्मेलन।**
    - **NAM के मुख्य सिद्धांत:** गुटनिरपेक्षता की नीति **पंचशील के पांच सिद्धांतों** पर आधारित है।
- वर्तमान में इसमें **120 सदस्य देश** शामिल हैं, जिनमें अफ्रीका के 53, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 एवं यूरोप (बेलारूस व अज़रबैजान) के 2 देश शामिल हैं।
    - इसके अतिरिक्त NAM में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है।

7.3. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)}

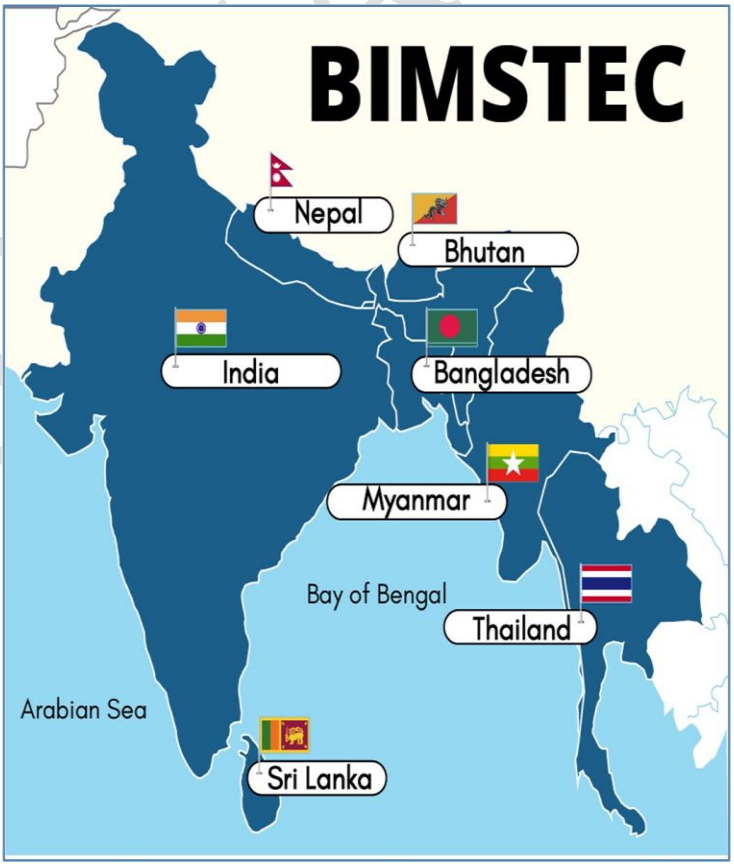

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिम्सटेक (BIMSTEC) सचिवालय द्वारा अपनी **स्थापना के 23 वर्ष उपरांत बिम्सटेक-चार्टर को अंतिम रूप** प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- आगामी वर्ष जनवरी माह में श्रीलंका में आयोजित होने वाले इसके पांचवें शिखर सम्मेलन के दौरान इस चार्टर पर हस्ताक्षर होना पूर्व-निर्धारित है।
- **इस चार्टर से की जा रही अपेक्षाएं:**
    - यह सहयोग संबंधी दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा;
    - यह संस्थागत संरचना में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निरूपित करेगा; तथा
    - निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगा।
- एक समर्पित चार्टर के अभाव में, बिम्सटेक का संचालन वर्ष 1997 के **बैंकाक घोषणा-पत्र** के आधार पर किया जा रहा है। इसमें कुछ कमियां विद्यमान हैं:
    - इसमें व्यापक प्रावधान नहीं किए गए हैं।
    - वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित होने के बावजूद भी यह घोषणा-पत्र परिवर्तित हुए भू-राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप नहीं है।

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में

- बिम्सटेक की स्थापना **वर्ष 1997 में चार देशों, यथा- बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड** द्वारा **BIST-EC (बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड - इकोनॉमिक कोऑपरेशन)** के रूप में की गयी थी।

 © Vision IAS

- म्यांमार (वर्ष 1997), नेपाल (वर्ष 2004) और भूटान (वर्ष 2004) के इस समूह में शामिल होने के बाद इसे BIMSTEC नाम दिया गया था।
- इसका **प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2004 में बैंकाक** में आयोजित किया गया था।
- इसका **सचिवालय ढाका, बांग्लादेश** में स्थित है।
- बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन लोग निवास करते हैं, जो कि **वैश्विक आबादी का लगभग 22% हिस्सा** है। इस क्षेत्र का **संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2.8 ट्रिलियन डॉलर** है।
- **संस्थापक सिद्धांत:** बिम्सटेक के अंतर्गत सहयोग **संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक लाभ** आदि सिद्धांतों के प्रति सम्मान पर आधारित होगा।

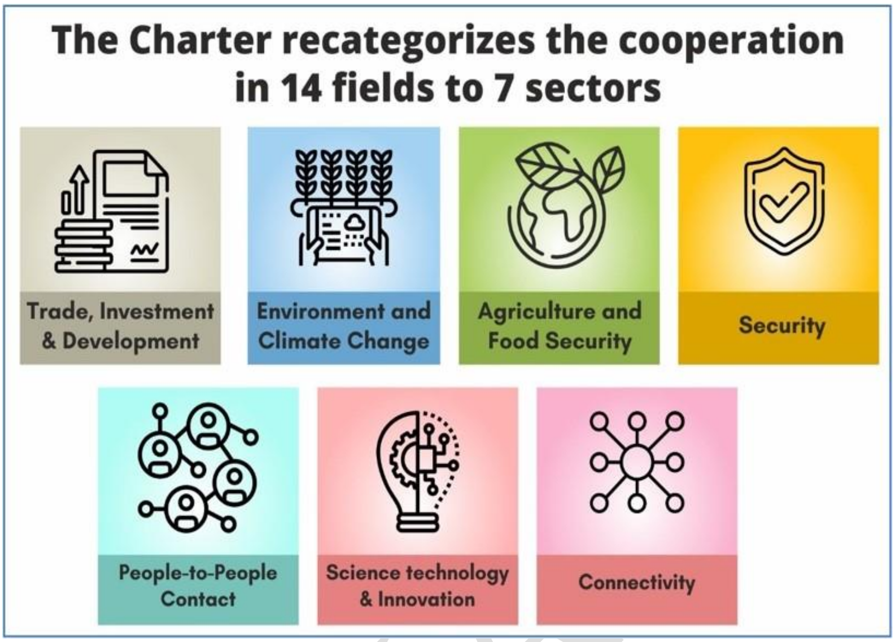

- **सहयोग के क्षेत्र:** बिम्सटेक ने सहयोग के लिए **14 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (priority areas)** निर्धारित किए हैं तथा प्रत्येक देश द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है।
  - **भारत इनमें से चार क्षेत्रों में अग्रणी देश रहा है,** उदाहरण के लिए- आतंकवाद-रोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध उपाय, परिवहन एवं संचार, पर्यटन व पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन।

7.4. ब्रिक्स (BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2020 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन आभासी स्वरूप (virtual format) में रूस की अध्यक्षता में किया गया था। इस वर्ष इसका सिद्धांत वाक्य (motto) **'वैश्विक स्थिरता, साझी सुरक्षा और अभिनव वृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी' (BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth)'** था।

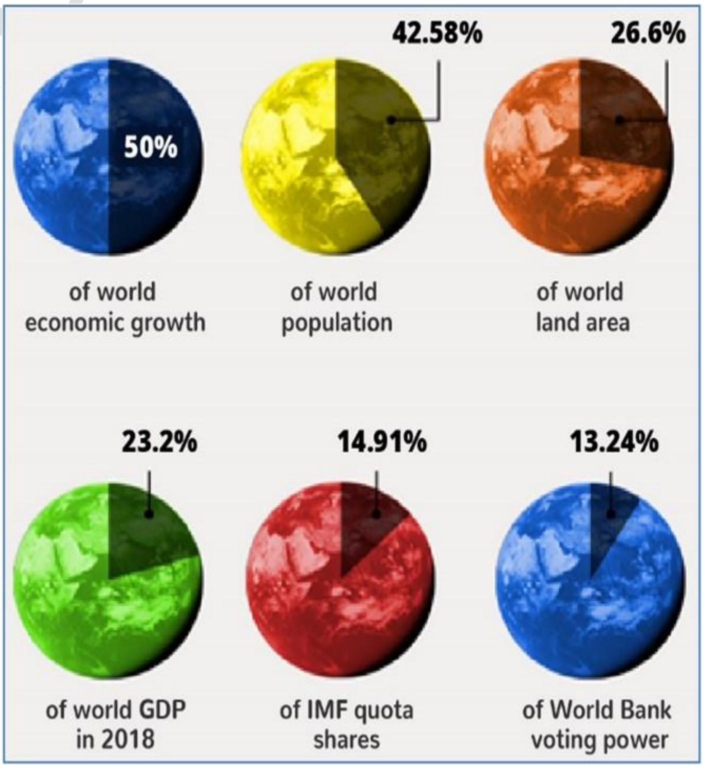

ब्रिक्स (BRICS) के बारे में

- ब्रिक्स की **शुरुआत वर्ष 2001** में ब्रिक (BRIC) के रूप में हुई थी, जो संयुक्त रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए **गोल्डमैन सैक (Goldman Sachs)** द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त नाम था। दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में इसमें शामिल किया गया था। इस शब्दांश के पीछे धारणा यह थी कि **वर्ष 2050 तक इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक संवृद्धि पर सामूहिक रूप से आधिपत्य होगा।**

- ब्रिक्स समूह का उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य **मानवता के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालना** तथा **और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष विश्व का निर्माण** करना भी है।

ब्रिक्स की उपलब्धियां

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** इसे एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की तर्ज पर ब्राजील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सृजित किया गया था।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक में सर्वाधिक शेयरधारिता चीन की है, इसके पश्चात् भारत का स्थान है।**
  - इस बैंक ने **वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 10 बिलियन डॉलर आरक्षित किए हैं,** जबकि निवेश परियोजनाओं का इसका कुल पोर्टफोलियो अब 20 बिलियन डॉलर से अधिक है।
  - **इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ 62 बड़ी परियोजनाएं** ब्रिक्स देशों में **कार्यान्वित की जा रही हैं।**
  - यह वर्तमान में नए सदस्यों को स्वीकार करने की तैयारी कर रहा है, जिनमें सर्वाधिक संभावना उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और फिलीपींस की है। इस प्रकार **यह बैंक अपनी वैश्विक पहुँच का विस्तार कर रहा है।**
  - न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना में ब्रिक्स देशों में से भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही थी और साथ ही भारत, **NDB द्वारा प्रदत्त ऋण का अब तक का सबसे बड़ा लाभार्थी भी बना हुआ है।**
- **आकस्मिक कोष व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement: CRA):** पारस्परिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र में योगदान के लिए इस कोष की स्थापना की गई है।
- **चिकित्सा सहयोग: ऊफ़ा घोषणा-पत्र** को वर्ष 2015 में सातवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। इसमें संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए एक साथ काम करने का समझौता शामिल है। साथ ही, वर्ष 2018 में 10वें शिखर सम्मेलन के दौरान **ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र (BRICS vaccine research and development centre)** की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया।
- वर्ष 2015 में **ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन (Science, Technology and Innovation: STI) रूपरेखा कार्यक्रम** की शुरुआत की गई थी। इसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कोविड-19 के विरुद्ध साझी एवं कारगर प्रतिक्रिया देने के लिए आपस में जुड़े रहने और अपने निष्कर्षों का प्रभावी ढंग से आदान-प्रदान करने में मदद की है।
- **व्यापार का विस्तार:** पिछले पांच वर्षों में, अंतर-ब्रिक्स निर्यात में 45% की वृद्धि हुई है और ब्रिक्स के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर-ब्रिक्स निर्यात की हिस्सेदारी 7.7% से बढ़कर 10% हो गई है।
- **अन्य क्षेत्र:**
  - **ब्रिक्स भुगतान कार्य बल (BRICS Payments Task Force):** यह राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों पर केंद्रीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की दिशा में एक कदम है।
  - **ब्रिक्स रैपिड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल:** केंद्रीय बैंकों के मध्य साइबर खतरों पर सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गयी है।

संबंधित सुर्ख़ियां

आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह (BRICS Contact Group on Economic and Trade Issues: CGETI)

हाल ही में, **आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह (CGETI)** की प्रथम बैठक आयोजित की गयी।

- **आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह** की यह बैठक **भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई।**
- BRICS की इस वर्ष की थीम **'ब्रिक्स@15: निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग ("BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation, and Consensus")** थी।
- भारत ने अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स CGETI 2021 के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और इस

© Vision IAS

संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें सेवा सांख्यिकी और ब्रिक्स व्यापार मेलों पर MSME गोलमेज सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों का ब्योरा है। इसके पश्चात् अनेक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किया गया था। प्रस्तावित प्रस्तुतियां निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हैं:

- रूस की अध्यक्षता में वर्ष 2020 में अंगीकृत "**ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2025**" के दस्तावेज पर आधारित कार्य योजना।
- **बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर ब्रिक्स सहयोग**। इसमें विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स रियायत (TRIPS Waiver) प्रस्ताव के लिए सहयोग करना शामिल है।
- **ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण** के लिए रूपरेखा।
- **गैर-प्रशुल्क उपाय (Non-Tariff Measures: NTM)** पर प्रस्ताव और **सैनिटरी एवं फाइटो-सैनिटरी (Phytosanitary)** कार्य प्रणाली।
- **आनुवांशिक संसाधनों तथा पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण** के लिए सहयोगात्मक रूपरेखा।
- **व्यावसायिक सेवाओं (Professional Services) में सहयोग** पर ब्रिक्स की रूपरेखा।

7.5. 17वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (17th ASEAN-India Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 17वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअल (आभासी) रूप में आयोजित किया गया।

इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- भारत ने **कोविड-19 आसियान अनुक्रिया कोष (COVID-19 ASEAN Response Fund) में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर** के योगदान की घोषणा की है।
- भारत और आसियान दोनों ने **वर्ष 2021-2025 के लिए नई आसियान-भारत कार्य योजना** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
    - यह नई कार्य योजना (Plan of Action: POA) वर्ष 2010-2015 और वर्ष 2016-2020 के लिए विगत कार्य योजनाओं के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों पर आधारित है, और आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करती है।

    - यह नई कार्य योजना भावी रणनीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में संभावित भागीदारी को स्पष्ट करती है जिनमें राजनीतिक सहयोग, समुद्री सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद का मुकाबला (Counter-Terrorism), व्यापार तथा निवेश, परिवहन, कृषि एवं वानिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं।
- आसियान और भारत के मध्य व्यापक भौतिक और डिजिटल संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देने हेतु आसियान संपर्कता (कनेक्टिविटी) को सहयोग प्रदान करने के लिए भारत ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रस्ताव को दोहराया है।
- दोनों पक्षों ने इस समझौते को व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल, अधिक सरल और व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement: FTA) की समीक्षा की संभावनों को निर्धारित करने के लिए चर्चाएं भी प्रारंभ की हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) {Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)}

- यह दस दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, यथा- **ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम** का एक अंतर सरकारी संगठन है।
- यह अपने सदस्यों और अन्य देशों के मध्य अंतर-सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है तथा आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा संबंधी, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण सुविधा प्रदान करता है।
- क्षेत्रीय भागीदार (वर्ष 1992), संवाद भागीदार (डायलॉग पार्टनर, वर्ष 1996) और शिखर सम्मेलन भागीदार (वर्ष 2002) की अपनी पूर्ववर्ती भूमिकाओं से आगे बढ़ते हुए **वर्ष 2012 में भारत, आसियान का रणनीतिक भागीदार** बन गया।
- वर्ष 2014 में 12वें शिखर सम्मेलन में **"एक्ट-ईस्ट पॉलिसी"** की घोषणा के साथ भारत-आसियान रणनीतिक भागीदारी को और गति प्राप्त हुई।
    - **भारत की एक्ट-ईस्ट पॉलिसी** आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करती है और **भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा लोगों के पारस्परिक संपर्क को शामिल करने के लिए** कनेक्टिविटी पर व्यापक अर्थों में जोर देती है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश के प्रसार के उद्देश्य से **भारत द्वारा आसियान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया गया है।**
- वर्ष 2013 में, 'आसियान संपर्कता समन्वय समिति-भारत बैठक' (ASEAN Connectivity Coordinating Committee-India Meeting) के प्रारंभ होने से **भारत, आसियान का तीसरा संवाद भागीदार देश बन गया।**

7.6. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और भारत {Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एशिया-प्रशांत के 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि भारत ने इस व्यापार समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया है।

RCEP के बारे में

- RCEP वस्तुतः 10 आसियान सदस्यों तथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कुल 15 देशों के मध्य हस्ताक्षरित एक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA) है।
- यह अब **विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समूह** बन गया है, जिसमें 2.2 बिलियन से अधिक लोग शामिल हैं तथा यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 30 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
- RCEP को पहली बार वर्ष 2011 में आसियान देशों और उनके व्यापार भागीदारों के लिए एक एकीकृत बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19वें आसियान बैठक में प्रस्तावित किया गया था।
- ज्ञातव्य है कि भारत RCEP वार्ताओं में शामिल रहा है, लेकिन यह पहले से चले आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों, जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है, का उल्लेख करते हुए नवंबर 2019 में इससे बाहर हो गया था। हालांकि, **भारत के लिए इसमें शामिल होने का विकल्प खुला हुआ है।**

© Vision IAS

7.7. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान, **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council: UNHRC)** में पुनर्निर्वाचित हुआ है। यद्यपि, मानवाधिकार संगठनों द्वारा पाकिस्तान के **खराब मानवाधिकार इतिहास को लेकर** इसका विरोध किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की **स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** के प्रस्ताव 60/251 के तहत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत प्रमुख **अंतर सरकारी संस्था** है, जो **विश्व भर में मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।** इसे विश्व में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का समाधान करने और कार्रवाई करने का भी दायित्व सौंपा गया है।
  - मानवाधिकार परिषद ने **पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को प्रतिस्थापित किया है।**
- इसमें **47 सदस्य देश** सम्मिलित हैं, जिनका निर्वाचन सामान्य: गुप्त मतदान के माध्यम से साधारण बहुसंख्यक मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। परिषद के सदस्यों की सदस्यता अवधि **तीन वर्षों** की होती है। **प्रत्येक वर्ष एक-तिहाई नए सदस्य निर्वाचित होते हैं।**
- परिषद की सदस्यता **सीटों के समान भौगोलिक वितरण** पर आधारित होती है। सीटों को क्षेत्रवार अग्रलिखित प्रकार से वितरित किया गया है: 13 अफ्रीकी राष्ट्र; 13 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्र; 8 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राष्ट्र; 7 पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य राष्ट्र तथा 6 पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र।
  - **संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य परिषद की सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।**
  - 117 देश अब तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विविधता को दर्शाता है और इससे UNHRC को सभी देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की वैधता प्राप्त हुई है।
- प्रत्येक वर्ष इसके तीन सत्रों का आयोजन होता है, जो कम से कम कुल 70 दिनों तक संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, किसी देश और विषय से संबंधित अत्यंत आवश्यक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए विशेष सत्र भी आहूत कर सकती है।
- इसके निर्णय, प्रस्ताव, एवं संस्तुतियां कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीनस्थ होने के कारण, इसे प्रत्यक्ष रूप से महासभा के सभी 193 सदस्यों को रिपोर्ट करना होता है। इसे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अधीन **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय (U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)** से विशिष्ट एवं तकनीकी सहायता प्राप्त होती है।
  - वर्ष 2018 में **संयुक्त राज्य अमेरिका** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पृथक हो गया था तथा उस पर "राजनीतिक पक्षपात का केंद्र" होने का आरोप लगाया था, जिसने "मानवाधिकारों का उपहास किया है।"

मानवाधिकार क्या हैं?

- मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं, जो हमें केवल इसलिए प्राप्त हैं कि हम मानव हैं – **वे किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं।** ये सार्वभौमिक अधिकार राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या नृजातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा, या किसी अन्य दर्जे के आधार पर प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये हमारे जन्मजात अधिकार हैं।
- ये अधिकार सर्वाधिक मौलिक अधिकार अर्थात् जीवन के अधिकार से लेकर उन अधिकारों तक विस्तृत हैं, जो जीवनयापन हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं जैसे कि खाद्य, शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य व स्वतंत्रता के अधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा** (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) को वर्ष 1948 में अंगीकृत किया गया था। यह **मौलिक मानवाधिकारों** को सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित करने वाला प्रथम कानूनी दस्तावेज था।
  - मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के साथ दो संविधि- **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र** (the International Covenant for Civil and Political Rights) एवं **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र** (the International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights)- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संहिता

का आधार हैं।

- **मानवाधिकार की प्रमुख विशेषताएं**
  - **सार्वभौमिकता:** मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का आधार स्तंभ है। इसका अर्थ यह हुआ है कि हम सभी अपने मानवाधिकारों के लिए समान रूप से हकदार हैं।
  - **अपरिहार्य:** हमें इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। केवल **कुछ परिस्थितियों में तथा** विधिवत प्रक्रिया के अनुसार ही शासन द्वारा इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है।

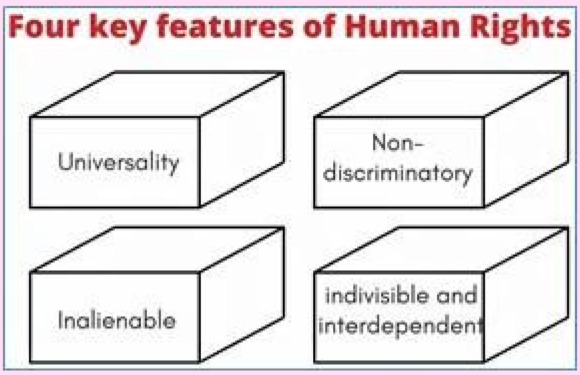

  - **अविभाज्य और अन्योन्याश्रित:** इसका अर्थ यह हुआ कि एक प्रकार के अधिकारों को अन्य के बिना पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों में प्रगति से **आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग** सरल हो जाता है। इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन से कई अन्य अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा।
  - **भेदभावरहित:** यह सिद्धांत सभी प्रमुख मानवाधिकार संधियों में विद्यमान है। यह 2 और महत्वपूर्ण अभिसमयों से भी प्रमुख रूप से संबंधित है, यथा- **नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय** (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) तथा **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय** (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (UN Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक विभाग है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों व संधियों में **जो अधिकार दिए गए हैं, उन सभी अधिकारों का सभी लोग पूर्णतया प्रयोग कर सकें।**
- इसको सौंपे गए दायित्व हैं- **मानवाधिकारों के उल्लंघनों को रोकना, सभी मानवाधिकारों के लिए सम्मान का भाव सृजित करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों में संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना** एवं मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र तंत्र को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाना।
- अपने अनिवार्य दायित्व के अतिरिक्त, यह कार्यालय **संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में मानवाधिकार का दृष्टिकोण एकीकृत करने के प्रयासों का नेतृत्व करता है।**

7.8. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 2003 से अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) के अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किए हैं।

ICC के बारे में

- ICC एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों अर्थात् **नरसंहार के अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रामकता संबंधी अपराध** करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों की **जांच, अभियोग चलाने और सुनवाई करने** के लिए स्थापित किया गया है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1998** में ICC की **रोम संविधि (Rome Statute)** के तहत की गई थी।
  - इस न्यायालय की अधिकारिता **केवल 1 जुलाई, 2002 के उपरांत किए गए अपराधों** पर है, क्योंकि इस तिथि को ही **रोम संविधि लागू** हुई थी।

© Vision IAS

- 123 देश **रोम संविधि** में पक्षकार के रूप में शामिल हैं।
  - इस संधि पर अभी तक **हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों** में शामिल हैं: **भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की** आदि।
  - **जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, परन्तु इसकी अभिपुष्टि नहीं की** उनमें मिस्र, ईरान, इजरायल, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं।
  - बुरुंडी और फिलीपींस ICC में शामिल हुए थे, परन्तु बाद में उन्होंने इसका त्याग कर दिया था।
- ICC **राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणालियों को प्रतिस्थापित नहीं** करता है; बल्कि, यह उनका पूरक है।
- **इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तरीके से मामलें प्रस्तुत किए जाते हैं:**
  - एक सदस्य देश अपने राज्यक्षेत्र के भीतर के मामलों को ICC को संदर्भित कर सकता है;
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को संदर्भित कर सकती है; तथा
  - अभियोजक किसी सदस्य राज्य में **स्वप्रेरणा (proprio motu)** या **"स्वयं की पहल पर"** एक जांच शुरू कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मध्य तुलना

विशेषताएं	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ)	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)
न्यायालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष 1946	वर्ष 2002
संयुक्त राष्ट्र से संबंध	**संयुक्त राष्ट्र संघ का "आधिकारिक न्यायालय"**, जिसे **"विश्व न्यायालय"** भी कहा जाता है।	यह **स्वतंत्र निकाय** है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्यवाही कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र को संदर्भित किए बिना भी कार्यवाही आरंभ कर सकता है।
अवस्थिति	**पीस पैलेस, हेग (नीदरलैंड)**	**हेग (नीदरलैंड)**
अधिकारिता (क्षेत्राधिकार)	संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्य (अर्थात् राष्ट्रीय सरकारें)	व्यक्तिगत (व्यक्ति या संस्थाएं)
वादों (मामलों) के प्रकार	1. पक्षकारों के मध्य विवाद 2. परामर्शी विचार	व्यक्तियों पर आपराधिक अभियोग
न्याय निर्णयन क्षेत्र	संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री क्षेत्र विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, संधियों की व्याख्या आदि	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता संबंधी अपराध
अधिकृत विधिक तंत्र	वे देश, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अभिपुष्टि की है, वे अनुच्छेद 93 के अंतर्गत ICJ संविधि के पक्षकार हैं। जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी ICJ संविधि की पुष्टि करके उसके पक्षकार बन सकते हैं। प्रत्येक राज्य को किसी भी विवादास्पद मामले को स्पष्ट समझौते, घोषणाओं या संधि द्वारा सहमति प्रदान करनी चाहिए। अर्थात् राज्यों की सहमति आवश्यक है तथा बिना उनकी सहमति के किसी वाद को यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, कोई एक पक्ष	रोम संविधि (भारत इस संविधि का पक्षकार नहीं है)

	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तब तक नहीं जा सकता, जब तक दूसरे पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त न की जाए।	
अपील	अपील का कोई प्रावधान नहीं है। विवादास्पद मामले में ICJ का निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई राज्य निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाया जा सकता है, जिसके पास प्रवर्तन की समीक्षा व अनुशंसा करने और निर्णय लेने का अधिकार है।	एक अपीलीय चैम्बर (appeal chamber) का उपबंध किया गया है। रोम संविधि का अनुच्छेद 80, अपराध मुक्त प्रतिवादी की लंबित अपील के पुनर्विचार की अनुमति प्रदान करता है।

7.9. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (United Nations Convention on The Law of The Sea: UNCLOS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) ने केरल के दो मछुआरों की हत्या से संबंधित एनरिका लेक्सी मामले में अपना निर्णय दिया है।

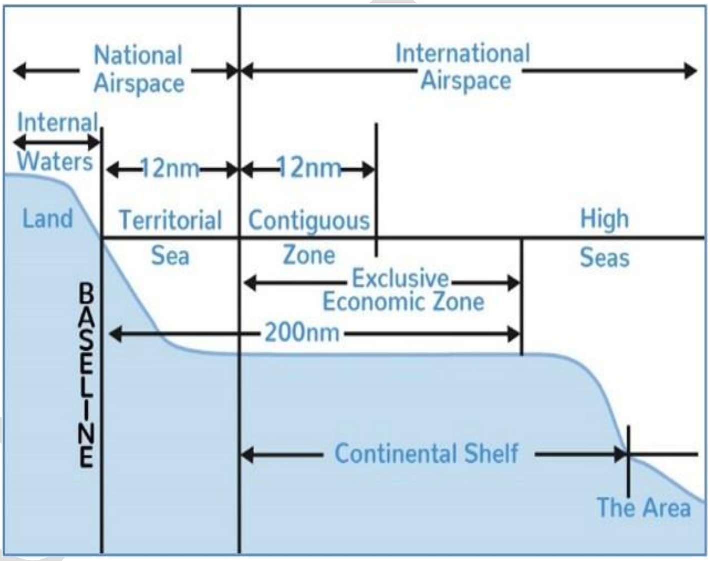

अन्य संबंधित तथ्य

- एनरिका लेक्सी मामला वर्ष 2012 में भारत के पश्चिमी तट पर **दो भारतीय मछुआरों की दो इतालवी नौसैनिकों द्वारा गोली मार कर की गई हत्या से संबद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद** है।
- वर्ष 2015 में, इटली ने भारत द्वारा हिरासत में लिए गए **दो इतालवी नौसैनिकों** के विरुद्ध यह मामला दायर किया था और **यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS)** के तहत इस मामले को **इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी (ITLOS)** के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
  - ITLOS ने बाद में इस मामले को **पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA)** को प्रेषित कर दिया था।

UNCLOS के बारे में

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे तृतीय **यूनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS III)** के दौरान अपनाया गया था।
  - इसे वर्ष 1982 में स्वीकार किया गया था तथा वर्ष 1958 की **कन्वेंशन ऑन द हाइ सीज** क्वाड-संधि को इससे प्रतिस्थापित कर दिया गया था। वर्ष 1994 में इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था।

© Vision IAS

- इसे **लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन** या **लॉ ऑफ द सी ट्रीटी** (Law of the Sea Convention or the Law of the Sea treaty) भी कहा जाता है।
- यह विश्व के महासागरों का राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले उपयोग हेतु **राष्ट्रों के अधिकारों व उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है** तथा इससे संबद्ध व्यवसायों, पर्यावरण और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करता है।
- वर्तमान में 167 देश और यूरोपीय संघ इस कन्वेंशन के तहत शामिल हैं।
- **भारत द्वारा वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे** और वर्ष 1995 में इसकी अभिपुष्टि कर दी गई थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए इस कन्वेंशन द्वारा तीन नए संस्थानों का गठन किया गया है:**

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी (ITLOS)	इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA)	कमिशन ऑन द लिमिटस ऑफ़ द कान्टनेन्टल शेल्फ (CLCS)
• **यह UNCLOS द्वारा** कन्वेंशन के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबद्ध विवादों के निर्णयन हेतु **स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है।** • **कवेंशन से संबद्ध विवादों में शामिल हैं,** यथा- समुद्री जीवित संसाधनों से संबंधित विवाद, समुद्री क्षेत्र के परिसीमन, संरक्षण और परिरक्षण, नौसंचालन, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन तथा समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित मुद्दे। • इसे 21 स्वतंत्र सदस्यों के सहयोग से गठित किया गया है। • विवादों की सुनवाई हेतु **कन्वेंशन के पक्षकार देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उपक्रम और निजी संस्थाएं भी अपील दायर कर सकती हैं।**	• यह किंग्स्टन, जमैका में स्थित एक अंतर-सरकारी निकाय है, **जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) द्वारा स्थापित किया गया है।** • यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र (जो अधिकांश महासागरों में अवस्थित है) में सभी खनिज संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन, **विनियमन और नियंत्रण हेतु अधिदेशित है।** • UNCLOS, 1982 के सभी पक्षकार देश ISA के सदस्य हैं।	• इसे किसी तटीय राज्य के 200 समुद्री मील से परे **महाद्वीपीय मग्नतट की बाह्य सीमाओं के निर्धारण में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण भूमिकाओं के निर्वहन हेतु** निर्दिष्ट किया गया है। ○ 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र से संबंधित तटीय राज्य के **दावे का मूल्यांकन करता है।** ○ अपने दावे को प्रस्तुत करने के दौरान **तटीय राज्य को वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श प्रदान करना।** • **इसमें 21 सदस्य शामिल होंगे,** जो भू-विज्ञान, भू-भौतिकी या हाइड्रोग्राफी (जलराशि विज्ञान) के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, जो **कन्वेंशन के तहत** सदस्य राष्ट्रों द्वारा पक्षकार देशों से ही चयनित किए जाते हैं।

स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration: PCA)

- इसे वर्ष 1899 में हेग में संपन्न **कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डिस्प्यूटस** द्वारा स्थापित किया गया था।
- **यह एक अंतर-सरकारी संगठन है** जो राष्ट्रों, राष्ट्र संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के विविध संयोजनों को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार की विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करता है।
- PCA में **तीन-हिस्सों वाली एक संगठनात्मक संरचना** है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं यथा:
  - एक प्रशासनिक परिषद, जो इसकी नीतियों और बजट की देखरेख करती है,
  - **मेंबर्स ऑफ़ द कोर्ट** के रूप में ज्ञात स्वतंत्र सक्षम मध्यस्थों का एक पैनल तथा
  - **इंटरनेशनल ब्यूरो** के नाम से जाना जाने वाला एक सचिवालय, जिसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है।
- इसका **मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में** स्थित है।
- **भारत भी इसका एक सदस्य देश है।**

UNCLOS द्वारा समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य ज़ोन्स में विभाजित किया गया है:

- तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर **तट के साथ एक आधार रेखा (बेसलाइन) नामक निम्न-जल रेखा का निर्धारण किया गया है।**
- **आंतरिक जल (Internal Waters):** ये आधार रेखा से भूमि की ओर स्थित जल क्षेत्र है, जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई का मापन किया जाता है।
  - प्रत्येक तटीय राज्य का अपने भू-क्षेत्र की भांति ही अपने आंतरिक जल पर भी पूर्ण अधिकार होता है। जैसे- खाड़ियाँ, बंदरगाह, प्रवेशिका, नदियाँ और झीलें जो समुद्र से जुड़ी हुई होती हैं।

- **प्रादेशिक सागर (Territorial Sea):** इसके तहत आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील (nautical miles: nm) तक विस्तारित क्षेत्र शामिल है।
    - तटीय राज्यों का प्रादेशिक सागर पर भी पूर्ण अधिकार होता है। ये अधिकार न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तल, अधोभूमि (subsoil) और यहां तक कि हवाई क्षेत्र तक विस्तारित है।
- **संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone):** इसके तहत बेसलाइन से समुद्र की ओर 24 nm तक विस्तारित क्षेत्र शामिल है।
    - यह प्रादेशिक समुद्र और उच्च सागर के बीच स्थित एक मध्यवर्ती क्षेत्र है।
    - तटीय राज्य को अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय समुद्र के भीतर राजकोषीय, आप्रवासन, स्वच्छता और सीमा शुल्क क़ानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।
    - प्रादेशिक समुद्र के विपरीत, संलग्न क्षेत्र राज्य को केवल समुद्र की सतह और तल पर ही अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। परन्तु यह हवाई एवं अंतरिक्ष अधिकार उपलब्ध नहीं करवाता है।
- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ):** प्रत्येक तटीय राज्य अपने प्रादेशिक सागर के परे और सन्निकट क्षेत्र का EEZ के रूप में दावा कर सकता है, जो इसकी आधार रेखा से 200 nm तक विस्तारित होता है।
    - EEZ के भीतर तटीय राज्य, समुद्र तल और अधोभूमि पर पाए जाने वाले जीवित एवं निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं।
    - तटीय राज्यों को जल, जल-धाराओं और वायु आधारित ऊर्जा के उत्पादन से संबद्ध गतिविधियों के कार्यान्वयन का अधिकार प्राप्त होता है।
    - प्रादेशिक समुद्र और संलग्न क्षेत्र के विपरीत, EEZ केवल ऊपर उल्लिखित संसाधनों के दोहन संबंधी अधिकारों की ही अनुमति प्रदान करता है। यह एक तटीय राज्य को कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, नौ संचालन या ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या सीमित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- **उच्च सागर:** EEZ से परे सागरीय सतह और जल पृष्ठों को उच्च सागर के रूप में संदर्भित किया जाता है।
    - यह किसी भी राष्ट्र के अधिकार-क्षेत्र के दायरे से बाहर होते हैं अर्थात् इन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। राज्यों द्वारा इन क्षेत्रों में केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है जैसे कि- पारगमन, समुद्री विज्ञान और सागरीय नितल से संबंधित अन्वेषण।

7.10. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) का आयोजन किया गया, जो कि आभासी (virtual) रूप में आयोजित प्रथम स्वास्थ्य सभा थी।

WHA के बारे में

- WHA विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO) का **निर्णय निर्माणकारी निकाय** है।
- इसमें सभी WHO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यह **WHO कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर केंद्रित** है।
- **WHA के मुख्य कार्य:**
    - WHO की नीतियों का निर्धारण,
    - महानिदेशक की नियुक्ति,
    - वित्तीय नीतियों की निगरानी, और
    - प्रस्तावित कार्यक्रमों के बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन।
- WHA का आयोजन **प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाता** है।

वन-हेल्थ स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाला एक **सहयोगी, एवं बहुक्षेत्रीय तथा ट्रांसडिस्प्लीनरी दृष्टिकोण** है। इसका उद्देश्य लोगों, पशुओं, पौधों और उनके साझा वातावरण के मध्य अंतरसंबंधों की पहचान करते हुए इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करना है।

VISION IAS

© Vision IAS

WHA के प्रमुख परिणाम

- WHA द्वारा कोरोनावायरस के **"ज़ूनोटिक (पशुजन्य)" स्रोत की पहचान** के साथ-साथ इस **महामारी पर WHO की प्रतिक्रिया के निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन** हेतु एक संकल्प को अपनाया गया।
  - इसमें विशेष रूप से **WHO की कार्रवाइयों और कोविड-19 महामारी से संबंधित उनकी समयसीमाओं का मूल्यांकन** करने का उल्लेख किया गया।
- **कोविड-19** पर प्रतिक्रिया के क्रम में सभी गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, प्रभावोत्पादक और वहनीय आवश्यक स्वास्थ्य तकनीकों एवं उत्पादों के **सार्वभौमिक, समयबद्ध व समान पहुंच तथा उचित वितरण** का आह्वान किया गया।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS/ट्रिप्स समझौते)** और **ट्रिप्स समझौते व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणापत्र से संबद्ध** नम्यताओं पर समझौते से संबंधित **अनुचित बाधाओं की समाप्ति का आह्वान किया गया।**

संबंधित तथ्य

WHO का कार्यकारी बोर्ड

- भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने **WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष** के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य क्षेत्र के **34 तकनीकी रूप से अर्ह सदस्यों से मिलकर** गठित हुआ है, जो तीन वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इनकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है।
- बोर्ड का **प्राथमिक कार्य WHA के निर्णयों को लागू करना**, परामर्श प्रदान करना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है।
- अध्यक्ष पद 6 क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्य और पश्चिमी प्रशांत) के मध्य **एक वर्ष के कार्यकाल हेतु चक्रीय क्रम में** व्यवस्थित होता है।

अन्य तथ्य

ट्रिप्स समझौता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा-पत्र

- इसे **विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO)** के सदस्यों द्वारा वर्ष 2001 में अपनाया गया था, ताकि **सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों और TRIPS की शर्तों** को लागू करने के लिए सरकारों की आवश्यकता के मध्य मौजूद अस्पष्टताओं का निवारण किया जा सके।
- यह घोषणा-पत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि **ट्रिप्स समझौता सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सदस्यों को उपाय करने से नहीं रोकता** है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए।

7.11. ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty: OST)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह **ओपन स्काई संधि** से पृथक हो जाएगा, क्योंकि रूस ने "निरंतर और प्रत्यक्षत:" इस संधि का उल्लंघन किया है।

ओपन स्काई संधि (OST) के बारे में

- OST एक समझौता है, जो प्रत्येक पक्षकार देश को सैन्य बलों और गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने हेतु अन्य देशों के क्षेत्रों पर **अल्प सूचना (शॉर्ट-नोटिस) पर निःशस्त्र व आवीक्षण उड़ानों का संचालन करने की अनुमति प्रदान करता है।**
- इसका उद्देश्य पक्षकार देशों की ओवरफ्लाईट्स (विदेशी क्षेत्र पर उड़ान) में भागीदारी के माध्यम से उनके मध्य **विश्वास और मित्रता का निर्माण करना है।**
- वर्ष 1992 में OST पर हस्ताक्षर किए गए और यह वर्ष 2002 में लागू हुई।
- वर्तमान में **34 राष्ट्र इस संधि के पक्षकार हैं** जबकि 35वें, सदस्य देश किर्गिस्तान ने हस्ताक्षर तो किया है, परन्तु अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है। अधिकांश सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और तुर्की जैसे **उत्तरी अमेरिकी एवं यूरोपीय राष्ट्र** शामिल हैं।
  - भारत व चीन इस संधि के सदस्य नहीं हैं।

- हालांकि पक्षकारों को किसी सदस्य के सभी क्षेत्रों में ओवरफ्लाई की अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु यह संधि **प्रवेश और निकास तथा ईंधन भरने वाले हवाई क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित करती है।**
- **ओपन स्काइज कंसल्टेटिव कमीशन (OSCC),** जिसमें सभी पक्षकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, OST के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

7.12. ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) {Group of Seven (G-7)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रधान मंत्री को इस वर्ष जून में ब्रिटेन में आयोजित होने वाले G-7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) के लिए आमंत्रित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत के अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया** को भी अतिथि देशों के रूप में इस शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है।
- ब्रिटेन द्वारा G7 शिखर सम्मेलन का उपयोग, **कोरोना वायरस के पश्चात् जोखिमों को कम करते हुए एक बेहतर विश्व के निर्माण** के लिए किया जाएगा।
- इससे पूर्व, **वर्ष 2019 में भारत ने फ्रांस के निमंत्रण पर बियारिट्ज में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।**

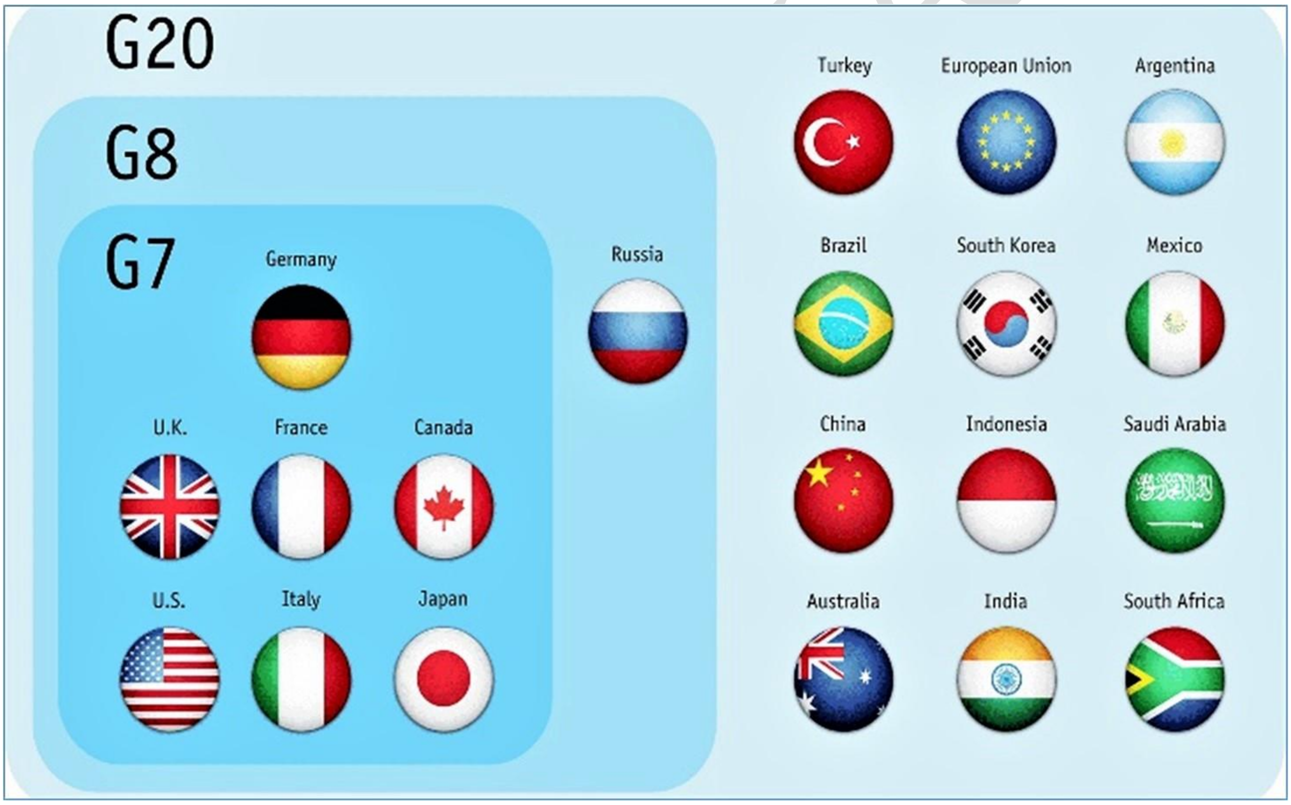

ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के बारे में

- G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक एवं लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है।
- **वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2014 तक रूस के इस समूह में शामिल रहने तक** इस समूह को ग्रुप ऑफ ऐट (G-8) के रूप में जाना जाता था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 में क्रीमिया के अवैध रूप से अधिग्रहण के कारण **रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था।**
- यद्यपि **इस समूह की सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं,** तथापि इसमें शामिल सभी सदस्य विकसित लोकतंत्र के उदाहरण हैं।

© Vision IAS

- G-7 राष्ट्रों की बैठक को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा चक्रीय आधार पर की जाती है। बैठक में **वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।**
- वर्तमान में, **G7 सदस्य राष्ट्रों का समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विश्व के 30% से अधिक है, जो कि तीन दशक पूर्व (70%) की तुलना में कम है।**
- **भारत G7 समूह का सदस्य देश नहीं है।**

7.13. जी 20 (G20)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने सऊदी अरब द्वारा आभासी प्रारूप (virtual format) में आयोजित किए गए G20 के 15वें शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लिया।

जी-20 या ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) के बारे में

- G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। इसके सदस्यों की भागीदारी **वैश्विक GDP में 80 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार में 75 प्रतिशत और वैश्विक जनसंख्या में 60 प्रतिशत से अधिक है।**
- **वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष** इस मंच की बैठक होती है, जिसे वर्ष 2008 से राष्ट्राध्यक्षों और सरकार की भागीदारी द्वारा एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है।
- शिखर सम्मेलन के अलावा, पूरे वर्ष के दौरान **मंत्रिस्तरीय बैठकें, शेरपा बैठकें** (वार्ता को अंतिम रूप देने और नेताओं के बीच आम सहमति बनाने के लिए), **कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम** आयोजित किए जाते हैं।
- **G20 के उद्देश्य हैं:**
  - वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत विकास प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों के मध्य **नीतिगत समन्वय;**
  - जोखिम को कम करने तथा भविष्य के संभावित वित्तीय संकटों की रोकथाम के लिए **वित्तीय विनियमन को प्रोत्साहित करना;** तथा
  - एक नवीन **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना** का निर्माण करना।
- **G20 में दो कार्यशील ट्रैक हैं:**
  - **वित्त ट्रैक (Finance Track):** इसमें प्रमुख रूप से वैश्विक **आर्थिक और वित्तीय मुद्दों,** जैसे कि मौद्रिक, राजकोषीय और विनिमय दर नीतियों, अवसंरचना निवेश, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर ध्यान दिया जाता है।
  - **शेरपा ट्रैक (Sherpa Track):** इसमें व्यापक मुद्दों, जैसे- राजनीतिक संबद्धता, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, व्यापार, लैंगिक समानता, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है:** इसकी कार्यसूची और गतिविधियाँ सदस्यों के आपसी सहयोग से विभिन्न सदस्यों को चक्रीय क्रम में अध्यक्षता प्रदान करके निर्धारित की जाती है।
  - एक **"ट्रोइका (नेता के रूप में काम करने वाले तीन लोग)"** G20 के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसमें उन तीन देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से एक आयोजन करने जा रहा हैं, दूसरा पूर्ववर्ती आयोजक और तीसरा भावी आयोजक होता है।
  - वर्तमान में ट्रोइका देश **सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया** हैं।
- **G20** को कई **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है** जिसमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन शामिल हैं।
- **भारत G20 का एक संस्थापक सदस्य है** और इसने नए विचारों को प्रस्तावित करने और समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

VISION IAS

7.14. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization: SCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

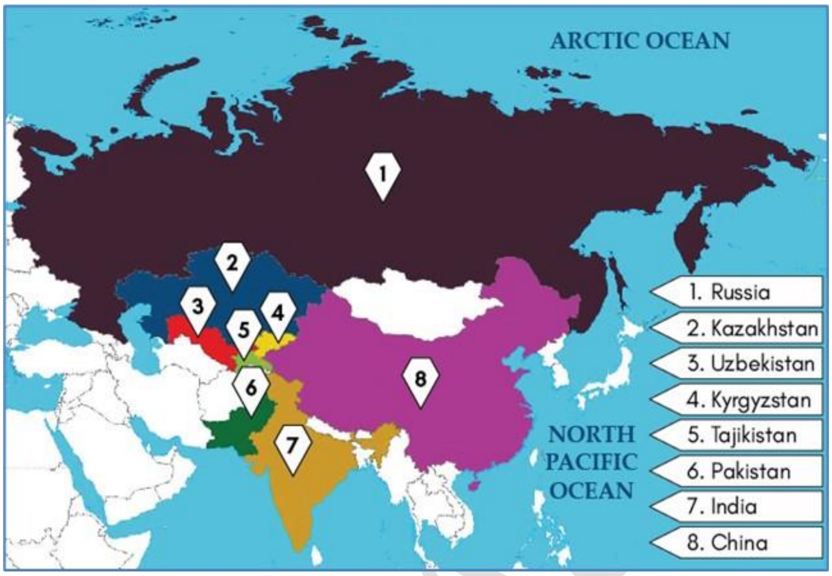

हाल ही में, रूस के राष्ट्रपति ने SCO परिषद के राष्ट्र प्रमुखों की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **वर्चुअल (आभासी) तरीके से आयोजित होने वाला SCO का प्रथम शिखर सम्मेलन** था।
- भारत ने वर्ष 2021 में SCO की 20वीं वर्षगांठ को **"SCO संस्कृति वर्ष"** के रूप में मनाने का पूर्ण समर्थन किया।
  - भारत ने घोषणा की है कि वर्ष 2021 में भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय **SCO देशों की बौद्ध विरासत पर एक प्रदर्शनी** का आयोजन करेगा।
- भारत ने **नवाचार और स्टार्ट-अप्स पर विशेष कार्य समूह** और SCO के भीतर पारंपरिक चिकित्सा पर एक उप-समूह की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) के बारे में

- यह एक **स्थायी अंतर-सरकारी राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य संगठन** है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में **शंघाई** में की गई थी।
  - **क्षेत्रीय विकास तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दे** (जैसे- आतंकवाद, नृजातीय अलगाववाद और धार्मिक चरमपंथवाद) इसके मुख्य केंद्रीय विषय हैं।
- वर्तमान में **रूसी और मंदारिन** SCO की आधिकारिक और कामकाजी भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं।
- CSO की कार्यप्रणाली "शंघाई भावना" ("SHANGHAI SPIRIT") पर आधारित है। यह परस्पर विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, एक-दूसरे की सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास को बढ़ाने से संबंधित है।
- **कार्य संरचना (Working structure):**
  - **राष्ट्र प्रमुखों की परिषद (Heads of State Council: HSC):** यह SCO में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।
  - **सरकार के प्रमुखों की परिषद (The Heads of Government Council: HGC):** यह SCO का दूसरा सबसे बड़ा निकाय है, जो समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे के प्रबंधन के साथ-साथ इसके वार्षिक बजट को अनुमोदन प्रदान करता है।
  - **इसके दो स्थायी निकाय हैं-**
    - **सचिवालय:** यह SCO की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है और सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, कानूनी, संगठनात्मक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।
    - **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS)** यह क्षेत्रीय आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए कार्य करती है।
  - **SCO व्यापार परिषद (Business Council)** एवं **SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम** भी क्रमशः आर्थिक सहयोग व बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु सदस्य देशों के मध्य सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ाने हेतु कार्यरत हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:**
  - SCO **विश्व की जनसंख्या के लगभग 42% तथा वैश्विक GDP के लगभग 20%** का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इसके 4 सदस्य (भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान) **परमाणु शक्ति संपन्न** देश हैं और 2 सदस्य (रूस एवं चीन) **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य** हैं।

© Vision IAS

- SCO को **नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो/NATO) का प्रतिसंतुलक (counterweight)** माना जाता है।
  - दोनों संगठनों के एशिया और खाड़ी क्षेत्र में अपने-अपने भू-राजनीतिक हित हैं।
  - भू-खंड के संदर्भ में SCO के प्रभाव का परिमाण नाटो की तुलना में अधिक है।

7.15. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) (Organization of The Petroleum Exporting Countries: OPEC)

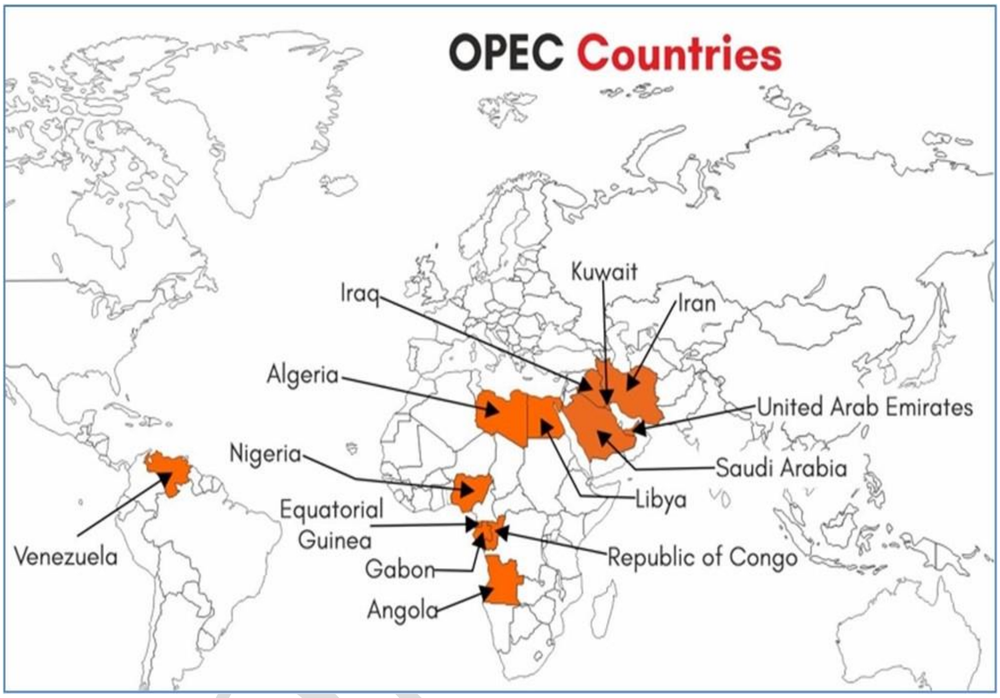

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओपेक सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओपेक-इंडिया संवाद (OPEC-India Dialogue) की चतुर्थ उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की।

ओपेक के बारे में

- ओपेक **13 तेल निर्यातक देशों** का एक **स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है। इसे मूल रूप से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला** ने सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया था।
- ओपेक का **उद्देश्य** सदस्य देशों के मध्य **पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है, जिससे**
  - पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतें सुरक्षित होंगी।
  - उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की कुशल, वहनीय और नियमित आपूर्ति संभव होगी।
- **वियना में स्थित ओपेक सचिवालय ओपेक का कार्यकारी अंग है।** यह संगठन के **मुख्यालय** के रूप में भी कार्य करता है।
- ज्ञातव्य है कि **ओपेक+** में 13 ओपेक सदस्य देशों के अतिरिक्त **गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश, यथा-** अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान सम्मिलित हैं।
- वर्तमान अनुमानों के अनुसार, **विश्व के 79.4% प्रमाणित तेल भंडार ओपेक के सदस्य देशों में स्थित हैं।** इनमें से अधिकांश ओपेक के तेल भंडार मध्य पूर्व में अवस्थित हैं, जो ओपेक के कुल भंडार का **64.5%** हैं।
- **भारत ओपेक का सदस्य नहीं है।**
  - **भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है।** इसकी 78% कच्चे तेल, 59% द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) और लगभग 38% द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की मांग को ओपेक द्वारा पूर्ण किया जाता है।
  - **भारत की तेल की मांग** वर्ष 2019 के 4.7 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर वर्ष 2045 तक 10.7 मिलियन बैरल प्रति दिन होने का अनुमान है।

7.16. सुर्ख़ियों में रहे संयुक्त राष्ट्र के संगठन/कार्यक्रम (United Nations Organizations/Programmes in News)

संगठन/कार्यक्रम	विवरण
संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी	• कोरोना वायरस संकट के दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे

(United Nations Relief and Works Agency: UNRWA)	UNRWA को भारत ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। • UNRWA **दिसंबर 1949 में UN द्वारा गठित** किया गया था। • UNRWA अपने अग्रलिखित पांच संचालन क्षेत्रों में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए **आश्रय, बुनियादी खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा सहायता, शिक्षा और कार्य के अवसर** प्रदान करता है: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ऑफ ईस्ट यरुशलम।
HIV/AIDS पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम {United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)}	• UNAIDS अपने शून्य नए HIV संक्रमण, शून्य भेदभाव और शून्य एड्स जनित मृत्यु से संबंधित साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व को प्रेरित व नेतृत्व प्रदान करता है। • यह संयुक्त राष्ट्र के 11 संगठनों के प्रयासों को एकजुट करता है। साथ ही, यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के भाग के रूप में वर्ष 2030 तक एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner For Refugees: UNHCR)	• UNHCR एक **वैश्विक संगठन है।** यह शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों के **अधिकारों तथा उनके सुरक्षित भविष्य** के लिए कार्य करता है। ○ इसे **द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था,** ताकि उन लाखों यूरोपीय लोगों की सहायता की जा सके जिन्होंने अपने घरों को खो दिया था या जो अपने मूल स्थान को छोड़कर चले गए थे।
संयुक्त राष्ट्र की 'शस्त्र व्यापार संधि' {UN Arms Trade Treaty (ATT)}	• **हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र की 'शस्त्र व्यापार संधि' में शामिल होने की घोषणा की है।** • ATT **विधिक रूप से बाध्यकारी** एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह निम्नलिखित कार्यों को संपादित करता है: ○ सदस्य देशों के लिए उभयनिष्ठ (common) अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना कर **पारंपरिक शस्त्रों (आर्म्स) के वैश्विक व्यापार को विनियमित** करना। ○ पारंपरिक शस्त्रों के दिक्परिवर्तन (diversion) और अवैध व्यापार को **रोकना तथा उनका उन्मूलन करना।** • इसमें सभी पारंपरिक हथियारों को शामिल किया गया है। हालांकि, इसमें सदस्य देशों द्वारा क्रय, विक्रय या रखे जा सकने वाले हथियारों के प्रकार या मात्रा पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है। • इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया है और यह वर्ष 2014 में लागू हुई थी। • यह संधि 130 देशों द्वारा हस्ताक्षरित है। **भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है।**
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद {United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)}	• संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसे **वर्ष 1945** में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य संगठनों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। • ECOSOC, संधारणीय विकास के तीन आयामों, यथा- **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण** को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। • ECOSOC के **54 सदस्य देश** हैं, जिन्हें महासभा द्वारा तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ○ इस परिषद में सीटों का आवंटन भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। इसमें सदस्य देशों के रूप में अफ्रीका महाद्वीप के देशों के लिए चौदह, एशिया महाद्वीप के देशों के लिए ग्यारह, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए छह, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों के लिए दस तथा पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देशों के लिए तेरह सीटें आवंटित की गई हैं। • भारत द्वारा "संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद" (ECOSOC) के सहायक निकायों के निर्वाचनों में विजय दर्ज की गई है। ○ **महिलाओं की स्थिति पर आयोग {Commission on Status of Women (CSW)}:** वर्ष 1946 में स्थापित किया गया CSW विशेष रूप से **लैंगिक समानता** को बढ़ावा देने और **महिलाओं के सशक्तीकरण** के प्रति समर्पित एक प्रमुख वैश्विक **अंतर-सरकारी निकाय** है। ▪ यह **महिला अधिकारों को प्रोत्साहित करने**, संपूर्ण विश्व में **महिलाओं के जीवन की**

	वास्तविकता का दस्तावेजीकरण करने और **लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण पर वैश्विक मानकों** को आकार प्रदान करने में सहायक है। ○ **कार्यक्रम और समन्वय समिति {Committee for Programme & Coordination (CPC)}:** यह समिति **नियोजन (planning), कार्यक्रम-निर्धारण तथा समन्वय** के लिए ECOSOC और संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख सहायक निकाय है। ▪ **CPC महासचिव के कार्य कार्यक्रम की पूर्ण रूप से जांच करती है** और अंतर-सरकारी संगठनों तथा सम्मेलनों द्वारा अपनाए गए या महासचिव द्वारा सुझाए गए निर्णयों से व्युत्पन्न कार्यक्रम में परिवर्तनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। • **जनसंख्या एवं विकास आयोग {Commission on Population and Development (CPD)}:** यह आयोग **जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्रवाई कार्यक्रम** के कार्यान्वयन में ECOSOC की सहायता करता है। ○ यह **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर** पर कार्रवाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन की **निगरानी, समीक्षा एवं मूल्यांकन** भी करता है।
'भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि' (India-U.N. Development Partnership Fund: IUDPF)	• IUDPF को वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था। इसका समर्थन और नेतृत्व भारत द्वारा किया जाता है। इसे **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for South-South Cooperation: UNOSSC)** द्वारा प्रबंधित किया जाता है तथा संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के सहयोग से इसे कार्यान्वित किया जाता है। ○ वैश्विक स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र तंत्र के भीतर **दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देने, इसे समन्वित करने तथा समर्थन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly)** द्वारा वर्ष 1974 में UNOSSC की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1974 से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा इसकी (UNOSSC) मेजबानी की जा रही है। ▪ **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** वस्तुतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्रों में विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग का एक व्यापक ढांचा है। ▪ **त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation) के तहत**, पारंपरिक दाता देश (Traditional Donor Countries) और बहुपक्षीय संगठन (Multilateral Organizations) वित्तीयन, प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं तकनीकी प्रणालियों आदि के प्रावधानों के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण पहल को साकार करते हैं। • हाल ही में, भारत द्वारा 'भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि' (India-U.N. Development Partnership Fund: IUDPF) में 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान किया गया।

7.17. बहुपक्षीय संगठन (जिनका भारत एक सदस्य है) {Multilateral Organizations (of which India is a Part)}

संगठन	**विवरण**
रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organisation For The Prohibition Of Chemical Weapons: OPCW)	• इसकी स्थापना **वर्ष 1997** में की गई थी। इसका मुख्यालय **द हेग, नीदरलैंड** में स्थित है। • इस संगठन के सदस्य देश किसी युद्ध में रसायनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के सामूहिक लक्ष्य को साझा करते हैं। इस प्रकार वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहयोग करते हैं। • यह "रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग के निषेध तथा उनके विनाश पर अभिसमय" (The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction) का कार्यान्वयन निकाय है। • **193 राष्ट्रों** द्वारा CWC पर हस्ताक्षर और इसकी अभिपुष्टि की गई है, जिसमें **भारत** भी

	शामिल है। ○ **इज़राइल ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है, किन्तु इसकी अभिपुष्टि** नहीं की है। ○ **गैर-हस्ताक्षरकर्ता व गैर अभिपुष्टिकर्ता राष्ट्र हैं:** मिस्र, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन और दक्षिण सूडान। • द कॉन्फ्रेंस ऑफ़ स्टेट पार्टीज़, OPCW के सभी सदस्य राष्ट्रों से मिलकर निर्मित एक अधिवेशन निकाय है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों को समान मताधिकार प्राप्त हैं। इसे कन्वेंशन के क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु सामान्य शक्ति प्राप्त है। • OPCW ने **रासायनिक हथियारों के 90% से अधिक भंडार को विनष्ट** करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। संगठन को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन की दिशा में व्यापक प्रयास हेतु वर्ष **2013 के नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency: IAEA)	• **IAEA वर्ष 1957 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।** यह अपने सदस्य देशों के साथ **परमाणु तकनीकों के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।** • IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। • एक नामित सदस्य होने के नाते, भारत ने IAEA की स्थापना के पश्चात् से IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कार्य किया है। • भारत और IAEA ने 2 फरवरी 2009 को भारत में असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा उपायों के अनुप्रयोग हेतु समझौते (Agreement for Application of Safeguards to Civilian Nuclear facilities) पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 11 मई 2009 को लागू हुआ था। ○ **इन सुरक्षा उपायों संबंधी समझौते के तहत** IAEA का यह अधिकार और दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी परमाणु सामग्री पर सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए। इसके पीछे निहित अनन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु सामग्री का परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए उपयोग न किया जा सके।
रूस-भारत-चीन (Russia India China: RIC)	• हाल ही में, द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की **75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर RIC की विशेष बैठक** का आयोजन किया गया। • RIC को **पश्चिमी देशों के गठबंधन के प्रति संतुलन** स्थापित करने हेतु **वर्ष 1998 में रूस द्वारा प्रस्तावित** किया गया था। • यह **विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित** करता है, जैसे- संयुक्त राष्ट्र में सुधार, वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (Global Counter-Terrorism Strategy), बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा पर रोक आदि। • यह समूह **19 प्रतिशत से अधिक वैश्विक क्षेत्रफल** को कवर करता है तथा **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 33 प्रतिशत से अधिक का योगदान** देता है। • यह शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) और ब्रिक्स (BRICS) दोनों के मूल आधार का गठन करता है। • **भारत के लिए महत्व:** ○ यह जापान-USA-इंडिया (JAI) और क्वाड (QUAD) के चलते **भारत को प्राप्त नए भू-रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है।** ○ यह सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करने तथा **अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, ईरान पर प्रतिबंध आदि जैसे मुद्दों को समझने हेतु एक मंच प्रदान करता है।** ○ यह विश्व के लिए एक **नए आर्थिक ढांचे** के निर्माण के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit: EAS)	• यह राष्ट्राध्यक्षों के नेतृत्व वाला एक मंच है। EAS बैठक के दौरान सभी प्रमुख साझेदार, **हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific)** क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही **राजनीतिक, सुरक्षात्मक और आर्थिक चुनौतियों के संबंध में विस्तार पूर्वक** चर्चा करते हैं। साथ ही, घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग

© Vision IAS

	को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। • EAS में 18 सदस्य हैं - दस आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम) के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। • EAS सदस्य **वैश्विक जनसंख्या के 54% भाग** और **वैश्विक जीडीपी के 58% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते** हैं। • **EAS का उद्घाटन सम्मलेन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर** में आयोजित किया गया था। वर्ष 2005 में EAS की स्थापना के उपरांत से ही भारत इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी कर रहा है।
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)	• वित्त मंत्री ने AIIB के **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक** में भाग लिया। • AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका प्रमुख उद्देश्य **एशिया में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को उन्नत करना है।** • **भारत AIIB का एक संस्थापक सदस्य है।** AIIB में भारत **दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक** है, तथा इसके मत का भारांश 7.5 प्रतिशत है। जबकि, चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है तथा उसके मत का भारांश 26.06 प्रतिशत है। • AIIB की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय **बीजिंग** में अवस्थित है।
राष्ट्रमंडल (Commonwealth)	• **यह 53 सदस्य राष्ट्रों (31 द्वीपीय राष्ट्र) का एक विशिष्ट राजनीतिक संघ** है। इन सदस्य राष्ट्रों में से लगभग सभी राष्ट्र पहले ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश या राज्यक्षेत्र रहें हैं। • इस संगठन का मुख्य निकाय **राष्ट्रमंडल सचिवालय (Commonwealth Secretariat)** है। **यह अंतर-सरकारी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।** एक अन्य महत्वपूर्ण संगठन कॉमनवेल्थ फाउंडेशन है। यह सदस्य राष्ट्रों के मध्य गैर-सरकारी संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। • यह **मूल रूप से वर्ष 1926 के इम्पीरियल सम्मेलन के दौरान बाल्फोर घोषणा-पत्र (Balfour Declaration) के माध्यम से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप** में गठित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा वर्ष 1931 में **वेस्टमिंस्टर कानून** (Statute of Westminster) के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। • **राष्ट्रमंडल के वर्तमान स्वरूप को औपचारिक रूप से वर्ष 1949 में लंदन घोषणा-पत्र** द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत संगठन के सदस्यों को आधुनिक रूप प्रदान किया गया है तथा सदस्य राष्ट्रों को इस संगठन में "स्वतंत्र और समान" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। • इस संगठन के **सदस्य राष्ट्रों का एक दूसरे के प्रति कोई विधिक दायित्व नहीं है।** इसकी बजाय वे अंग्रेजी भाषा, इतिहास, संस्कृति और साथ ही लोकतंत्र, मानवाधिकारों एवं विधि के शासन संबंधी उनके साझा मूल्यों के माध्यम से संगठित हैं।
भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (India-Brazil-South Africa: IBSA)	• इसे वर्ष 2003 में **ब्रासीलिया घोषणा** द्वारा निर्मित किया गया था और यह विशुद्ध रूप से **समान विचारधारा वाले देशों का एक दक्षिण-दक्षिण सहयोग समूह है।** • सहयोग के 3 मोर्चे हैं यथा- राजनीतिक और आर्थिक अभिशासन के वैश्विक संस्थानों में सुधार, देशों के साझे लाभ के लिए परियोजनाओं पर सहयोग तथा IBSA-फंड। ○ IBSA फंड **दक्षिण-स्वामित्व, दक्षिण-नेतृत्व और मांग-संचालन के अधीन** है तथा अल्प विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही यह **विकासशील देशों** के लिए **परिवर्तनकारी परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता** उपलब्ध करवाता है।
एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank: ADB)	• इसकी स्थापना **वर्ष 1966** में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मनीला, **फिलीपींस** में स्थित है। • इसमें **67 सदस्य देश हैं, जिसमें एशियाई क्षेत्र के 48 देश** शामिल हैं। • भारत ADB का संस्थापक सदस्य है, परंतु भारत में इसका परिचालन तब आरंभ हुआ जब

	वर्ष 1986 में भारत द्वारा इसके **ऋण लेने वाला सदस्य** बनने के विकल्प का चयन किया गया। • पारंपरिक तौर पर किसी जापानी गवर्नर द्वारा ADB का नेतृत्व किया जाता है। • **इसमें शीर्ष 5 शेयरधारक हैं:** जापान (15.6%), संयुक्त राज्य अमेरिका (15.6%), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) एवं ऑस्ट्रेलिया (5.8%)। • यह इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से विकासशील देशों के निजी उद्यमों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।
मेकांग गंगा सहयोग (Mekong Ganga Cooperation)	• यह **छह देशों - भारत और पाँच आसियान देशों, यथा- कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम** द्वारा प्रारम्भ की गयी एक पहल है। ज्ञातव्य है कि मेकांग नदी चीन के साथ-साथ इन पांच देशों से होकर प्रवाहित होती है। • इसका उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है। • **वर्ष 2000 में लाओस के विएनतिएन (Vientiane)** में इसका शुभारंभ किया गया था। • उल्लेखनीय है कि गंगा और मेकांग दोनों ही अति प्राचीन नदियाँ (सभ्यताओं का पोषण स्थल) हैं तथा MGC पहल का उद्देश्य इन दो प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के मध्य निकट संपर्क को सुदृढ़ करना है। • अमेरिका ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को अवरुद्ध करने हेतु मेकांग राष्ट्रों के साथ साझेदारी की है।
जेनेवा कन्वेंशन, 1949 (Geneva Convention, 1949)	• **जेनेवा कन्वेंशन और उसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल** आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के आधार का निर्माण करते हैं। यह कन्वेंशन निर्धारित करता है कि युद्ध के दौरान सैनिकों व नागरिकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए। • यद्यपि इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1949 में अपनाया गया था, तथापि चारों जेनेवा कन्वेंशन वर्तमान में भी सशस्त्र संघर्षों पर लागू होते हैं। • ज्ञातव्य है कि नियमों का विस्तार करने वाले तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी अपनाए गए थे। • **सभी देशों द्वारा इन कन्वेंशनों की अभिपुष्टि की गई है** और ये सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। • कोई भी राष्ट्र जिसने जेनेवा **कन्वेंशनों की अभिपुष्टि की है (किन्तु प्रोटोकॉल्स की नहीं) उस पर भी कन्वेंशन के सभी प्रावधान बाध्यकारी** हैं।

7.18. बहुपक्षीय संगठन (जिनका भारत एक सदस्य नहीं है) {Multilateral Organizations (of which India is not a Part)}

संगठन	विवरण
अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र {African Continental Free Trade Area (AfCFTA)}	• अफ्रीकी संघ ने घोषणा की है कि **AfCFTA के तहत प्रथम वाणिज्यिक समझौता** (commercial deal) जनवरी 2021 में किया जाएगा। • इसका उद्देश्य **वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल महाद्वीपीय बाजार (single continental market)** का निर्माण करना है, जिसके अंतर्गत निर्बाध व्यापार व निवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा लोगों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित होगा। • AfCFTA में भाग लेने वाले देशों की संख्या के आधार पर यह **विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र** होगा। • अफ्रीकी संघ (African Union) द्वारा मान्यता प्राप्त **55 देशों में से 54 देशों ने AfCFTA** में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं (इरिट्रिया अपवाद है, जिसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं) जबकि 36 देशों द्वारा इस समझौते की अभिपुष्टि की जा चुकी है।

© Vision IAS

इंटर पार्लियामेंट्री अलायन्स ऑन चाइना (IPAC)	• यह क्रॉस-पार्टी विधि निर्माताओं (legislators) का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। यह समूह इस दिशा में कार्यरत है कि लोकतांत्रिक देशों की चीन तक किस प्रकार पहुंच हो। • इस गठबंधन का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों के प्रति उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने में सहायता प्रदान करना है। • इस गठबंधन में भाग लेने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन तथा नॉर्वे और यूरोपीय संसद के सदस्य शामिल हैं।
संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कनाडा समझौता (USMCA)	• वर्ष 2018 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने 'उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते' (North American Free Trade Agreement: NAFTA) पर पुनर्वार्ता की थी। इस नए समझौते को अब 'संयुक्त राज्य-मैक्सिको-कनाडा समझौता' (United States-Mexico-Canada Agreement: USMCA) कहा जाएगा। • **वर्ष 1994 में NAFTA का गठन** सभी तीनों सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर में संवर्धन हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। • USMCA **1 जुलाई 2020** को लागू हो गया।
दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ {Southern African Customs Union (SACU)}	• भारत और SACU ने दोनों के मध्य **अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement)** पर चर्चा को पुनःआरंभ किया है। • वर्ष 2019-20 में, भारत और अफ्रीका के मध्य कुल व्यापार 66.7 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से भारत-SACU के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 10.9 बिलियन डॉलर था। • SACU एक सीमा शुल्क संघ (customs union) है। इसके सदस्य देशों में शामिल हैं: **बोत्सवाना, लिसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी (स्वाज़ीलैंड)।** ○ **कस्टम यूनियन** वस्तुतः दो या दो से अधिक पड़ोसी देशों के मध्य व्यापार बाधाओं को दूर करने, सीमा शुल्क को कम करने या उन्हें समाप्त करने के लिए किया गया एक समझौता है। • **यह विश्व की सबसे प्राचीन कस्टम यूनियन** है तथा इसका गठन वर्ष 1910 में हुआ था।
कैरेबियन कम्युनिटी (कैरीकॉम) देश {Caribbean Community (CARICOM) country}	• कैरीकॉम (CARICOM) कैरेबियाई देशों के मध्य एक संधि है। यह संधि **सदस्य देशों के मध्य आर्थिक एकीकरण एवं सहभागिता को बढ़ावा देती** है। यह एकीकरण के समान एवं साझा लाभ को सुनिश्चित करने के साथ-साथ विदेश नीति के बेहतर समन्वय पर भी बल देती है। • **CARICOM के सदस्य देश हैं:** एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। • हाल ही में, **कैरिबियन कम्युनिटी (CARICOM) के प्रत्येक देश को भारत द्वारा 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी।** • इसका उद्देश्य **स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे आदि में सुधार** करना है।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) {North Atlantic Treaty Organization (NATO)}	• इसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। यह **29 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के मध्य एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है।** • इस गठबंधन की स्थापना **उत्तरी अटलांटिक संधि 1949 द्वारा की गई थी।** • यह सामूहिक सुरक्षा (Collective Defence) के सिद्धांत पर आधारित है। • इसका मुख्यालय हरेन, ब्रसेल्स (बेल्जियम) में स्थित है।
इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation: OIC)	• OIC, वर्ष 1969 में स्थापित एक **अंतर-सरकारी संगठन** है। यह संपूर्ण विश्व के **मुस्लिमों के हितों की रक्षा** करने के उद्देश्य से **57 सदस्य देशों** से मिलकर गठित हुआ है। • भारत **न तो OIC का पर्यवेक्षक है और न ही सदस्य है।**

	• संगठन व्यक्त करता है कि यह "मुस्लिम जगत की सामूहिक अभिव्यक्ति है" और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम जगत के हितों की रक्षा व संरक्षण करने के लिए कार्य करता है। • **आधिकारिक भाषाएं:** अरबी, अंग्रेजी तथा फ्रेंच। • **प्रशासनिक केंद्र:** जेद्दा, सऊदी अरब।
यूरेशियन आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union: EEU)	• यह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए यूरेशियन आर्थिक संघ संधि (Treaty on the Eurasian Economic Union) द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। • यह **1 जनवरी 2015 को प्रभावी हुआ था।** • यह संघ के भीतर संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में माल, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही तथा समन्वित, सामंजस्यपूर्ण व एकल नीति का प्रावधान करता है। • यूरेशियन आर्थिक आयोग EEU का कार्यकारी निकाय है। • सदस्य: **रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान।** इनमें से शुरुआती तीन EEU के संस्थापक सदस्य हैं।
यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (European Bank for Reconstruction and Development: EBRD)	• यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे बर्लिन की दीवार के पतन के बाद **उभरते हुए यूरोप में निजी और उद्यमशील पहलों को बढ़ावा देने** हेतु वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। • **इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है।** • यह तीन महाद्वीपों की 38 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करता है। यह निवेश पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार होता है जिनका उद्देश्य इसके देशों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी, बेहतर शासन आधारित, हरित, अधिक समावेशी, अधिक उदार और अधिक एकीकृत बनाना है। • इसके सदस्य सम्पूर्ण विश्व से हैं तथा **संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है,** किन्तु यह बैंक केवल क्षेत्रीय स्तर पर उन्ही देशों को उधार देता है जिनमें यह कार्य-संचालन करता है। • **EBRD यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) से भिन्न है।** EIB यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के स्वामित्व में है और इसका उपयोग यूरोपीय संघ की नीति का समर्थन करने के लिए किया जाता है। • EBRD विकास बैंकों के मध्य अद्वितीय है क्योंकि **यह कोयला विद्युत संयंत्रों का (उनके पर्यावरणीय प्रभाव के कारण) वित्तीयन नहीं करता है।** इसने अपने वित्तपोषण के 40 प्रतिशत से अधिक के निवेश को वर्ष 2020 तक हरित निवेश के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। • भारत को EBRD में शेयर धारिता प्राप्त है किन्तु यह EBRD से वित्त-पोषण का प्राप्तकर्ता नहीं होगा। इसकी सदस्यता भारतीय कंपनियों को EBRD के कार्य क्षेत्रों में संयुक्त निवेश करने में सक्षम बनाएगी।
पैसिफिक आइलैंड्स फोरम (Pacific Islands Forum: PIF)	• **यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य प्रशांत महासागर के देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना है।** • इसकी स्थापना वर्ष 1971 में साउथ पैसिफिक फोरम के रूप में की गई थी। वर्ष 1999 में, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। • इसमें 18 सदस्य शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फ़ेडरेटेड स्टेट्स ऑफ़ माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पॉलीनेशिया, किरिबाती, नौरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड्स, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf	• यह अरब प्रायद्वीप में छह देशों का एक क्षेत्रीय, अंतर-सरकारी, राजनीतिक और आर्थिक संघ

© Vision IAS

Cooperation Council: GCC)	है। इसके सदस्य हैं: **बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।** • **वर्ष 1981 में स्थापित यह परिषद्** आपसी सहयोग और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा के लिए प्रति वर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन करती है। • इन देशों की भौगोलिक निकटता, समान राजनीतिक व्यवस्था और साझे समाजशास्त्रीय परिदृश्य के कारण, इन देशों का तात्कालिक लक्ष्य ईरान-इराक युद्ध के उपरांत स्वयं को ऐसे खतरों से सुरक्षित रखना है। • सभी वर्तमान सदस्य देशों में राजशाही व्यवस्था है, जिनमें से तीन में संवैधानिक राजतंत्र (कतर, कुवैत और बहरीन), दो में पूर्ण राजशाही (सऊदी अरब एवं ओमान) तथा एक में संघीय राजशाही (संयुक्त अरब अमीरात, जो सात सदस्य राज्यों से बना है, जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अमीर के साथ एक पूर्ण राजशाही है) विद्यमान है।

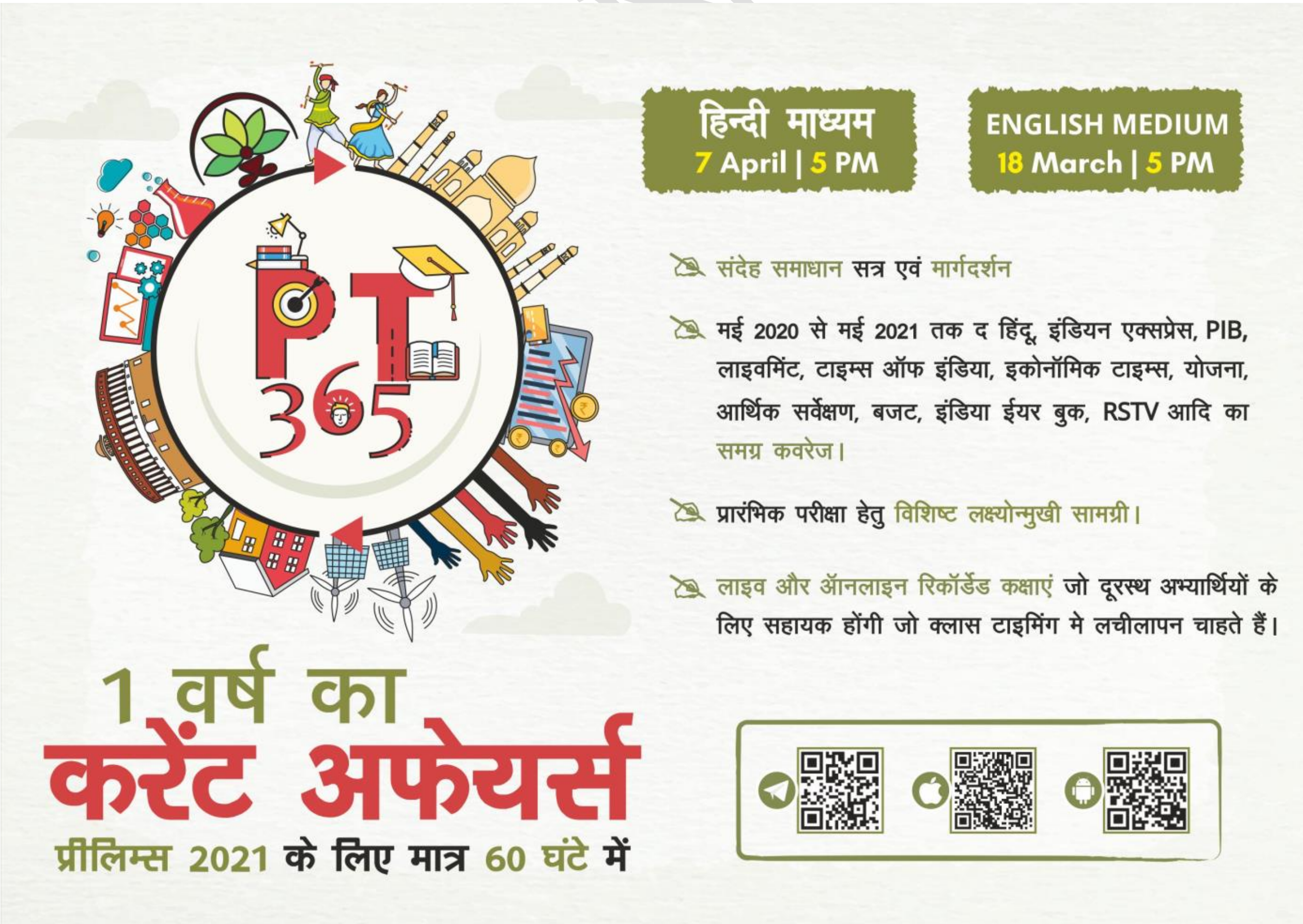

8. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (International Events)

8.1. प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas: PBD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से 16वां प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय (थीम) था- **"आत्मनिर्भर भारत में योगदान" (Contributing to Aatmanirbhar Bharat)।**

डायस्पोरा या प्रवासियों के बारे में

- **'डायस्पोरा'** शब्द में सामान्य रूप से **अनिवासी भारतीय (Non Resident Indians: NRIs), भारतीय मूल के व्यक्ति (Persons of Indian Origin: PIOs)** और **प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizens of India: OCI)** सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें से PIO और OCI कार्डधारकों वाली श्रेणियों को वर्ष 2015 में एक ही श्रेणी, यथा- प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) के तहत विलय कर दिया गया था।
- भारत सरकार के लिए, डायस्पोरा/प्रवासियों के अंतर्गत ऐसे लोगों का एक समूह शामिल है, जो भारतीय मूल के हैं या जो अस्थायी या स्थायी रूप से विदेशों में निवास करने वाले भारतीय नागरिक हैं।
- **भारतीय डायस्पोरा की स्थिति:** ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट- 2020 के अनुसार, भारत वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के मूलस्थान के मामले में अग्रणी देश था, जिसके डायस्पोरा की संख्या 17.5 लाख थी।
    - भारतीय डायस्पोरा या प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद भारतीय प्रवासियों की संख्या के संदर्भ में घटते क्रम में क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम का स्थान आता है।
    - वर्ष 2018 में, प्रवासियों द्वारा **भारत में किया जाने वाला धन प्रेषण अंतर्वाह 79 बिलियन डॉलर का था, जो विश्व भर में सर्वाधिक था।**

प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में

- प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय की संलग्नता को मजबूत करने और उन्हें उनके मूल के साथ पुन संबद्ध करने के लिए प्रत्येक **दो वर्ष में एक बार** आयोजित किया जाता है।
    - प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन **9 जनवरी** को किया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था।
    - प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान चुने हुए भारतीय प्रवासी सदस्यों को **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार** प्रदान किया जाता है।
- **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (Pravasi Bharatiya Samman Awards):** यह **अनिवासी भारतीयों (NRIs), भारतीय मूल के व्यक्तियों (POI) या** NRI अथवा POI द्वारा स्थापित एवं संचालित **संगठन या संस्था,** को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान ऐसे व्यक्ति या उसके द्वारा स्थापित और संचालित संगठन अथवा संस्था को दिया जाता है, जिसने विदेशों में भारत की छवि को बेहतर रूप से प्रस्तुत करने, यथार्थ रूप से भारत के हितों का समर्थन करने, विदेश में सामुदायिक कार्य संपादित करने, स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण कार्यों का निष्पादन करने आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

भारतीय प्रवासियों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने की दिशा में सरकार के प्रयास

- **ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल:** इसे प्रवासी भारतीयों के साथ बेहतर संचार के लिए स्थापित किया गया है।
- **वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव / VAIBHAV) शिखर सम्मेलन:** इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करना है। यह कार्य उभरती चुनौतियों को हल करने हेतु भारतीय प्रवासी एवं निवासी शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों को एकजुट करके ही किया जा सकता है।

© Vision IAS

- **भारत को जानो कार्यक्रम:** विदेश मंत्रालय का यह कार्यक्रम युवा प्रवासियों हेतु तीन सप्ताह का उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसे भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसमें भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति की भी जानकारी दी जाती है।
- **प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY):** यह विदेश मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य करने और कामकाजी भूमिकाओं के निष्पादन में समर्थ उत्प्रवासी (emigrant) कामगारों के कौशल में वृद्धि करना है। कौशल विकास का यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाना है, ताकि उनके लिए विदेशी रोज़गार के अवसरों का लाभ उठाना संभव हो सके।
- **सामुदायिक कल्याण निधियाँ:** भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की निधियों की स्थापना की है। इनके लिए विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायतार्थ कॉन्सुलर संबंधी सेवाओं पर अल्प शुल्क लगाए जाते हैं। ये निधियाँ वाणिज्य दूतावासों को आपातकालीन मामलों में संसाधनों की शीघ्रता से उपलब्धता प्रदान करती हैं। तत्पश्चात ये दूतावास त्वरित अनुक्रिया करने की व्यवस्था करते हैं।

8.2. सुर्ख़ियों में रहे अन्य घटनाक्रम (Other Event in News)

घटनाएं	विवरण
संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)	• इस समझौते पर **ईरान और P5 + 1** (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी) देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे समर्थन प्रदान किया गया था। • **इसका उद्देश्य** अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के माध्यम से **ईरान** को असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए उसे **परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है।** • वर्ष 2018 में, **संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकपक्षीय रूप से स्वयं को JCPOA से पृथक कर लिया था।** • संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर एकपक्षीय प्रतिबंध आरोपित करने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में **"स्नैपबैक (snapback)"** नामक एक विवादास्पद प्रक्रिया को प्रारंभ करने की योजना निर्मित की है ○ **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA)** किसी भी पक्ष को उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करती है, जो **ईरान द्वारा समझौते के अनुपालन में विफल रहने पर उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों (U.N. sanctions) का पुन:आरोपण** करती है। ○ इन प्रतिबंधों में शामिल हैं: ईरान को विशिष्ट हथियारों की बिक्री या उससे खरीद पर निषेध, परमाणु संवर्धन (enrichment) और पुनर्संसाधन (reprocessing) से संबद्ध ईरान की गतिविधियों तथा उनके लिए किसी भी प्रकार के बाह्य समर्थन पर प्रतिषेध, कुछ ईरानी अधिकारियों एवं संस्थाओं पर प्रतिबंध इत्यादि।
जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन {Djibouti code of conduct/ Jeddah amendment (DCOC/JA)}	• भारत भी जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति DCOC के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। • DCOC/ JA समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी व अफ्रीका का पूर्वी तट से संलग्न देश तथा हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीपीय राष्ट्रों सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं। • इसका उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ों के साथ होने वाली जलदस्युता (piracy) एवं सशस्त्र डकैती का दमन करना है।
दक्षिण चीन सागर में प्रादेशिक विवाद {Territorial Disputes in	• हाल ही में, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समर्थन करते हुए, अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वह SCS में संसाधनों पर चीन की एक पक्षीय कार्यवाही/दावे को अवैध घोषित करेगा। • उल्लेखनीय SCS में फिलीपींस, वियतनाम, चीन, ब्रुनेई, ताइवान और मलेशिया द्वारा अतिव्यापी प्रादेशिक दावे (overlapping territorial claims) किए गए हैं।

South China Sea (SCS)}	• चीन SCS के 80 प्रतिशत से भी अधिक भाग पर अपना दावा करता है तथा अपने दावे की पुष्टि के लिए भौगोलिक चिन्ह के रूप में "नाइन-डैश लाइन" का उपयोग करता है। (मानचित्र देखें) • इसलिए, चीन ने अमेरिका के इस वक्तव्य पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। 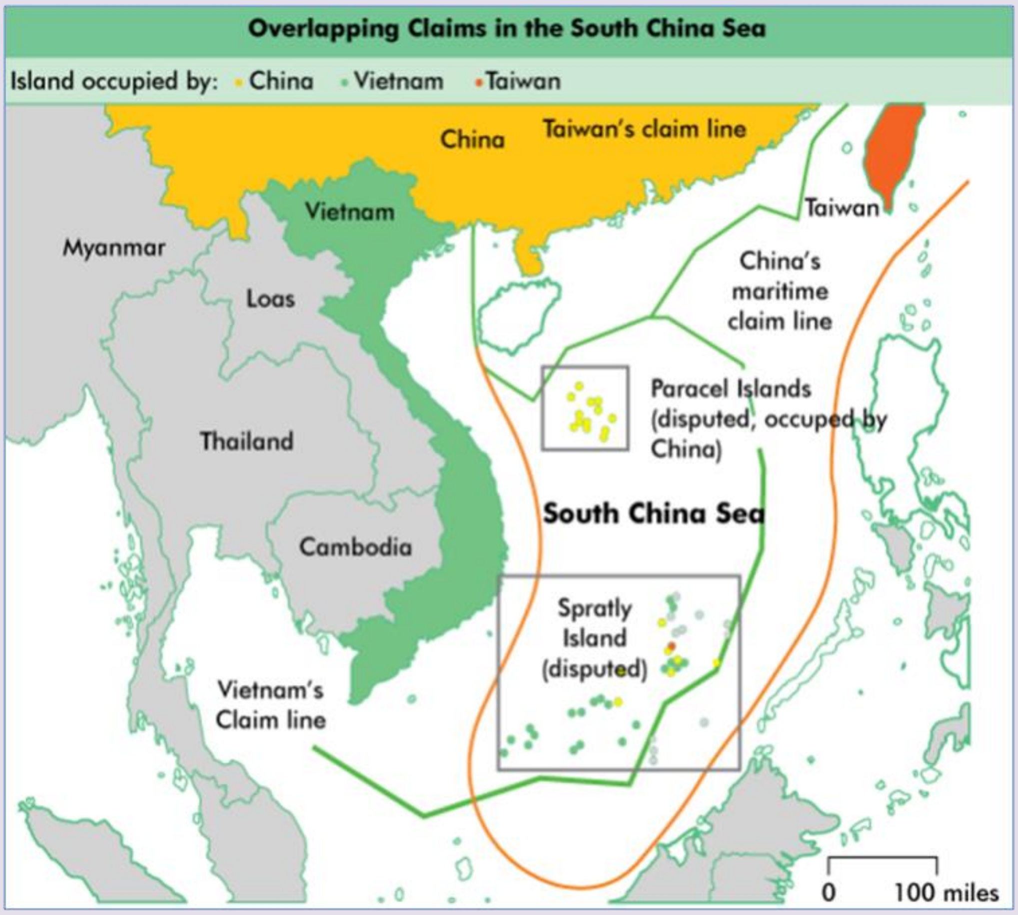

लेबनान सुधार, पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण फ्रेमवर्क {Lebanon Reform, Recovery & Reconstruction Framework (3RF)}	• यह अगस्त 2020 में **बेरूत बंदरगाह पर हुए महाविस्फोट** के प्रति एक **व्यापक जन-केंद्रित प्रतिक्रिया** का भाग है।
	• इसे **18 माह की अवधि** के लिए यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक द्वारा आरंभ किया गया है।
	• 3RF का लक्ष्य बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोट की अनुक्रिया में लेबनान को **तीन केंद्रीय लक्ष्यों** को प्राप्त करने में सहायता करना है:
	  ○ जन-केंद्रित पुनर्बहाली;
	  ○ महत्वपूर्ण संपत्ति, सेवाओं और अवसंरचना का निर्माण तथा
	• शासन में सुधार करके सरकारी संस्थानों में लोगों के विश्वास का पुनर्सृजन।

जापान ने 'फाइव आइज़' में शामिल होने के संकेत दिए हैं (Japan to join 'Five Eyes')	• फाइव आइज़ पांच देशों यथा; **ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका** का एक नेटवर्क है। इन देशों ने उत्तर कोरिया और चीन के बढ़ते खतरों का उचित प्रत्युत्तर देने के उद्देश्य से इस समूह की स्थापना की है।
	  ○ जापान इस संगठन की 'सिक्स्थ आइज़' (sixth eye) बनने की दिशा में अग्रसर है।
	• **जापान उइगरों पर चीन की कठोर नीति के संदर्भ में प्रमुख जानकारी साझा करेगा।**
	  ○ उइगर चीन में अधिवासित **तुर्क भाषी मुस्लिम** हैं। ये चीन के उत्तर-पश्चिम में **स्वायत्त शिनजियांग क्षेत्र में** निवास करते हैं।
	  ○ कई उइगर समुदाय चीन के पड़ोसी देशों जैसे; उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी निवास करते हैं।

अंकटाड निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार (UNCTAD	• संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड/UNCTAD) ने **इन्वेस्ट इंडिया- नेशनल इंवेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी ऑफ़ इंडिया** को वर्ष 2020 के **संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार** के विजेता के रूप में घोषित किया

Investment Promotion Awards)	है। ○ इन्वेस्ट इंडिया, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत भारत की **राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी** है। • अंकटाड पुरस्कार, विश्व की सर्वश्रेष्ठ-पद्धतियों को अपनाने वाली **निवेश संवर्धन एजेंसियों** की उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। • ज्ञातव्य है कि वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंकटाड (UNCTAD) की स्थापना की गयी थी और यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। • यह अंतर-सरकारी आधार पर सर्वसम्मति का निर्माण करने के लिए मंच प्रदान करता है। इस मंच पर सभी सदस्य देश व्यापार और विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करते हैं।
एशिया रीअशुरन्स इनिशिएटिव एक्ट { Asia Reassurance Initiative Act (ARIA)}	• संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन द्वारा उत्पन्न खतरों का सामना करने और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को पुनः सुदृढ़ करने के लिए ARIA अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। • **इसका उद्देश्य हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा, आर्थिक हितों और महत्व को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी अमेरिकी रणनीति का निर्माण करना है।** • यह नया कानून दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा किए जा रहे कृत्रिम स्थलाकृतियों के अवैध निर्माण और सैन्यीकरण के साथ-साथ बलपूर्वक आरोपित आर्थिक क्रियाकलापों का सामना करने हेतु कार्रवाई करने का अधिदेश देता है। • **ARIA के तहत** हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में **अमेरिका और भारत के मध्य रणनीतिक साझेदारी संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान की गई है।** साथ ही, यह कानून दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने का भी आह्वान करता है। • यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में **अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु 1.5 बिलियन डॉलर का बजट आवंटित करता है।**

9. सुरक्षा से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Security)

9.1. भारत और परमाणु निरस्त्रीकरण (India and Nuclear Disarmament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर **भारत द्वारा प्रायोजित दो संकल्प (resolutions)** अंगीकृत किए हैं। ये संकल्प हैं- **'परमाणु हथियारों के प्रयोग के संबंध में निषेध पर अभिसमय'** (Convention on the Prohibition of the use of Nuclear Weapons) और **'परमाणु खतरों को कम करना'** (Reducing Nuclear Danger)। ये संकल्प परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament) के बारे में

- **परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों को कम करने या समाप्त करने का कार्य है।** यह परमाणु-हथियार-मुक्त विश्व (Nuclear-Weapons-Free World: NWFW) की अंतिम स्थिति भी हो सकती है। इसमें परमाणु हथियार पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे।
- पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए **डिन्यूक्लियराइजेशन (परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना)** शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने **वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रथम संकल्प में** परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की थी।
    - इस संकल्प को अपनाए जाने के बाद परमाणु ऊर्जा इत्यादि की खोज से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक आयोग की स्थापना की गयी थी। साथ ही, यह भी निर्णय लिया था कि आयोग **"राष्ट्रीय आयुध में से परमाणु हथियारों व सामूहिक विनाश के अन्य प्रमुख हथियारों के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा"।**

इन संकल्पों (resolutions) के विषय में अधिक जानकारी

- **'परमाणु हथियारों के प्रयोग के संबंध में निषेध पर अभिसमय'** संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा वर्ष 1982 में प्रस्तावित किया गया था। इस संकल्प में जिनेवा में हुए निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन से किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करने या उपयोग करने की चेतावनी देने का निषेध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताएं प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है।
- **'परमाणु खतरों को कम करना'** (Reducing Nuclear Danger) से संबंधित संकल्प को वर्ष 1998 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें परमाणु हथियारों के अनभिप्रेत या आकस्मिक उपयोग के जोखिमों पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही, यह परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यह परमाणु हथियारों की डी-अलर्टिंग और डी-टार्गेटिंग के माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए ठोस कदमों की मांग करता है।

वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण में भारत की भूमिका

- भारत **बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रयासों का सदैव प्रबल समर्थक रहा है।**
- कई अवसरों पर, भारत ने सार्वभौमिक, पूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक बल बनने की भूमिका निभाने के अवसर का सदुपयोग किया है:
    - वर्ष 1965 में, भारत **अठारह राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति (Eighteen Nation Disarmament Committee: ENDC)** में गुट-निरपेक्ष आठ राष्ट्रों में से एक था, जिसने निरस्त्रीकरण और अप्रसार को पृथक कर देखे जाने के पक्ष का समर्थन किया था।
    - भारत ने **परमाणु हथियार अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)** {इसे आम तौर पर अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty: NPT) भी कहा जाता है} पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया है। भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। ज्ञातव्य है कि यह संधि विश्व को "परमाणु क्षमता संपन्न समूह" (nuclear haves) तथा "परमाणु क्षमता से वंचित समूह" (nuclear have-nots) में विभाजित करती है।
    - भारत ने **वर्ष 1988** में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष सत्र के समक्ष **"पूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण" पर एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था,** जिसे **राजीव गांधी कार्य योजना** के नाम से भी जाना जाता है।

© Vision IAS

- भारत ने **व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Test Ban Treaty: CTBT) पर हस्ताक्षर नहीं** किए हैं। इसका कारण यह है कि यह संधि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त करने संबंधी प्रतिबद्धता को सम्मिलित करने में विफल सिद्ध हुई है।
- ज्ञातव्य है कि भारत ने **मई 1998** से ही स्वैच्छिक **परमाणु परीक्षण स्थगन** का पालन किया है।
- **वर्ष 2003** में अपने **परमाणु सिद्धांत** के माध्यम से, भारत ने वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के द्वारा परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य हेतु अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर बल दिया है।
- **भारत ने हाल ही में परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW) के प्रवर्तन का भी विरोध किया है।** इस संधि के विषय में भारत का मानना है कि यह निरस्त्रीकरण हेतु व्यापक साधन नहीं है, क्योंकि यह परमाणु शस्त्रीकरण के सत्यापन की उपेक्षा करती है।
- भारत का मत है कि जिनेवा-आधारित **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD) एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है।**
- भारत एक गैर-भेदभावपूर्ण, सार्वभौमिक और सत्यापन योग्य **विखण्डनीय पदार्थ कटौती संधि (Fissile Material Cut-Off Treaty:: FMCT)** का समर्थन भी कर रहा है। **जिस पर निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (CD) में चर्चा** की जा रही है।
  - **FMCT एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।** यह परमाणु हथियारों के दो मुख्य घटकों, यथा- अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम (Highly-Enriched Uranium: HEU) और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगा।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD)

- इसका गठन **वर्ष 1979** में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पित प्रथम विशेष सत्र (वर्ष 1978) के दौरान सदस्य देशों के मध्य सहमति होने पर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था।
- **वर्ष 1996 में CTBT की वार्ता के समापन के उपरांत से, निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन पर गतिरोध बना हुआ है।** यह सम्मेलन अपनाए जाने वाले कार्यक्रम पर सर्वसम्मति प्राप्त करने और इस प्रकार से विधिवत प्रस्तावित मूल विचार-विमर्शों पर पहुँचने में सक्षम नहीं हुआ है।

परमाणु निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार के लिए प्रमुख संधियाँ

1963	1970	1996
आंशिक परीक्षण निषेध संधि (Partial Test Ban Treaty: PTBT)	परमाणु हथियार अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT)	व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT)
यह वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में, जल के भीतर या किसी राष्ट्र के राज्यक्षेत्र में किसी भी ऐसे भूखंड में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध आरोपित करता है, जिसके कारण राष्ट्र के राज्यक्षेत्र के बाहर रेडियोधर्मिता का प्रभाव पड़ता हो।	यह परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु बहुपक्षीय संधि के रूप में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है।	यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो सभी परिवेश में सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु यह अभी तक लागू नहीं हुई है।

9.2 परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)

सुर्ख़ियों में क्यों?

22 जनवरी 2021 से **संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)** लागू हो गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **"परमाणु हथियारों को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान"** (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons: ICAN) **अर्थात् आई कैन** के प्रयासों के कारण इसे वर्ष 2017 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।
    - ICAN वस्तुतः गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जो लगभग 100 देशों में संयुक्त राष्ट्र हथियार निषेध संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है।
    - ICAN को इसके प्रयासों के लिए **वर्ष 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया था।
- अक्टूबर 2020 में होंडुरास द्वारा अभिपुष्टि (ratification) किए जाने के पश्चात् TPNW के अभिपुष्टिकर्ताओं की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। ज्ञातव्य है कि संधि के अनुच्छेद 15 में यह निर्धारित किया गया था कि संधि की 50वीं अभिपुष्टि प्राप्त होने पर इसे प्रभावी कर दिया जाएगा।
    - वर्तमान में, अब तक **संधि पर 86 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर** किए जा चुके हैं। इनमें से 50 ने इसकी अभिपुष्टि कर दी है।
- हालांकि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, **भारत,** पाकिस्तान, उत्तर कोरिया एवं इज़रायल (परमाणु हथियार संपन्न देश) तथा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO) द्वारा अब तक **इस पर सहमति प्रदान नहीं** की गई है।
    - भारत का मानना है कि यह संधि न तो प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण या उसके विकास में योगदान करती है, और न ही यह कोई नए मानक या मानदंड निर्धारित करती है।
    - भारत वस्तुतः निशस्त्रीकरण सम्मेलन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए एक **व्यापक परमाणु हथियार अभिसमय (Comprehensive Nuclear Weapons Convention)** पर वार्ता प्रारंभ करने का समर्थन करता है। यह विश्व का एकमात्र बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौता मंच है, जो सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करता है।

परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW) के बारे में

- TPNW के क्रियान्वयन का अभिप्राय यह है कि संधि के प्रावधान **उन राष्ट्रों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे**, जिन्होंने **इसकी अभिपुष्टि की है या स्वीकार किया है।**
- **TPNW निम्नलिखित हेतु सदस्य राष्ट्रों को प्रतिबंधित करता है:**
    - नाभिकीय हथियारों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक उपकरणों का **विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, अन्य प्रकार से अधिग्रहण, अर्जन या भंडारण करना।**
    - पक्षकार देश किसी भी देश को परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों या ऐसे हथियारों अथवा विस्फोटक उपकरणों का प्रत्यक्षत: या परोक्ष रूप से नियंत्रण हस्तांतरित नहीं करेगा।
    - **परमाणु हथियारों या** परमाणु विस्फोटक उपकरणों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से **हस्तांतरण अथवा नियंत्रण स्वीकार करना।**
    - **परमाणु हथियारों** या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का **उपयोग करना या उपयोग करने की धमकी देना।**
    - इस संधि के तहत किसी भी पक्षकार देश को निषिद्ध घोषित गतिविधि में संलग्न होने हेतु **सहायता प्रदान करना या प्रोत्साहित या प्रेरित करना।**
    - पक्षकार देश अपने राज्यक्षेत्र में **परमाणु हथियारों** या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों को **अवस्थानित करने, स्थापित करने या तैनाती की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।**
- इसे ऐसे राष्ट्रों की आवश्यकता है, **जो अन्य देशों तक इस संधि के प्रसार हेतु प्रयास करें।**
- यह पक्षकार देशों को **परमाणु हथियारों के उपयोग या परीक्षण से प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने हेतु बाध्य** करती है।

© Vision IAS

TPNW, परमाणु अप्रसार संधि से कैसे भिन्न है?

- TPNW, सभी सदस्यों के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग को पूर्ण रूप से निषिद्ध करती है, चाहे वे नाभिकीय हथियार संपन्न ही क्यों न हों, जबकि NPT में गैर-परमाणु हथियार वाले देश परमाणु हथियारों के विकास संबंधी विकल्पों का परित्याग कर सकते हैं।
- TPNW के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि NPT इन हथियारों के हस्तांतरण, निर्माण तथा अधिग्रहण पर ही अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है।
- TPNW वस्तुतः परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रभावी उपायों पर वार्ता को आगे बढ़ाने हेतु NPT के परमाणु निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार उद्देश्यों का समर्थन करती है।

अन्य संबंधित तथ्य: भारत का असैन्य परमाणु सहयोग

- **ऐसे 14 देश हैं, जिनके साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते किए हैं, यथा**-अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और वियतनाम।
- **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते या भारत-अमेरिका परमाणु समझौते या **123 समझौते** पर वर्ष 2008 में अमेरिका और भारत ने हस्ताक्षर किए थे।
    - **इस समझौते के अंतर्गत,** भारत द्वारा अपने असैन्य एवं सैन्य परमाणु गतिविधियों को पृथक करने और असैन्य भाग को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency: IAEA) द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई थी।
- **भारत-फ्रांस: वर्ष 2008 में, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG) द्वारा दी गई पूर्ण छूट के उपरांत फ्रांस, भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देश था।**
    - इस समझौते ने फ्रांस और अमेरिका दोनों की सहायता से **भारत को इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) में एक साझेदार देश के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान किया था।**
- **भारत-रूस:** रूस, **भारत के लिए परमाणु ईंधन का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना रहा।** ज्ञातव्य है कि यह वह दौर था जब वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ भारत की संलग्नता की प्रगति सीमित थी। वर्ष **2008 में दोनों देशों द्वारा कुडनकुलम में चार अतिरिक्त इकाइयों के निर्माण** और नए स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से **एक समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी।**
- **भारत-जापान: परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत-जापान समझौते** पर नवंबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को जुलाई 2017 में लागू किया गया था।
    - यदि भारत NSG के समक्ष व्यक्त परमाणु परीक्षण न करने की अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन करता है तो **'निष्प्रभावी खंड' (Nullification clause)** के अंतर्गत जापान, भारत के साथ सहयोग को निलंबित कर सकता है।
    - यह **भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत, जापान के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता संपन्न करने वाला प्रथम गैर-NPT हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया** था। इस प्रकार इस समझौते के परिणामस्वरूप परमाणु हथियार युक्त देश के रूप में भारत की विधिक मान्यता को बढ़ावा मिला था।
- भारत ने विभिन्न देशों, जैसे- ऑस्ट्रेलिया (यूरेनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक), कनाडा, मंगोलिया आदि के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए असैन्य परमाणु समझौते किए हैं।

वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र (Global Centre for Nuclear Energy Partnership: GCNEP)

- यह हरियाणा के झज्जर जिले के जसौर-खेड़ी गांव में स्थित **विश्व का प्रथम परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र** है।
- यह केंद्र **विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को चर्चा-परिचर्चा की सुविधा प्रदान करता** है। इसमें परमाणु रिएक्टरों और परमाणु ईंधन चरण में नवाचार, प्रसार प्रतिरोधी रिएक्टरों का विकास, सुरक्षा प्रौद्योगिकियां तथा विकिरण जोखिम प्रभाव सम्मिलित हैं।
- **इसके अंतर्गत 5 इकाइयों को शामिल किया गया है, यथा-**
    - स्कूल ऑफ एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम स्टडीज (SANASS);
    - स्कूल ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टडीज (SNSS);
    - स्कूल ऑन रेडियोलॉजिकल सेफ्टी स्टडीज (SRSS);
    - स्कूल ऑफ न्यूक्लियर मैटेरियल कैरेक्टराइजेशन स्टडीज (SNMCS); तथा
    - स्कूल फॉर स्टडीज ऑन एप्लीकेशंस ऑन रेडियोआइसोटोप्स एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजीज (SARRT)।

9.3. जैव-आतंकवाद (Bio-Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट **'कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन (The Outbreak of Pandemic COVID-19 and its Management)'** में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

जैव आतंकवाद के बारे में

- जैव आतंकवाद किसी क्षेत्र की आबादी का विनाश करने के उद्देश्य से व्यापक पैमाने पर जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न करने वाले रोगों को फैलाने हेतु जीवाणु व विषाणु जैसे सूक्ष्मजीवों के रोगजनक उपभेदों या उनके विषाक्त पदार्थों का एक **नियोजित एवं योजनाबद्ध उपयोग** है।

भारत में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के मौजूदा उपाय

- **महामारी अधिनियम 1897 (Epidemic Diseases Act of 1897):** यह अधिनियम अधिकारियों को खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority: NDMA):** NDMA द्वारा एक मॉडल उपकरण को प्रस्तावित किया गया है। इसमें जैविक आपदा के खतरे का प्रबंधन करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी प्राथमिक आवश्यकता है। मौजूदा कार्यबल के आधे सदस्य विशेष रूप से **रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear: CBRN)** खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं।
- **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Project: IDSP):** इसे विश्व बैंक के सहयोग से आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य रोग की प्रवृत्तियों की निगरानी करना है। साथ ही, प्रशिक्षित त्वरित प्रतिक्रिया दल के माध्यम से शुरुआती बढ़ते चरण में प्रकोपों की पहचान तथा अनुक्रिया करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला-आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations):** भारत में संशोधित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों को जून 2007 में लागू किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न करने वाले रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के प्रति एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल

- **जैविक और विषाक्त हथियार संधि (Biological and Toxin Weapons Convention: BTWC):** यह प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। इसमें जीवाण्विक (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा संग्रहण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **इंटरपोल बायोटेरिज्म प्रिवेंशन यूनिट (INTERPOL Bioterrorism Prevention Unit):** इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बैक्टीरिया, वायरस या जैविक विषाक्त पदार्थों (जो मनुष्यों, जानवरों या कृषि के लिए संकट उत्पन्न करते हैं या क्षति पहुंचाते हैं) के जानबूझकर उपयोग को रोकने के लिए तैयार रहने एवं प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना है।
- **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न **जीवित संशोधित जीवों (Living Modified Organisms: LMOs)** के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है।

9.4. अंतरिक्ष युद्ध (Space Warfare)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने **रूस पर अंतरिक्ष में एक एंटी-सैटेलाइट हथियार का परीक्षण करने का आरोप** लगाया है, जिसने अंतरिक्ष युद्ध संबंधी चिंताओं को उत्पन्न कर दिया है।

© Vision IAS

अंतरिक्ष युद्ध के बारे में

- अंतरिक्ष युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो बाह्य अंतरिक्ष में संपन्न होता है। अंतरिक्ष युद्ध के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **भूमि-से-अंतरिक्ष युद्ध (ground-to-space warfare),** जैसे कि पृथ्वी से सेटलाइट्स पर आघात;
  - **अंतरिक्ष-से-अंतरिक्ष युद्ध (space-to-space warfare),** उदाहरणार्थ- सेटलाइट्स पर हमला करने वाले सेटलाइट; तथा
  - **अंतरिक्ष-से-भूमि युद्ध (space-to-ground warfare),** उदाहरण के लिए- पृथ्वी पर अवस्थित लक्ष्यों पर हमला करने वाले सेटलाइट्स।
- अंतरिक्ष युद्ध की शुरुआत **वर्ष 1962 में** हुई थी जब अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में एक भूमि आधारित परमाणु हथियार का विस्फोट किया गया था, जिससे कारण अंततः **वर्ष 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि अस्तित्व में आयी।**
- **मौजूदा और भविष्य के अंतरिक्ष हथियार:**
  - **काइनेटिक फिजिकल हथियार:** ये हथियार किसी सेटलाइट या ग्राउंड स्टेशन के निकट एक वारहेड पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करने या विस्फोट करने का प्रयास करते हैं, जैसे एंटी-सेटलाइट हथियार (ASAT)। ASAT मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:
    - **डायरेक्ट-एसेंट ASAT हथियार:** इन्हें एक सेटलाइट पर हमला करने के लिए भूमि से प्रक्षेपित किया जाता है।
    - **को-ऑर्बिटल ASAT हथियार:** इन्हें कक्षा में स्थापित किया जाता है और ये चालबाज़ी क्षमता (maneuvering abilities) से युक्त होते हैं।
  - **नॉन-काइनेटिक फिजिकल हथियार:** ये ऐसे हथियार होते हैं, जो बिना किसी भौतिक संपर्क के सेटलाइट और ग्राउंड स्टेशनों पर भौतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, उदाहरणार्थ- लेजर, **अधिक शक्तिशाली माइक्रोवेव (High-Powered Microwave: HPM) हथियार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) हथियार।**
  - **इलेक्ट्रॉनिक हमला:** ये उन साधनों को लक्षित करते हैं, जिनके माध्यम से अंतरिक्ष प्रणालियां रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सिग्नलों को अवरुद्ध करके या स्पूफिंग (धोखा देना) के द्वारा डेटा को प्रेषित और प्राप्त करती हैं।
    - स्पूफिंग इलेक्ट्रॉनिक हमले का एक रूप होता है, जिसमें हमलावर एक फेक सिग्नल (हमलावर द्वारा निर्मित) पर विश्वास करने हेतु एक प्राप्तकर्ता को चकमा देता है। प्राप्तकर्ता इसे एक वास्तविक संकेत समझकर इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।
  - **साइबर-हमले:** ये डेटा और ट्रैफ़िक पैटर्न की निगरानी करके या सिस्टम में मिथ्या या अनुपयोगी डेटा अंतर्विष्ट कर सेटलाइट्स को लक्षित कर सकते हैं।

भारत की काउंटर स्पेस क्षमताएं

- **मिशन शक्ति:** वर्ष 2019 में, भारत **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** के उपरांत चौथा ऐसा देश बन गया था, जिसने निम्न भू-कक्षा में एक उपग्रह को लक्षित करने वाली डायरेक्ट-एसेंट एंटी-सेटलाइट (ASAT) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
  - भारत ने पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित **बाह्य अंतरिक्ष में एक सेटलाइट के अवरोधन की अपनी क्षमता** का प्रदर्शन किया था।
- सेना, नौसेना और वायु सेना की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की कमान हेतु **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency: DSA)** की स्थापना की गई थी, जिसमें सेना की सेटलाइट-रोधी क्षमता भी शामिल थी।
  - यह अंतरिक्ष-आधारित खतरों को संबोधित करने सहित अंतरिक्ष में भारत के हितों की रक्षा के लिए एक रणनीति भी तैयार करेगी।
- DSA को तकनीकी और अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए एक **रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO)** का भी गठन किया गया है।
- **इंडस्पेसएक्स (IndSpaceEx)** [कृत्रिम अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास] को वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में संघर्ष होने की स्थिति में महत्वपूर्ण चुनौतियों और कमियों की पहचान करना है।

अंतरिक्ष से संबंधित संधियां

1967 बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty: OST)

- यह एक **बहुपक्षीय संधि** है, जो **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून** पर आधारभूत ढांचा प्रदान करती है।
- यह **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति** द्वारा प्रशासित है।
- **भारत** इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और भारत द्वारा वर्ष 1982 में इसकी अभिपुष्टि की गई थी।
- **OST के प्रमुख सिद्धांत**
    - सभी देशों के लाभ और हित के लिए **अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग की स्वतंत्रता।**
    - कोई भी राष्ट्र **बाह्य अंतरिक्ष** (चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित) पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता।
    - बाह्य अंतरिक्ष में **परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के अन्य किसी भी प्रकार के हथियारों की तैनाती** का निषेध।

1972 लायबिलिटी कन्वेंशन

- यह खगोलीय पिंडों की क्षति के लिए उत्तरदायित्व के मानकों को स्थापित करता है।

1975 रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन

- इसके अनुसार राष्ट्रों को बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की गई सभी सामग्रियों (objects) को संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत करवाने की आवश्यकता होती है।

1972 मून एग्रीमेंट

- यह सुनिश्चित करता है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जाएगा और उनके वातावरण को बाधित नहीं किया जाएगा।

9.5. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान द्वारा अपने देश में आतंकवाद के वित्त-पोषण में संलग्न अभिकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाने और उनको दंडित करने की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण उसके **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की **ग्रे लिस्ट (grey list)** में बने रहने की संभावना प्रकट हुई है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में

- FATF **वैश्विक धन शोधन (global money laundering) एवं आतंकवाद के वित्त-पोषण की निगरानी करने** वाला एक निकाय है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और इनसे उत्पन्न होने वाली सामाजिक क्षति को कम करना है।
- वर्तमान में इसमें **37 सदस्य देश (भारत सहित)** तथा 2 क्षेत्रीय संगठन, यथा- यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं।

© Vision IAS

- इसे जुलाई 1989 में **G-7 द्वारा अपने पेरिस शिखर सम्मेलन** के दौरान स्थापित किया गया था। आरम्भ में इसका कार्य धन शोधन से निपटने के उपायों का परीक्षण करना और उनको विकसित करना था।
  - कालांतर में धन शोधन के अतिरिक्त, आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने और **व्यापक जनसंहार के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण** के रोकथाम संबंधी प्रयासों को शामिल करने हेतु इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया था।
- FATF द्वारा **आतंकवाद से निपटने हेतु विशेष अनुशंसाओं** की एक श्रृंखला का प्रतिपादन किया गया था, जो आतंकवादियों एवं आतंकवादी संगठनों को, वित्तपोषण और वित्तीय प्रणाली तक पहुंच से वंचित करने के उपायों को रेखांकित करती है।

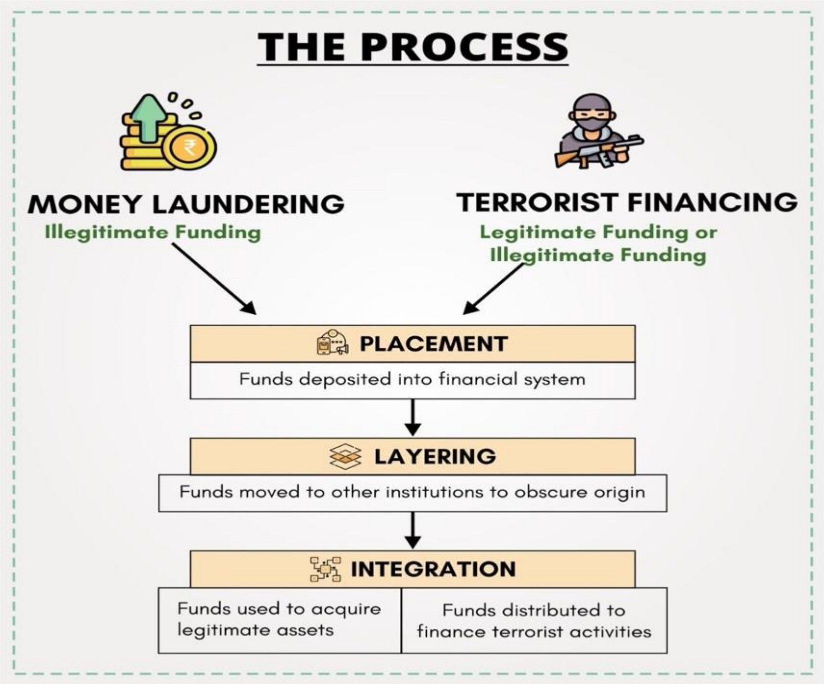

9.6. सीमा अवसंरचना एवं शेकटकर समिति की सिफारिशें (Border Infrastructure And Shekatkar Committee Recommendations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **सीमा अवसंरचना** (border Infrastructure) से संबंधित शेकटकर समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें कार्यान्वित किया गया।

इन सिफारिशों के बारे में

इस समिति द्वारा की गई तीन सिफ़ारिशें **सड़क निर्माण प्रक्रिया को तीव्र करने** से संबंधित हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा** मिलेगा। ये सिफारिशें निम्नलिखित हैं::

- सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation: BRO) की अधिकतम क्षमता के अतिरिक्त **सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स (अर्थात् इस कार्य को किसी अन्य इकाई द्वारा कराया जाना) करना। 100 करोड़ रुपये से अधिक** लागत वाले सभी निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (Engineering Procurement Contract: EPC) मोड को अनिवार्य कर दिया** गया है।
  - EPC मोड के अंतर्गत, निजी अभिकर्ताओं को केवल सड़क निर्माण कार्य हेतु भुगतान किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त सड़क के स्वामित्व, टोल या कर संग्रह या रखरखाव आदि में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है (ये सभी कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं)।
- **आधुनिक निर्माण संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी** के **घरेलू व विदेशी खरीद** हेतु **BRO की खरीद क्षमता** को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  - सड़कों के त्वरित निर्माण हेतु BRO द्वारा हाल ही में **उन्नत उपकरणों** (जैसे- हॉट-मिक्स प्लांट, रिमोट संचालित हाइड्रोलिक रॉक ड्रिल्स आदि) और **नई तकनीकों** (जैसे- जियो-टेक्सटाइल्स आदि) को शामिल कर लिया गया है।
  - त्वरित वित्तीय निस्तारण हेतु फील्ड अधिकारियों को **अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार** सौंपें गए हैं।
- **भूमि अधिग्रहण** और वन एवं पर्यावरण मंजूरी जैसी सभी **वैधानिक स्वीकृतियों** को **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) के अनुमोदन के अधीन** लाया गया है। EPC मोड को अपनाने तथा कम से कम 90% वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया जाता है।

शेकटकर समिति के बारे में

- इसका गठन सशस्त्र बलों की **युद्धक क्षमता और रक्षा व्यय प्रक्रिया को बेहतर बनाने से संबंधित उपायों की सिफारिश करने के लिए** किया गया था। इस समिति द्वारा वर्ष 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
- **इस समिति की प्रमुख सिफारिशें:**
  - भविष्य में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए **रक्षा बजट पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.5 से 3% व्यय** किया जाना चाहिए। (हालांकि, वर्ष 2019 में 2% से कम व्यय किया गया था।)
  - एडवांस बेस वर्कशॉप्स और फील्ड आर्मी में स्टेटिक/स्टेशन वर्कशॉप्स को शामिल करने के लिए सेना में उच्च पदों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
  - शांतिपूर्ण स्थानों से सैन्य तैनाती और सेना के पोस्टल प्रतिष्ठानों को बंद कर देना चाहिए।
  - **सिविलियन वर्कफोर्स का पुनर्गठन** इस तरह से किया जाना चाहिए कि **सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (Military Engineering Services: MES)** के कार्यों का निष्पादन आंशिक रूप से विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाए और अन्य कार्यों को आउटसोर्स कर दिया जाना चाहिए।
    - हाल ही में, रक्षा मंत्री ने MES में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सीमा सड़क संगठन (BRO) के बारे में

- वर्ष 1960 में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क **कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ** BRO को स्थापित किया गया था। यह **रक्षा मंत्रालय के अधीन** कार्यरत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है।
- इसके द्वारा **उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर** सड़क निर्माण तथा रखरखाव कार्यों को संचालित किया जाता है।
- BRO द्वारा **मित्र देशों,** जैसे- भूटान, म्यांमार, अफ़ग़ानिस्तान आदि में भी **सड़कों का निर्माण** किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी

स्मार्ट बाड़ (Smart Fence) के बारे में

- स्मार्ट सीमा बाड़ परियोजनाओं को **भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) कार्यक्रम के तहत** कार्यान्वित किया जा रहा है।
- सीमाओं पर स्मार्ट बाड़ लगाना सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के निवारण हेतु **तकनीकी समाधान प्रस्तुत करता है।**
- इसमें उच्च तकनीक (hi-tech) निगरानी प्रणाली सम्मिलित है **जो भूमि, जल, वायु और भूमिगत क्षेत्रों पर एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक अवरोध उत्पन्न करेगी** तथा सुरक्षा बलों को भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में भी घुसपैठ के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें विफल करने में सहायता करेगी।

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS)

- यह एक **सुदृढ़ और एकीकृत प्रणाली है** जो मानव संसाधन, हथियारों और उच्च तकनीक से युक्त निगरानी उपकरणों को एकीकृत करके सीमा सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने में सक्षम है।
- यह **सीमा सुरक्षा जैसे अवैध घुसपैठ, निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी, मानव दुर्व्यापार और सीमा पार आतंकवाद आदि का पता लगाने एवं नियंत्रित करने में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की क्षमता में सुधार करती है।**
- यह त्वरित निर्णय लेने और नई समस्याओं की परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए **स्थितिजन्य जागरूकता में भी सुधार करती है।**
- **इसमें अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों की एक श्रेणी को एकीकृत करना सम्मिलित है-**
  - थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रा-रेड और लेजर आधारित इन्ट्रूडर अलार्म।
  - हवाई निगरानी के लिए एयरोस्टेट (हवा से हलके विमान या उपकरण)।
  - अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर (भूमि पर स्थापित न दिखने वाले उपकरण) जो घुसपैठ के प्रयासों का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं।
  - नदी की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए रडार एवं सोनार प्रणाली।
  - फाइबर-ऑप्टिक सेंसर।
  - एक निर्देश और नियंत्रण प्रणाली (command and control system) जो वास्तविक समय में सभी निगरानी उपकरणों से डेटा प्राप्त करेगी।
- भारत-पाकिस्तान सीमा (10 किलोमीटर) और भारत-बांग्लादेश सीमा (61 किलोमीटर) पर लगभग 71 किलोमीटर लंबाई पर CIBMS की 2 प्रायोगिक परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।
- वर्ष 2018 में, BSF भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बाड़ रहित नदी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेंसर

© Vision IAS

लगाने के लिए **प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआईटी (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्टिक तकनीक)** {project BOLD QIT (Border Electronically Dominated QRT Interception Technique)} को आरंभ किया गया था।

9.7. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय सेना ने अपने नए **'एकीकृत युद्धक समूह (IBGs)'** के आधिकारिक लॉन्च को स्थगित कर दिया है।

एकीकृत युद्धक समूह के बारे में

- IBGs वस्तुतः ब्रिगेड-आकार के दक्ष व आत्मनिर्भर युद्धक विन्यास होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में दुश्मन के विरुद्ध तेजी से हमले आरंभ कर सकते हैं।
  - इन्हें **स्थान के आधार पर 12-48 घंटों के भीतर** तैनात किया जा सकता है।
  - सीमाओं की सुरक्षा हेतु ये एकीकृत इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं जिसके तहत **तोपखाने, बख्तरबंद, युद्धक इंजीनियर और सिग्नल यूनिट्स सभी शामिल** होते हैं।
  - वर्तमान में, संकटपूर्ण स्थिति के दौरान एक ब्रिगेड को सैन्य सहयोग हेतु विभिन्न प्रकार की इकाइयों का इंतजार करना पड़ता है जिससे सैन्य तैनाती में अत्यधिक समय लगता है।
- IBGs को **युद्धक भूमिकाओं** (सीमा पार ऑपरेशन) और **रक्षात्मक भूमिकाओं** (किसी दुश्मन के हमले का सामना करना) दोनों का निर्वहन करना पड़ता है।
- प्रत्येक IBG को **थ्रेट, टेरेन और टास्क (3T)** के आधार पर **किसी विशेष उद्देश्य हेतु नियोजित** किया जा सकता है और इसके लिए संसाधनों को 3T के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इनकी सैन्य बल संख्या को कम रखा जाता है जिससे कि इन पर लॉजिस्टिक लागत कम हो।
  - प्रत्येक IBG की संरचना उनके तैनाती स्थल के आधार पर भिन्न होती है अर्थात् किसी मरुस्थल में संचालित होने वाले IBG को पहाड़ी क्षेत्र में संचालित IBG से भिन्न रूप से गठित किया जाता है।
- प्रत्येक IBG की **अध्यक्षता मेजर जनरल** द्वारा की जाती है और इसमें लगभग 5,000 सैनिक शामिल होते हैं।
- IBG, **"कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत (Cold Start doctrine)"** को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा।
  - भारतीय सशस्त्र बलों का कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर **पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की त्वरित तैनाती की परिकल्पना** पर आधारित है।
  - इस सिद्धांत का उद्देश्य **पाकिस्तान के परमाणु हमले को रोकने हेतु भारतीय सेनाओं को सतत कार्यवाही** करने की अनुमति प्रदान करना है।

9.8. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सैन्यीकरण (Militarization of Andaman and Nicobar Islands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands: ANI) में अपनी सैन्य उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करने हेतु भारत को उत्प्रेरित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार द्वारा सामरिक अवस्थिति वाले अंडमान द्वीप समूह पर अतिरिक्त युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और थल सेना के सैनिकों हेतु सुविधाओं सहित **अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती** की योजना निर्मित की गई है।

VISION IAS

- **शिबपुर में स्थित INS कोहासा** और **कैंपबेल खाड़ी में स्थित INS बाज** नौसेना वायु स्टेशनों को बड़े विमानों के परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए उनके रनवे का विस्तार किया जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि भारतीय सामरिक समीक्षकों द्वारा भी **मैत्रीपूर्ण देशों की नौ सेनाओं को ANI के सैन्य अड्डों तक पहुंच प्रदान करने** की अनुमति देने की अनुशंसा की जा रही है।

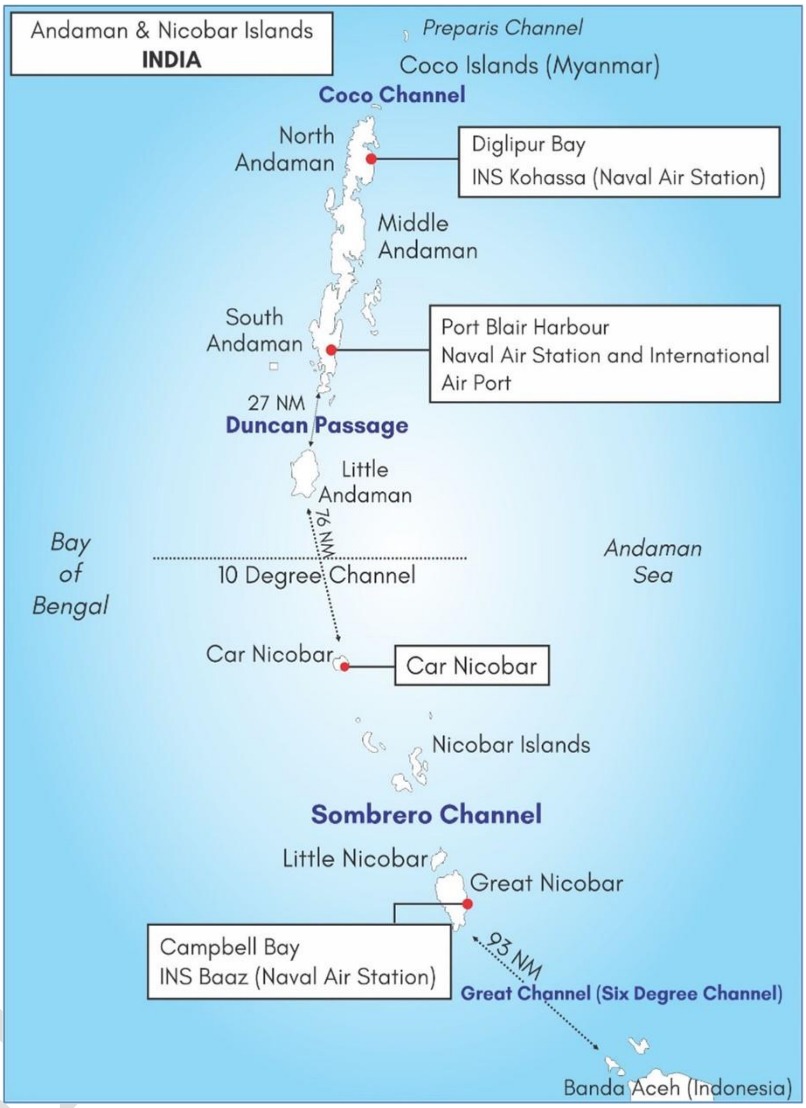

ANI का सैन्यीकरण करने की आवश्यकता क्यों है?

- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** हालिया वर्षों में, चीन ने **हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region: IOR)** में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है।
  - इसके उदाहरणों में शामिल हैं: कोलंबो बंदरगाह पर एक पनडुब्बी की तैनाती, ग्वादर और जिबूती में नौ-सैन्य अड्डों की स्थापना करना आदि।
- **सामरिक अवस्थिति:** ये द्वीप भारत को IOR में अपने महत्वपूर्ण हितों को साधने में सहायता प्रदान करते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भारत ने **अंडमान और निकोबार त्रि-सेवा कमान (Andaman and Nicobar Tri service Command)** की स्थापना भी की है।
- **आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण:** ये द्वीप बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप हैं, जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अवस्थित हैं। **अत: विश्व का 30 प्रतिशत से अधिक समुद्री व्यापार इस संकरे क्षेत्र से होकर ही संचालित होता है।**
  - इन द्वीपों में भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ) का 30 प्रतिशत** शामिल है।
- **बफर जोन:** ये द्वीप **भारत और IOR में अवस्थित अन्य देशों** के मध्य एक बफर जोन के रूप में भी कार्य करते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में

- यह 572 द्वीपों का एक समूह है, जिनमें से केवल 38 ही आवास योग्य हैं।
- ये द्वीप 6° से 14° उत्तरी अक्षांश और 92° से 94° पूर्वी देशांतर तक विस्तृत हैं।
- इसका उच्चतम बिंदु **सैडल पीक** (732 मीटर) **उत्तरी अंडमान द्वीप** में स्थित है।
- भारत का **एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है,** जो अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। इसमें अंतिम उद्गार वर्ष 2017 में हुआ था।
- इसके **बाराटांग द्वीप** में कहीं-कहीं **पंक ज्वालामुखी** (mud volcanoes) भी पाए जाते हैं, तथा इन ज्वालामुखियों से पंक अर्थात कीचड़ का उद्गार होता रहता है।
- इसे प्रायः भारत के पूर्व के **'न डूब सकने योग्य विमान वाहक (unsinkable aircraft carrier)'** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **अंडमान और निकोबार कमान:** यह भारतीय सशस्त्र बलों की प्रथम और एकमात्र त्रि-सेवा थियेटर (युद्ध क्षेत्र) कमान है। यह हथियारों व मादक द्रव्यों की तस्करी, जलदस्युता और अवैध शिकार को समाप्त करने हेतु भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में गश्त हेतु उत्तरदायी

© Vision IAS

है। इसके अतिरिक्त यह समुद्री निगरानी व **मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR)** अभियानों का संचालन भी करती है।

9.9. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020) का अनावरण किया गया। इसे पहले 'रक्षा खरीद प्रक्रिया' (Defence Procurement Procedure: DPP) के नाम से जाना जाता था।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 की प्रमुख विशेषताएं

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 को **आत्मनिर्भर भारत अभियान** तथा **"मेक इन इंडिया"** पहल के साथ संरेखित किया गया है। इसे भारत को वैश्विक विनिर्माण हब (केंद्र) के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
  - इसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाने, प्रत्यायोजन (Delegation), प्रक्रियागत समय को कम करने और प्रक्रिया को यथासंभव उद्योग-अनुकूल बनाने पर बल देने के साथ व्यवसाय करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाना है।
- यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गई है और यह वर्ष **2016 की रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) को प्रतिस्थापित** करेगी।
  - **प्रथम DPP को वर्ष 2002 में जारी** किया गया था और तब से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है ताकि घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- इससे पूर्व अगस्त 2019 में, रक्षा मंत्रालय ने DAP-2020 के मसौदे को तैयार करने हेतु **अपूर्व चंद्र** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
- DAP **सशस्त्र बलों द्वारा मांग किए जाने वाले आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों एवं प्लेटफॉर्मों का समय पर अधिग्रहण** सुनिश्चित करेगी।
- DAP में चिकित्सा उपकरणों को छोड़कर **सभी पूंजीगत अधिग्रहण** सम्मिलित होंगे।

ऑफसेट क्या है?

- ऑफसेट नीति के तहत विदेशी रक्षा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे रक्षा उपकरणों के घटकों (पाट्र्स) की खरीद अथवा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण या अनुसंधान और विकास सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से **भारत में कुल अनुबंध मूल्य का कम से कम 30% व्यय करेंगी।** दूसरे शब्दों में, विदेशी रक्षा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे कुल रक्षा अनुबंध के मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत भारत में व्यय करेंगी।
- यह उपबंध **2,000 करोड़ रुपये से अधिक** के सभी अनुबंधों पर लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य **घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना था।**

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 के प्रमुख बिंदु

- **ऑफसेट नीति में संशोधन:** सशस्त्र बलों के लिए हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों की खरीद हेतु किए जाने वाले अंतर-सरकारी समझौतों (Inter-Government Agreement: IGAs), गवर्नमेंट-टू गवर्नमेंट समझौतों (सरकारों के परस्पर रक्षा सौदे) और एकल-विक्रेता अनुबंध (single-vendor contracts) के संदर्भ में मौजूदा **ऑफसेट खंड का लोप** कर 15 वर्ष पुरानी नीति को परिवर्तित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, ऑफसेट दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों के **घटकों (पाट्र्स) की बजाय पूर्ण विनिर्मित रक्षा उत्पादों (अर्थात् पूर्णत: तैयार रक्षा उपकरण) को प्राथमिकता दी जाएगी।**
- **आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों/ प्लेटफॉर्मों की एक सूची जारी की गई है।**
  - **बाय (ग्लोबल-भारत में विनिर्माण)" {Buy (Global-Manufacture in India)} नामक एक नई श्रेणी**
  - **सूचना के लिए अनुरोध (Request For Information: RFI)**
  - **भारतीय विक्रेताओं (वेंडर्स) के लिए कुछ श्रेणियों में आरक्षण:**
  - **अन्य प्रस्तावित उपाय:** इनमें पूंजी अधिग्रहण अनुबंध के अंतर्गत विक्रय पश्चात् समर्थन, अधिग्रहण में अधिकतम स्वदेशी सामग्री तथा स्थानीय सामग्री एवं सॉफ्टवेयर के लिए प्रोत्साहन तथा ऑफ़सेट के तहत उत्पाद निर्यात पर बल देना शामिल है।

- **समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया के लिए, त्वरित निर्णयन और व्यवसाय करने की सुगमता:**
  - **परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना**
  - **परीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Simplification of Trial Procedures)**
- **लीजिंग (पट्टे पर देना):** लीजिंग को आरंभ में ही बहुत अधिक मात्रा में होने वाले पूंजीगत व्यय के प्रतिस्थापन हेतु आवधिक किराये के भुगतान के साथ मौजूदा 'बाय' और 'मेक' श्रेणियों के अतिरिक्त अधिग्रहण की एक नई श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - यह उन सैन्य उपकरणों के लिए उपयोगी होगा, जो वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किए जाते हैं, यथा- परिवहन बेड़े, प्रशिक्षक, सिम्यूलेटर आदि जैसे उपकरण।
- **रणनीतिक साझेदारी मॉडल (Strategic Partnership Model: SPM):** रणनीतिक साझेदारी निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से मौजूदा उत्पादन स्तर की तुलना में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगी।

क्र. सं.	श्रेणी	DPP-2016 में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत	DAP-2020 में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत
1.	खरीद (भारतीय- IDDM) {Buy (Indian-IDDM)} • IDMM अर्थात् स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित और विनिर्मित (Indigenously Designed, Developed and Manufactured)	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 50%
2.	खरीद (भारतीय) {Buy (Indian)}	न्यूनतम 40%	स्वदेशी डिज़ाइन - न्यूनतम 50% अन्य - न्यूनतम 60 %
3.	खरीद और निर्माण (भारतीय) {Buy & Make (Indian)}	निर्माण का न्यूनतम 50%	निर्माण का न्यूनतम 50%
4.	खरीद (वैश्विक - भारत में निर्माण) {Buy (Global - Manufacture in India)}	-----	खरीद + निर्माण का न्यूनतम 50%
5.	खरीद (वैश्विक) {Buy (Global)}	-----	भारतीय विक्रेताओं के लिए न्यूनतम 30%

9.10. प्रारूप रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020 {Draft Defence Production and Export Promotion Policy (DPEPP) 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का प्रारूप प्रस्तावित किया है, इसका लक्ष्य भारत के रक्षा उत्पादन को आगामी पांच वर्षों में दोगुना करना है।

प्रारूप नीति (Draft Policy) के बारे में

इस नीति की परिकल्पना आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर केंद्रित, संरचित तथा महत्वपूर्ण बल प्रदान करके पूर्वोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में की गई है।

भारत में रक्षा उत्पादन की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2015-19 के दौरान भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातक** देश था तथा रूस सबसे बड़ा आपर्तिकर्ता देश रहा है।
  - यद्यपि, भारतीय शस्त्र बाजार में **रूस का हिस्सा 72% से कम होकर 56% रह गया** है।

- ऐसा अनुमान है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आगामी पांच वर्षों में रक्षा उपकरणों की खरीद पर लगभग 130 बिलियन डॉलर का व्यय किया जा सकता है। कुल रक्षा खरीद में घरेलू खरीद का हिस्सा लगभग **60 प्रतिशत है।**
- भारत के रक्षा उद्योग का आकार **80,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।** इसमें **सार्वजनिक क्षेत्रक** का योगदान **63,000 करोड़ रुपये** अनुमानित है। ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों में **निजी क्षेत्रक** की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर **17,000 करोड़ रुपये** हो गई है।
- **रक्षा निर्यात:** वर्ष 2018-19 में यह 10,745 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2016-17 के पश्चात् से इसमें 700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत 40 से अधिक देशों को शस्त्र एवं अन्य सामरिक सामग्री निर्यात करता है।
- रक्षा उद्योग को **8,000 से अधिक MSMEs के सुदृढ़ आधार का समर्थन प्राप्त है**, जो रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ता और व्यवसायिकता प्रदान करता है।

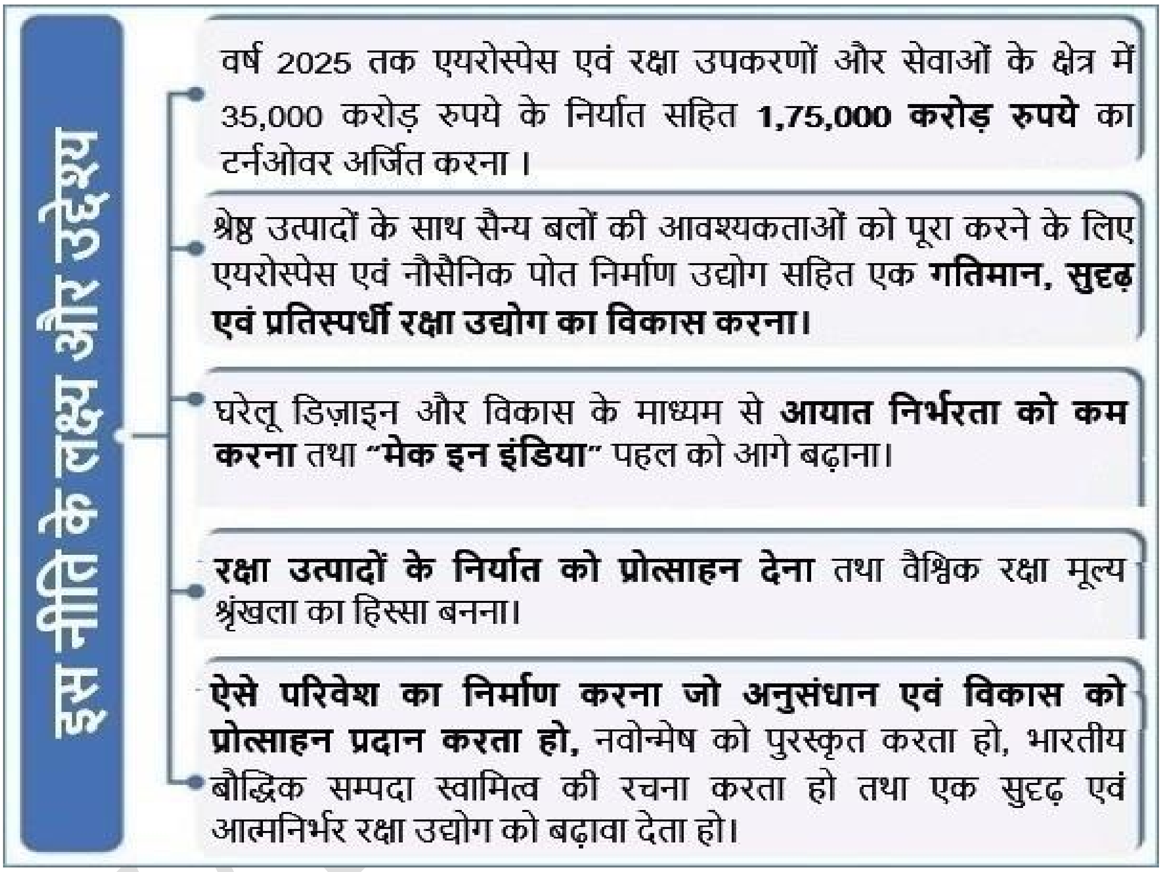

9.11. आसूचना सुधार (Intelligence Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अनेक विशेषज्ञों ने चीन द्वारा निरंतर की जाने वाली घुसपैठ की पृष्ठभूमि में आसूचना सुधारों की आवश्यकता को इंगित किया है।

भारत में आसूचना संरचना

- भारत के वर्तमान आसूचना तंत्र में **विशिष्ट अधिदेश प्राप्त विभिन्न अभिकरण** सम्मिलित हैं।
- शीर्ष स्तर पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor: NSA) की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय (National Security Council Secretariat: NSCS)** कार्यरत है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1998 के पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों के उपरांत की गई थी।
    - यह भारत के प्रधान मंत्री के कार्यकारी कार्यालय के अंतर्गत संचालित होता है। यह **सरकार की कार्यकारी शाखा और आसूचना सेवाओं के मध्य समन्वय स्थापित करता है।** इसके अतिरिक्त, यह आसूचना और सुरक्षा के मुद्दों पर नेतृत्वकारी परामर्श भी प्रदान करता है।

- विभिन्न एजेंसियों से सभी खुफ़िया जानकारी (आसूचना) एकत्रित करने और विश्लेषण करने के उद्देश्य से **संयुक्त आसूचना समिति (Joint Intelligence Committee: JIC)** नामक एक निकाय का गठन किया गया था। वर्ष 2018 में इसका NSCS में विलय कर दिया गया था।

अन्य आसूचना एजेंसियां

- वर्ष 1887 में **आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau: IB)** का गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है और भारत की घरेलू खुफ़िया, आंतरिक सुरक्षा और आसूचना-रोधी (counter-intelligence) कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है।
  - इसे पूर्व में भारतीय राजनीतिक खुफ़िया कार्यालय (Indian Political Intelligence Office) के नाम से जाना जाता था। परन्तु स्वतंत्रता के उपरांत इसका नाम परिवर्तित करके आसूचना ब्यूरो (IB) कर दिया गया।
- वर्ष 1968 में **अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रॉ) (Research and Analysis Wing: (R&AW)** का गठन किया गया था। यह देश की एक बाह्य खुफ़िया एजेंसी है।
  - यह प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष आदेश के तहत संचालित होती है। R&AW मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) का एक स्कंध (विंग) है।
- **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन {National Technical Research Organisation (NTRO)} (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय तकनीकी सुविधा संगठन):** इसे वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार की तकनीकी खुफ़िया एजेंसी है।
  - NTRO भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के तहत एक तकनीकी आसूचना एजेंसी है और यह प्रधान मंत्री कार्यालय का एक भाग है।
- **राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence: DRI):** यह तस्करी-रोधी खुफ़िया सूचनाओं के संग्रहण हेतु स्थापित एक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में गई थी और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- IB, रॉ और NTRO के "आचरण मानदंड" (norms of conduct) **आसूचना संगठन (अधिकार निर्बंधन) अधिनियम, 1985 {Intelligence Organisations (Restrictions of Rights) Act, 1985}** द्वारा शासित होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, भारतीय खुफ़िया एजेंसियों के कर्मचारी **शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act)** (वर्ष 1923 में पहली बार अधिनियमित) के अधीन हैं। यह अधिनियम अन्य विषयों के साथ-साथ गोपनीय सूचनाओं के साझाकरण को शासित करता है।
- हालांकि, इन विभिन्न खुफ़िया एजेंसियों के कार्यों में अतिव्याप्तन की स्थिति (या तो संरचना द्वारा या इनकी गतिविधियों के चलते) उत्पन्न हो जाती है।

9.12. नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड {National Intelligence Grid (NATGRID)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेटग्रिड (NATGRID) द्वारा 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (National Crime Records Bureau: NCRB) के साथ 'प्राथमिक सूचना रिपोर्ट' (First Information Reports: FIRs) तथा चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- समझौता ज्ञापन (MoU) **NATGRID को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS) के डेटाबेस तक पहुँच उपलब्ध कराएगा।**
- सभी राज्य पुलिस स्टेशनों को CCTNS में 'प्राथमिक सूचना रिपोर्ट' (FIR) दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- यह समझौता ज्ञापन NATGRID को FIR में उल्लिखित एक संदिग्ध के विवरण जैसे उसके पिता का नाम, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण के बारे में सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

NATGRID के बारे में

- NATGRID, गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह एक एकीकृत खुफ़िया ग्रिड है जो कोर सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को संयोजित करता है। इसे वर्ष **2008 के मुंबई आतंकी हमले के पश्चात् प्रस्तावित किया गया** था।

© Vision IAS

- यह आतंक का सामना करने के अंतिम उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में खुफ़िया एवं विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा।
- NATGRID **10 उपयोगकर्ता एजेंसियों को कुछ निश्चित डेटाबेस के साथ जोड़ेगा,** जिसे 21 संगठनों से प्राप्त किया जाएगा।
  - **डेटाबेस में** क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कर, दूरसंचार, आव्रजन, एयरलाइंस और रेलवे टिकट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस **से संबंधित डेटा सम्मिलित होगा।**
  - **यह विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के लिए** मामले के आवश्यकतानुसार **उपलब्ध होगा**, जिसमें आसूचना ब्यूरो (IB), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), राजस्व खुफ़िया विभाग आदि सम्मिलित हैं।
- हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2020 तक NATGRID परियोजना की भौतिक अवसंरचना अस्तित्व में आ जाएगी।

NCRB के बारे में

- NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत अपराध और अपराधियों से संबद्ध जानकारियों के भंडार-गृह के रूप में कार्य करने हेतु की गई थी। इसका उद्देश्य अपराध को अपराधकर्ता से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता करना है।
- इसकी स्थापना **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (वर्ष 1977-1981) और गृह मंत्रालय (MHA) के टास्क फोर्स (वर्ष 1985) की संस्तुतियों** के आधार पर की गई थी।
- वर्ष 2009 में NCRB को **अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (Crime & Criminals Tracking Network and Systems: CCTNS) परियोजनाओं की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन** का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।
  - CCTNS **नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना** है।
  - इससे देश में 15000 से अधिक पुलिस थाने और 6000 उच्च पुलिस कार्यालय जुड़े हुए हैं।
  - CCTNS का उद्देश्य **ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाकर** तथा एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग अवसंरचना का सृजन करके पुलिस व्यवस्था की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक **व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली का सृजन** करना है।

9.13. लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attacks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लंदन में एक व्यक्ति द्वारा लोन वुल्फ हमले को अंजाम दिया गया।

लोन वुल्फ हमले के बारे में

- इस प्रकार के हमलों में किसी **एकल अपराधी** (या किसी लघु समूह) द्वारा धमकी या हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।
- “लोन वुल्फ” वह व्यक्ति होता है, जो किसी अन्य समूह या अन्य व्यक्ति के **प्रत्यक्ष सहयोग के बिना** हिंसक कार्यवाही की **योजनाओं को तैयार** करता है और उन्हें संपादित करता है।
- यद्यपि लोन वुल्फ आतंकी पूर्णतः अकेले ही हिंसक गतिविधियों को निष्पादित करते हैं, परन्तु हिंसक मीडिया छवियां, भड़काऊ पुस्तकें, घोषणापत्र और धार्मिक फतवे आदि उन्हें उनकी कट्टरपंथी कार्रवाइयों को अंजाम देने हेतु उत्तेजित कर सकते हैं।
- लोगों को धमकाने और भयभीत करने से लेकर **अंधाधुंध गोलीबारी, वाहन से कुचलने, धारदार हथियार से प्रहार करने और आत्मघाती बम विस्फोट** जैसी घटनाओं के रूप में लोन वुल्फ आतंकी हमला, एक गंभीर चुनौती बन गया है।
- दीर्घकालिक आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1970 के दशक के मध्य में लोन वुल्फ हमलों का अनुपात लगभग पांच प्रतिशत से भी कम था, जो वर्ष 2014 और 2018 के मध्य की अवधि में बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

9.14. भारतीय थल सेना द्वारा प्रस्तावित ‘टूर ऑफ़ ड्यूटी’ (Indian Army Proposes Tour of Duty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय थल सेना ने अधिकारियों और सैनिकों के रूप में आम नागरिकों द्वारा तीन वर्षीय सेवा प्रदान किए जाने हेतु ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ का प्रस्ताव रखा है।

इस प्रस्ताव के बारे में

- 'टूर ऑफ ड्यूटी' (ToD) युवाओं के लिए तीन वर्षों का एक **स्वैच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम** है।
- यह उन युवाओं के लिए है जो **"रक्षा सेवाओं को अपने स्थायी पेशे के रूप में चयन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सैन्य विशेषज्ञता के रोमांच और जोश का अनुभव करना चाहते हैं।"**
- प्रस्ताव में इस योजना के प्रोत्साहन हेतु कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे- **तीन वर्ष के लिए कर-मुक्त आय** और **तीसरे वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि,** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में वरीयता प्रदान करना आदि।
- हालांकि, ToD अधिकारियों को कोई भी **सेवानिवृत्ति पैकेज** (सेवा निवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ) प्रदान नहीं किए जाएंगे, जैसे- पेंशन, ग्रेच्युटी, सवैतनिक अवकाश आदि।

पूर्व में संचालित ऐसी योजनाएं

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, **ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा** रंग आधारित सेवाओं (7-10 वर्ष) और आरक्षित सेवाओं (8-15 वर्ष) से संबंधित योजनाएँ संचालित की गई थीं।
- सैन्य सेवा के लिए युवाओं की कम उपलब्धता के कारण **इजरायल में इस मॉडल को पूर्व** में ही लागू किया जा चुका है।
- सिंगापुर में प्रत्येक पुरुष के लिए 2 वर्ष की **अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा** को अपनाया गया है।

10. विविध (Miscellaneous)

10.1. भारत की प्रारूप आर्कटिक नीति (India's Draft Arctic Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सार्वजनिक सुझावों को प्राप्त करने के क्रम में सरकार ने प्रारूप आर्कटिक नीति दस्तावेज जारी किया है।

आर्कटिक क्षेत्र के बारे में

- यह 66° 34' उत्तरी अक्षांश में आर्कटिक वृत्त के ऊपर स्थित क्षेत्र को संदर्भित करता है। जहां **उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक महासागर इसके केंद्र में स्थित हैं।**
- इस महासागर का अधिकांश हिस्सा पांच आर्कटिक तटवर्ती देशों, यथा- **कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), नॉर्वे, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का)** के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।

यह प्रारूप नीति भारत के आर्कटिक मिशन पर केंद्रित है, जिसके उद्देश्यों में शामिल हैं:

- आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक राज्य के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए भारत द्वारा, मनुष्यों में **आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के वर्धन के लिए** अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग प्रदान करना।
- भारत और आर्कटिक क्षेत्र के मध्य **संधारणीय और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को बढ़ावा देना।**
- **वैश्विक तापन के विरुद्ध प्रयासों** को सुदृढ़ करना।
- आर्कटिक और भारतीय मानसून के मध्य **वैज्ञानिक एवं जलवायु संबंधों को बेहतर ढंग से समझना।**
- तृतीय ध्रुव अर्थात् हिमालय के साथ **ध्रुवीय अनुसंधान को एकीकृत** करना।
- भारत में आर्कटिक के अध्ययन और समझ को आगे बढ़ाना।

आर्कटिक परिषद (Arctic Council) के बारे में

- यह **आर्कटिक क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु गठित एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी मंच** है। इसे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दोहरे अधिदेश के साथ स्थापित किया गया है।
- यह 8 सदस्य राष्ट्रों, स्थायी प्रतिभागियों और पर्यवेक्षकों से निर्मित एक मंच है।
  - इसके 8 सदस्य राष्ट्रों में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन शामिल हैं।
  - **भारत वर्ष 2013 में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इसमें शामिल हुआ था।**

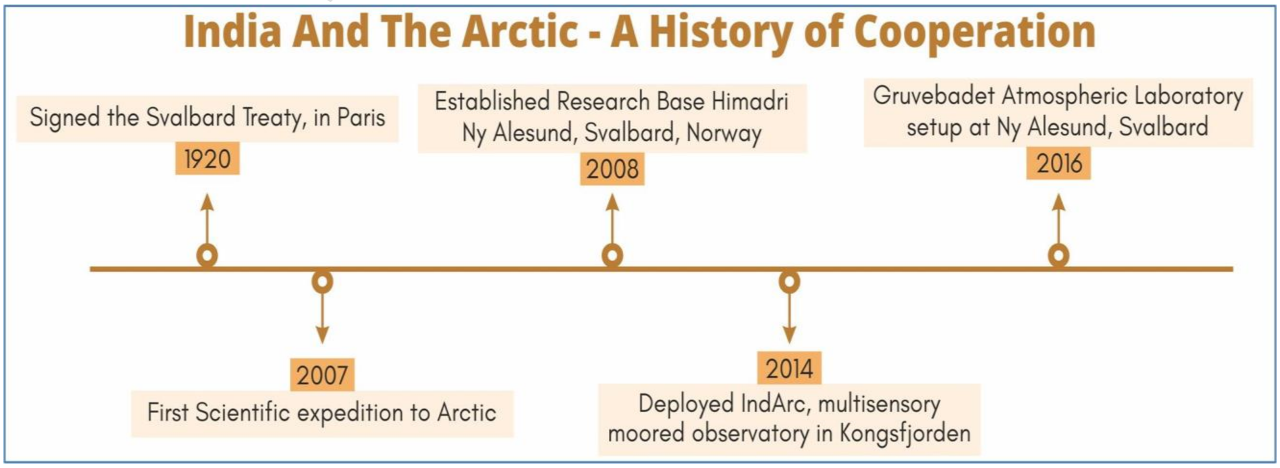

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

10.2. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। यह घोषणा-पत्र **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** की अवधारणा का प्रस्ताव करती है।

DFFT के बारे में

- इसका उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार और सतत विकास के लिए **इलेक्ट्रॉनिक साधनों** द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और विदेशी सर्वरों में डेटा संग्रहीत करके **सूचना के सीमा-पार अंतरण पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।**
- यह सुरक्षा, डेटा संरक्षण और बौद्धिक संपदा जैसी चुनौतियों के समाधान के महत्व पर भी बल देता है, जो अन्यथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों में लोक विश्वास को क्षति पहुँचा सकती हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र के बारे में

- **वर्ष 2019 में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान** इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षरकर्त्ताओं में कुछ G-20 देश और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में ई-कॉमर्स पर अनौपचारिक बहुपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने वाले अन्य देश शामिल थे।
- इसके तहत **"ओसाका ट्रैक"** के शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत जानकारी और साइबर सुरक्षा के लिए वर्धित सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था (विशेष रूप से डेटा प्रवाह) और ई-कॉमर्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण के प्रयासों को तीव्र करना है।
- ओसाका ट्रैक, वर्ष 2019 के विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में पूर्व जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** के विचार से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य सीमा-पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।

10.3. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को "भुखमरी से निपटने, संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में शांति हेतु स्थितियों को बेहतर बनाने और युद्ध एवं संघर्ष के हथियार के रूप भुखमरी के उपयोग को रोकने के लिए अपने प्रयासों हेतु" **नोबेल शांति पुरस्कार, 2020** से सम्मानित किया गया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) और इसकी उपलब्धियां

- वर्ष 1961 में स्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), एक **अंतर-सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक एजेंसी है।** यह वर्ष 2030 तक भुखमरी के उन्मूलन के 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (लक्ष्य-2) को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है।
- वर्तमान में, यह भुखमरी से निपटने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी संस्था है। यह संस्था आपात स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करती है और पोषण में सुधार करने व लचीलेपन का निर्माण करने के लिए समुदायों के साथ कार्य करती है।
- इसका **मुख्यालय रोम (इटली)** में स्थित है।
- WFP प्रत्येक वर्ष 0.61 डॉलर प्रति राशन की अनुमानित औसत लागत पर 15 बिलियन से अधिक राशन पैकेट वितरित करता है।
- WFP का दो-तिहाई कार्य संघर्ष-प्रभावित देशों में संपन्न होता है, जहां अन्य देशों की तुलना में लोगों के अल्पपोषित होने की संभावना तीन गुना अधिक होती है।
- वर्ष 2019 में, इसने 88 देशों में लगभग ऐसे 100 मिलियन लोगों की सहायता की थी, जो अत्यधिक खाद्य असुरक्षा और भुखमरी से पीड़ित थे।
- यह भुखमरी का युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में उपयोग किए जाने का विरोध करने तथा खाद्य सुरक्षा को शांति का साधन बनाने हेतु बहुपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

© Vision IAS

WFP और भारत

- WFP **भारत** में वर्ष **1963 से कार्य रहा है।**
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त**, यह खाद्य की उपलब्धता में सुधार के लिए नीतिगत आगत, पक्ष समर्थन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- WFP ने **कुछ विशिष्ट पहलों का प्रस्ताव** दिया है, जैसे 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (TPDS) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वचालित अन्न वितरण मशीन (अन्नपूर्ति) और सचल भंडारण इकाइयां (मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स) स्थापित करना एवं वाराणसी में सरकार की मध्याह्न-भोजन (मिड-डे मील) योजना में उपयोग होने वाले **चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए प्रायोगिक परियोजना** को पूर्ण करना आदि।
- वर्तमान कोविड महामारी के दौरान, इसने पूरक पोषण उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु **उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।**
- WFP **हंगर मैप** प्रकाशित करता है, जो **वैश्विक भुखमरी की स्थिति की निगरानी के लिए** प्रत्येक देश की जनसंख्या में अल्पपोषण के प्रसार को दर्शाता है और भुखमरी निवारक कार्यवाहियों की दक्षता बढ़ाने में सहायता भी करता है।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

- इसे मार्च 1901 से **वार्षिक रूप** (कुछ अपवादों के साथ) से उन्हें प्रदान किया जाता है, जिन्होंने "राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व का निर्माण करने, स्थायी सेनाओं के उन्मूलन या उनमें कटौती किए जाने और शांति सभाओं के आयोजन एवं प्रचार के लिए सर्वाधिक या सर्वोत्तम कार्य किया है"।
- प्राप्तकर्ता का नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय समिति- नार्वे नोबेल समिति द्वारा चयन किया जाता है।

10.4. सुर्ख़ियों में रही कुछ प्रमुख शब्दावलियां (Some Key Terms in News)

वैक्सीन कूटनीति (Vaccine Diplomacy)	• वैक्सीन (कोविड-19 टीका) कूटनीति को वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति की एक शाखा के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह वैक्सीन आपूर्ति अथवा उपयोग के साथ-साथ वितरण सहायता और संबंधित अनुसंधान जैसी आनुषंगिक सेवाओं की प्रदायगी पर निर्भर करती है। • उदाहरण के लिए, एड्स के प्रकोप के उपरांत से भारत अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR) का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। इसे भारत की वैक्सीन कूटनीति के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
ई-कूटनीति (E-Diplomacy)	• राष्ट्रों द्वारा अपने कूटनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित एवं स्थापित करने के साथ-साथ अपने राजनयिकों के कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु इंटरनेट एवं संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग ई-कूटनीति कहलाता है। • इन कार्यों में गृह राष्ट्र (home nation) का प्रतिनिधित्व और संवर्धन करना, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों, दूतावास संबंधी सेवा (consular services) और सामाजिक संलग्नता स्थापित करना शामिल है।
ट्रैक-2 कूटनीति (Track-II Diplomacy)	• **ट्रैक-2 कूटनीति को बैकचैनल डिप्लोमेसी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें निजी व्यक्ति (जैसे- भूतपूर्व राजनयिक, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, शिक्षाविद आदि)** किसी समस्या या मुद्दे (जिसका आधिकारिक वार्ताकार समाधान नहीं कर पाते हैं) का आम सहमति से समाधान करने के लिए **अनौपचारिक रूप से बैठक करते हैं।** इन बैठकों में की गई वार्ताओं को आधिकारिक वक्तव्यों के रूप में संहिताबद्ध नहीं किया जाता है। • **ट्रैक-1 कूटनीति को आधिकारिक सरकारी कूटनीति के रूप में जाना जाता है।** इसके तहत किसी भी प्रकार का संचार और सहभागिता संबंधित सरकारों के मध्य होती है। • **ट्रैक-1.5 कूटनीति में सरकारी और गैर-सरकारी** (व्यापारिक नेता, व्यापारिक संगठन और संभवतः गैर-राजनयिक व्यक्ति) **दोनों पक्ष शामिल होते हैं।**

आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance: ODA)	• ODA को **सरकारी सहायता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए** अभिकल्पित किया गया है। • जापान ने भारत को **कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता (COVID-19 Crisis Emergency Response Support)** के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण (ODA) प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की है। • भारत और जापान के मध्य **वर्ष 1958 में आर्थिक सहयोग साझेदारी** को प्रारंभ किया गया था। हालांकि इस सहयोग की शुरुआत ODA ऋण (ODA Loan) के द्वारा हुई थी, जो कि **जापान द्वारा किसी देश को प्रदत्त प्रथम ODA था।**
लघुपक्षवाद (Minilateralism)	• **लघुपक्षवाद (या लघुपक्षीय समूह) को पारंपरिक बहुपक्षीय मंचों के बाहर तीन से अधिक देशों द्वारा किसी विशिष्ट विषयों के समाधान के संबंध में कूटनीतिक प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जाता है।** इसके तहत उन विशिष्ट विषयों का समाधान किया जाता है, जिसका समाधान संबंधित राष्ट्र एकल रूप से नहीं कर पाते हैं या संबंधित सभी राष्ट्र एक साथ समाधान बिंदु पर नहीं पहुंच पाते हैं।

11. सुर्ख़ियों में भारत के सैन्य अभ्यास (Military Exercises of India In News)

क्र.सं.	किस देश के साथ	सैन्य अभ्यास का नाम
1	ऑस्ट्रेलिया	औसिंडेक्स (AUSINDEX), काकाडु (KAKADU) तथा पिच ब्लैक
2	बांग्लादेश	संप्रीति
3	फ़्रांस	वरुण
4	इंडोनेशिया	कोरपेट
5	जापान	धर्मा, गार्जियन जिमेक्स (JIMEX)
6	म्यांमार	इमकोर (IMCOR)
7	रूस	इंद्रा
8	सिंगापुर	सिम्बेक्स
9	श्रीलंका	स्लिनेक्स (SLINEX)
10	थाईलैंड	कोरपेट (CORPAT)
11	यूनाइटेड किंगडम	कोंकण
12	संयुक्त राज्य अमेरिका	युद्धाभ्यास, स्पिटिंग कोबरा, संगम, आईएमएस (IMX)
13	उज़्बेकिस्तान	दस्तलिक (DUSTLIK)

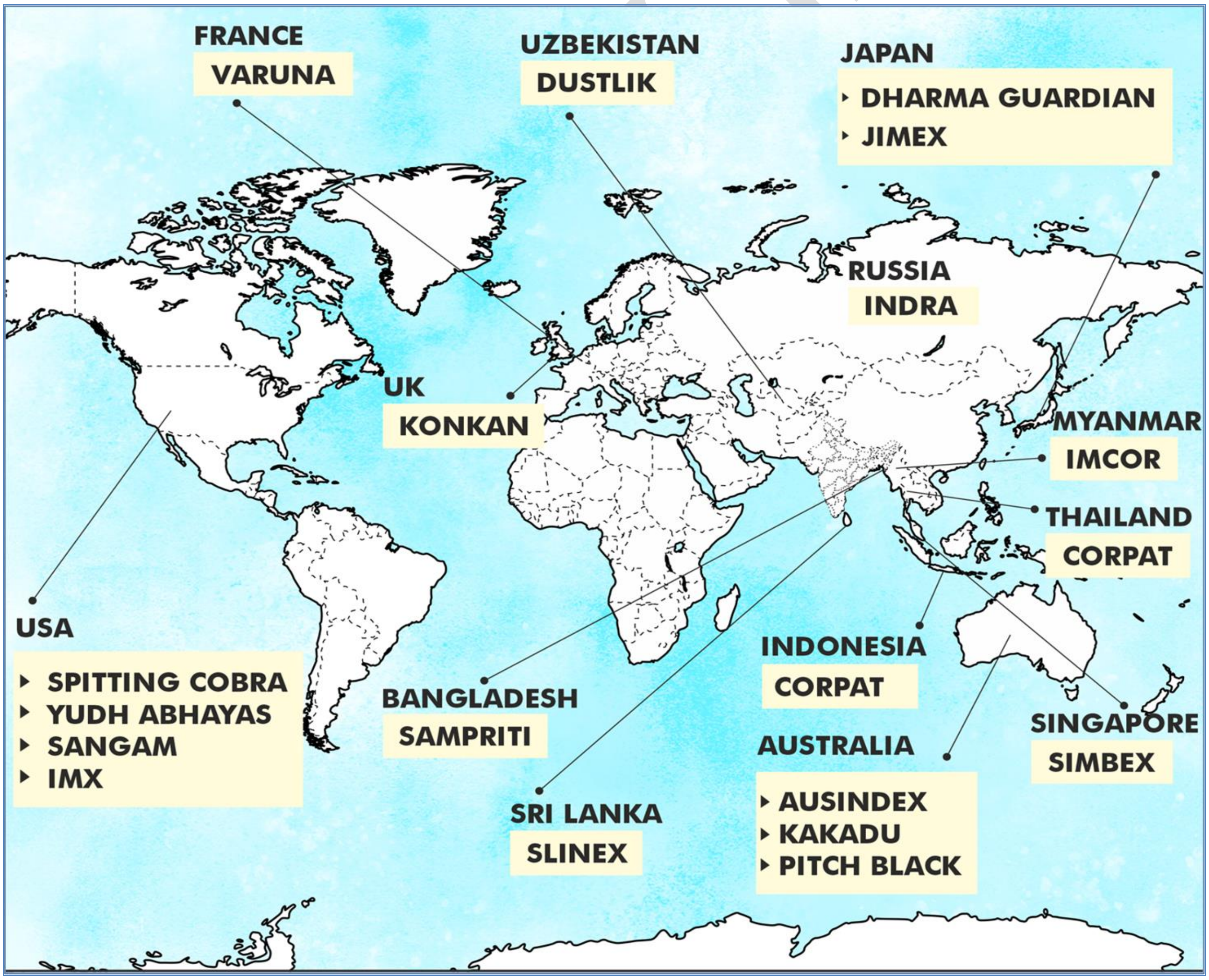

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION
Stay in touch with Your Preparation
FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA
/c/VisionIASdelhi
/VisionIAS_UPSC
/vision_ias
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

Heartiest Congratulations to all successful candidates
7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019
FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS
2 AIR
JATIN KISHORE
3 AIR
PRATIBHA VERMA
6 AIR
VISHAKHA YADAV
7 AIR
GANESH KUMAR BASKAR
YOU CAN BE NEXT
9 IN TOP 10 SELECTION IN CSE 2018
1 AIR
KANISHAK KATARIA
2 AIR
AKSHAT JAIN
3 AIR
JUNAID AHMAD
4 AIR
SHREYANS KUMAT
5 AIR
SRUSHTI JAYANT DESHMUKH
7 AIR
KARNATI VARUNREDDY
8468022022
WWW.VISIONIAS.IN
DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI